


62वीं वार्षिक रिपोर्ट

62nd Annual Report

2018-2019



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)



जन-जन के लिए भण्डारण / WAREHOUSING FOR EVERYONE



62वीं वार्षिक रिपोर्ट

62nd Annual Report

2018-19

केन्द्रीय भण्डारण निगम

Central Warehousing Corporation

विषय सूची
CONTENTS

क्रम सं	विषय	पृष्ठ सं
SL.NO.	SUBJECT	PAGE NO.
1	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Directors' Report	1 - 56
2	निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट, 2018.19 Report on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Activities, 2018-19	57 - 65
3	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	66 - 90
4	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाण पत्र Compliance Certificate on Corporate Governance	91 - 93
5	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	94 - 95 143 - 145
6	तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखे के विवरण (सामान्य निधि) Balance Sheet and Profit & Loss Account (General Fund)	96 - 102 146- 152
7	लेखो के अंग के रूप में अनुसूचियाँ Schedules Forming Part of Accounts	103-142 153- 191



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Govt.of India Undertaking)

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT

62वीं वार्षिक रिपोर्ट
62nd Annual Report
2018-19

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT.OF INDIA UNDERTAKING)**

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present their report on the business and operations of the Central Warehousing Corporation (CWC) and the statement of accounts for the financial year ended on 31st March, 2019 along with Reports on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, Corporate Governance with the Auditors' Compliance Certificate thereon, Audited Statements of Accounts together with the Auditors' Report and Comments on the Accounts by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and the reply of the Management thereto.

1. FINANCIAL RESULTS

Particulars	2017-18	2018-19 (Rs. in Crore)
Turnover	1582.94	1604.62
Expenses	1555.32	1379.20
Profit Before Depreciation & Tax (PBDT)	161.36	312.32
Profit Before Tax (PBT)	27.62	225.42
Profit After Tax (PAT)	31.88	163.61
Revenue from Operations	1502.09	1519.51
Operating Profit	-53.23	140.31
Net Worth	1926.45	2034.00
Capital Employed	1783.67	1898.78
Average Net Worth	1926.60	1980.23
CAPEX	162.87	167.51
Dividend	21.75	33.91
Dividend/Profit After Tax (%)	68.22	20.73
Operating Profit/Revenue from Operations (%)	-3.54	9.23
PAT/Net Worth (%)	1.65	8.04
PAT/Average Net Worth (%)	1.65	8.26
Dividend/Net Worth (%)	1.13	1.67
Trade Receivable as number of days of Revenue from Operations	99.46	74.40
%age reduction in claims against the Corporation not acknowledged as debts (overall basis-on) {Rs.624.07 crore as on 31.03.2019 against opening balance of Rs.738.13 crore as on 31.03.2018}	7.87	15.45
%age increase in registration of MSE entrepreneurs/vendors over existing registered vendors as on 31.03.2018 (As on 31.03.18 total number of registered vendors were 96 which increased to 218 during 2018-19 i.e. increase of 122 number of MSE Entrepreneurs/vendors during the year 2018-19).	NA	127

केंद्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारियों

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों के विवरण सहित निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुरिधि विकास, लेखा परीक्षकों के अनुपालन प्रमाण पत्र सहित कारपोरेट गवर्नेंस, लेखों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ केंद्रीय भंडारण निगम के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1.) वित्तीय परिणाम

(करोड़ रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19
टर्नओवर	1582.94	1604.62
व्यय	1555.32	1379.20
मूल्यहास एवं कर पूर्व लाभ (पीबीडीटी)	161.36	312.32
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	27.62	225.42
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	31.88	163.61
प्रचालन से राजस्व	1502.09	1519.51
प्रचालन लाभ	-53.23	140.31
निवल मूल्य	1926.45	2034.00
नियोजित पूंजी	1783.67	1898.78
औसत निवल मूल्य	1926.60	1980.23
पूंजी व्यय	162.87	167.51
लाभांश	21.75	33.91
लाभांश / कर पश्चात् लाभ (%)	68.22	20.73
प्रचालन लाभ / प्रचालनों से राजस्व (%)	-3.54	9.23
पीएटी / निवल मूल्य (%)	1.65	8.04
पीएटी / औसत निवल मूल्य (%)	1.65	8.26
लाभांश / निवल मूल्य (%)	1.13	1.67
प्रचालनों से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में प्राप्ति योग्य व्यापार	99.46	74.40
निगम के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावों में कमी का प्रतिशत (समग्र आधार – पर) {31.03.2018 को 738.13 करोड़ रु. के प्रारंभिक शेष पर 31.03.2019 को 624.07 करोड़ रु.}	7.87	15.45
31.03.2018 तक वर्तमान पंजीकृत विक्रेताओं पर एम एस ई उद्यमियों / विक्रेताओं के पंजीकरण के प्रतिशत में वृद्धि (31.03.2018 को पंजीकृत विक्रेताओं की कुल संख्या 96 थी जो 2018-19 में बढ़कर 218 हो गई, अर्थात् वर्ष 2018-19 के दौरान एमएसई उद्यमियों / विक्रेताओं की संख्या में 122 की वृद्धि हुई)।	लागू नहीं	127

1.1 DIVIDEND

During the year, Corporation paid additional dividend of Rs.1012.31 lakh for the year 2017-18 and Interim Dividend of Rs.2379.15 lakh for the year 2018-19. The dividend for the year 2018-19 is proposed @30% of Profit After Tax (Being 72.20% of paid-up capital) amounting to Rs.4908.16 lakh (including interim dividend of Rs. 2379.15 lakh already paid). The unpaid amount of proposed dividend for the year 2018-19 has not been accounted in the books as per AS 4 (Para 14) issued by ICAI.

The guidelines issued by DIPAM vide its OM dated 27.05.2016 provides for payment of minimum annual dividend @30% of Profit After Tax or 5% of Net Worth, whichever is higher. Keeping in view, the CAPEX requirements of the Corporation during the year 2019-20, Corporation has applied for seeking exemption from DIPAM to pay the dividend as per the said guidelines and allow CWC to pay dividend @30% of PAT, without insisting for payment of dividend @ 5% of net worth.

1.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS

The turnover of your Corporation for the year 2018-19 is Rs. 1604.62 crore as compared to Rs. 1582.94 crore in the previous year i.e. increase of Rs. 21.68 crore. Profit Before Tax for the year 2018-19 is Rs. 225.42 crore as against Rs. 27.62 crore in the previous year. The Profit After Tax for the year 2018-19 is Rs.163.61 crore as against Rs. 31.88 crore in the previous year.

2. OPERATIONAL PERFORMANCE

2.1 As on 31st March, 2019, your Corporation operated 422 warehouses with a total operational storage capacity of 99.80 lakh MT. These include 40 Custom Bonded warehouses, 24 CFSs/ICDs and 3 Air Cargo Complexes (ACCs) / Air Freight Station (AFS) / Unaccompanied Baggage Warehouse (UBW), 3 Temperature / Humidity Controlled Units, 3 Integrated Check Posts (ICPs). During the year, 33540 MT additional storage capacities have been constructed. The average capacity utilization during the year under report was 83% as against 79% during

1.1 लाभांश

वर्ष के दौरान, निगम ने वर्ष 2017–18 के लिए 1012.31 लाख रु. के अतिरिक्त लाभांश तथा वर्ष 2018–19 के लिए 2379.15 लाख रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। वर्ष 2018–19 के लिए कर पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत (प्रदत्त पूँजी का 72.70 प्रतिशत) की दर से 4908.16 लाख रुपये का लाभांश प्रस्तावित है (इसमें पहले ही भुगतान किए गए 2379.15 लाख रु. का अंतरिम लाभांश शामिल है)। वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित लाभांश की अप्रदत्त राशि का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी एएस 4 (पैरा 14) के अनुसार बही खाते में नहीं किया गया है।

डीआईपीएम के दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम वार्षिक लाभांश कर-पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से, जो भी अधिक हो का भुगतान करना होता है। वर्ष 2019–20 के दौरान निगम की पूँजी व्यय आवश्यकताओं को देखते हुए, निगम ने लाभांश का भुगतान करने के संबंध में जारी डीआईपीएम के दिशा-निर्देशों में छूट के लिए आवेदन किया और निगम को निवल मूल्य के 5 प्रतिशत के लाभांश के भुगतान किए जाने पर जोर दिए बिना कर-पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान करने की अनुमति दी जाए।

1.2 वित्तीय विशिष्टताएं

आपके निगम का टर्नओवर गत वर्ष के 1582.94 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018–19 में 1604.62 करोड़ रुपये रहा अर्थात् इसमें 21.68 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। गत वर्ष के 27.62 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान कर पूर्व लाभ 225.42 करोड़ रुपये रहा। गत वर्ष के 31.88 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2018–19 में कर-पश्चात् लाभ 163.61 करोड़ रु. रहा।

2. प्रचालनात्मक निष्पादन

2.1 31 मार्च, 2019 को आपका निगम 422 वेअरहाउस चला रहा था जिनकी कुल प्रचालनात्मक भंडारण क्षमता 99.80 लाख मी. टन है। इनमें 40 कर्स्टम बांडेड वेअरहाउस, 24 सीएफएस/आईसीडी एवं 3 एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी)/एअर फ्रेट स्टेशन (एएफएस)/अनएकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (यूबीडब्ल्यू) 3 तापमान/आर्द्रता नियंत्रित यूनिट, 3 एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) हैं। वर्ष के दौरान, 33540 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया। वर्ष 2017–18 के 79 प्रतिशत की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग 83 प्रतिशत

2017-18. Comparative operational performance of the Corporation during the year under report as against the preceding two years is as under: -

(Capacity in lakh MT)

Sr.No.	Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
1	Achievements during the year			
a	Average operational capacity	99.65	99.69	99.80
b	Average capacity utilization	74.27	78.73	82.91
c	%age utilization of average capacity	75	79	83
2	Commodity-wise (average) utilization			
a	Foodgrains	40.71	44.81	49.71
b	Fertilizers	3.45	2.42	1.31
c	Others	30.11	31.50	31.89
	Total	74.27	78.73	82.91

2.2 Operation of ICDs/CFSs/ACC/AFS/UBW

In spite of stiff competition and increase in 'Direct Port Delivery' (DPD) of containers at major ports, your Corporation handled 5.58 lakh TEUs during the year under report at its 24 Container Freight Stations (CFSs)/ Inland Clearance Depots (ICDs). Your Corporation is also operating one Air Cargo Complex (ACC) at Goa, one Air Freight Station (AFS) at Virugambakkam, Tamil Nadu and one Unaccompanied Baggage Warehouse (UBW) at IGI Airport, Delhi.

2.3 Cargo Terminals & Integrated Check Posts (ICPs)

The management of the Cargo Terminal of the Integrated Check Post (ICP) at Attari (near Amritsar on Indo Pak border) has been entrusted to CWC by the Land Port Authority of India (LPAI). The performance of this ICP has been encouraging as the facility recorded 100% occupancy and earned gross revenue of Rs.54.45 crore during 2018-19 as against Rs. 53.28 crore during 2017-18. CWC income from the handling of Cargo Terminal at ICP, Attari has reduced due to imposition of higher custom duty on the imports from neighboring countries.

रहा। गत दो वर्ष की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम के प्रचालनात्मक निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:

(लाख मी.टन क्षमता)

क्र. स.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
1.	वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ			
क	औसत प्रचालन क्षमता	99.65	99.69	99.80
ख	औसत क्षमता उपयोगिता	74.27	78.73	82.91
ग	औसत क्षमता की उपयोगिता का प्रतिशत	75	79	83
2.	वस्तु-वार (औसत) उपयोगिता			
	खाद्यान्न	40.71	44.81	49.71
	उर्वरक	3.45	2.42	1.31
	अन्य	30.11	31.50	31.89
	कुल	74.27	78.73	82.91

2.2 आईसीडी / सीएफएस / एसीसी / एएफएस / यूबीडब्ल्यू का प्रचालन:

कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं मुख्य पोर्टों पर कंटेनरों की "सीधी पोर्ट डिलीवरी" (डीपीडी) में वृद्धि के बावजूद आपके निगम ने रिपोर्ट वर्ष के दौरान अपने 24 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) / इनलैंड क्लिअरेंस डिपो (आईसीडी) द्वारा 5.58 लाख टीईयू हैंडल किए। आपके निगम ने गोंवा में एक एअर कार्गो कॉम्प्लैक्स (एसीसी), विरुगमबक्कम, तमिलनाडु में एक एअर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एअरपोर्ट, दिल्ली में एक अनएकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (यूबीडब्ल्यू) का प्रचालन भी किया है।

2.3 कार्गो टर्मिनल एवं एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी):

एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) अटारी (अमृतसर के पास भारत-पाक सीमा पर) के कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम को सौंपा गया है। इस आईसीपी का निष्पादन उत्साहवर्धक है क्योंकि इस सुविधा ने 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की और वर्ष 2017–18 के 53.28 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2018–19 में 54.45 करोड़ रु. का सकल राजस्व प्राप्त किया (उच्च सीमा शुल्क लगाने और हमारे कारोबार पर इसके प्रभाव को उचित रूप से सामने लाया जाना चाहिए)।

The management of Cargo Terminal at ICP, Agartala, Tripura on Indo Bangladesh border is also entrusted by LPAI to CWC. This facility recorded 107% occupancy and earned gross revenue of Rs.4.02 crore during 2018-19 as against Rs. 3.49 crore during 2017-18.

Land Customs Station (LCS) at Petrapole, West Bengal on the Indo Bangladesh border facilitating the Import/Export trade with Bangladesh through land route has been converted into Integrated Check Post (ICP) on 12th February, 2016. The management of the facility of ICP, Petrapole has been entrusted by Land Port Authority of India (LPAI) to CWC on long term basis. During the year under report, the facility recorded 100% capacity utilization and earned gross revenue of Rs. 23.78 crore as against revenue of Rs. 21.19 crore earned during 2017-18.

2.4 Container Rail Transportation (CRT) Operations: CWC continued to run container trains between JN Port and ICD, Loni, Ghaziabad, besides transporting Exim containers between Loni and Mundra and Pipavav Ports through trains of other Container Train Operators (CTOs). During the year 2018-19, Corporation also commenced handling of cargo transported by rail at CW, Kalamboli.

2.5 Registration of warehouses under Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.

Your Corporation has registered 139 warehouses with WDRA with the objective to facilitate the farmers and others in availing credit facilities on the strength of Negotiable Warehouse Receipts (NWRs) issued through such WDRA registered warehouses. The Corporation has Memorandum of Agreement (MoA) with nine banks namely Central Bank of India, Punjab National Bank, Punjab & Sind Bank, Canara Bank, IDBI Bank, Andhra Bank, ICICI Bank, Corporation Bank and Syndicate Bank to facilitate credit facilities to farmers and others. During the year, 11234 numbers of NWRs were issued covering commodities of Rs. 988.90 crore value in storage.

2.6 Development of Private Freight Terminal (PFT)

CWC has commissioned a PFT at Nabha & Kalamboli .CWC is in the process of setting up rail side steel Silos of 50,000 MT capacity at Nabha. CWC has commissioned one Integrated Rail

भारत—बांग्लादेश सीमा पर आईसीपी, अगरतला (त्रिपुरा) के कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन कार्य भी एलपीएआई द्वारा निगम को सौंपा गया है। इस सुविधा ने 107 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की और वर्ष 2017–18 के 3.49 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2018–19 में 4.02 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया है।

भारत—बांग्लादेश सीमा पर पैट्रापोल, पश्चिम बंगाल में लैंड कर्स्टम स्टेशन (एलसीएस) सड़क मार्ग से बांग्लादेश के लिए आयात—निर्यात व्यापार की सुविधा प्रदान कर रहा है, इसे 12 फरवरी, 2016 में एकीकृत चैक पोर्ट (आईसीपी) में परिवर्तित कर दिया गया। आईसीपी, पैट्रापोल सुविधा का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम को दीर्घ अवधि आधार पर सौंपा गया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान इस सुविधा से 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग दर्ज किया गया और वर्ष 2017–18 के 21.19 करोड़ रु. के राजस्व की तुलना में 23.78 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया गया।

2.4 कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) प्रचालन:

केन्द्रीय भंडारण निगम लगातार अन्य कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (सीटीओ) की ट्रेनों के माध्यम से लोनी तथा मुंद्रा एवं पिपावाव बन्दरगाहों के बीच आयात—निर्यात कंटेनरों के परिवहन के अतिरिक्त जेएन पोर्ट तथा आईसीडी, लोनी (गाजियाबाद) के बीच कंटेनर ट्रेन चला रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने सैन्ड्रल वेअरहाउस, कालम्बोली में रेल द्वारा कार्गो परिवहन की हैडलिंग भी शुरू की है।

2.5 वेअरहाउसिंग (विकास एवं विनियामक) अधिनियम, 2007 के अधीन वेअरहाउसों का पंजीकरण:

आपके निगम के कुल 139 वेअरहाउस डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत हैं जिसका उद्देश्य डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत ऐसे वेअरहाउसों द्वारा जारी नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) के आधार पर किसानों एवं अन्य को ऋण की सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है। निगम ने 9 बैंकों अर्थात् सैन्ड्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, आंधा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कॉरपोरेशन बैंक तथा सिंडिकेट बैंक के साथ किसानों एवं अन्य को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए करार का ज्ञापन (एमओए) भी किया है। वर्ष के दौरान 11234 नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद जारी की गई जिसमें भंडारित की गई 988.90 करोड़ रु. मूल्य की वस्तुएं शामिल हैं।

2.6 निजी फ्रेट टर्मिनलों का विकास:

केंद्रीय भंडारण निगम ने नाभा और कालम्बोली में निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) शुरू किया है। केंद्रीय भंडारण निगम नाभा में 50,000 मी.टन क्षमता के रेलसाइंड स्टील साइलोज की

Terminal(IRT) at Kalamboli. CWC is also in the process of commissioning PFT at Bamanheri, Muzzafarnagar (UP).

2.7 Goods Train Handled at CW Kalamboli

Total 130 goods trains were handled during 2018-19 at CW Kalamboli as against 66 goods trains handled during the year 2017-18.

3. CAPITAL STRUCTURE

During the year under report, the authorized and paid-up capital of the Corporation remained unchanged at Rs. 100 crore and Rs. 68.02 crore respectively. The shareholding pattern remained unchanged. The shareholders are the Government of India, State Bank of India, 33 other Scheduled Banks, 401 Cooperative Societies, 7 Insurance Companies and 6 Recognized Associations/Companies dealing in agricultural produce.

4. CAPITAL EXPENDITURE

Capital expenditure of Rs.167.51 crore was incurred on construction of warehousing capacity, acquisition of land, IT infrastructure, furniture and other equipments etc. During the year 2018-19, additional storage capacity of 33540 MT was constructed at 5 locations in 3 states.

The details of centre-wise capacity addition are given below:-

Sr. No.	Centre	State	Capacity (In MT)
1.	Adilabad	Telangana	10000
2.	Hubli	Karnataka	10000
3.	Kannur	Kerala	5940
4.	Kakkancherry	Kerala	5000
5.	Kunnamthanam	Kerala	2600
TOTAL			33,540

Your Corporation has upgraded 19 warehouses during the year 2018-19, with this 106 warehouses are upgraded till 31st March, 2019. Your Corporation has also drawn up plan to upgrade about 172 more warehouses during the year 2019-20 and 2020-21.

स्थापना करने की प्रक्रिया में है। निगम ने कालम्बोली में एक इंटीग्रेटेड रेल टर्मिनल (आईआरटी) शुरू किया है। केंद्रीय भंडारण निगम बामनहेड़ी, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में भी यह पीएफटी शुरू करने की प्रक्रिया में है।

2.7 सैंट्रल वेअरहाउस, कालम्बोली में हैंडल की गई गुड्स ट्रेन:

सैंट्रल वेअरहाउस, कालम्बोली में वर्ष 2017–18 में हैंडल की गई 66 गुड्स ट्रेन की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 130 गुड्स ट्रेन हैंडल की गई।

3. पूंजी संरचना

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह क्रमशः 100 करोड़ रु. और 68.02 करोड़ रु. रही। अंशधारण पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत सरकार, भारतीय रेस्टेट बैंक, 33 अन्य अधिसूचित बैंक, 401 सहकारी समितियां, 7 बीमा कंपनियां और 6 कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं/कंपनियां अंशधारी हैं।

4. पूंजी व्यय:

भंडारण क्षमता के निर्माण, भूमि अधिग्रहण, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर और अन्य उपकरण इत्यादि पर 167.17 करोड़ रु. का पूंजी व्यय किया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान 03 राज्यों में 05 स्थानों पर 33540 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया।

जोड़ी गई क्षमता का केन्द्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य	क्षमता (मी.टन में)
1.	अदीलाबाद	तेलंगाना	10,000
2.	हुबली	कर्नाटक	10,000
3.	कन्नूर	केरल	5,940
4.	काकनचेरी	केरल	5,000
5.	कुल्लमथानम	केरल	2,600
कुल			33,540

आपके निगम ने वर्ष 2018–19 में 19 वेअरहाउसों को अपग्रेड किया। इस प्रकार 31.03.2019 तक 106 वेअरहाउसों को अपग्रेड किया गया। आपके निगम ने वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में और 172 वेअरहाउसों को अपग्रेड करने की भी योजना बनाई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपके निगम की देश के विभिन्न स्थानों में 1.25 लाख मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण की योजना है। इसके अलावा नाभा, पंजाब में पीपीपी

Your Corporation has planned to construct additional storage capacity of 1.25 lakh MT at various locations in the country during the financial year 2019-20. In addition to this, CWC has also planned to take up the work of Rail Linked 50000 MT capacity Silos at Nabha, Punjab on PPP mode. There are also plans to construct Seed Processing Units and godowns as deposit work for National Fertilizers Limited at 03 locations each of 4400 MTC at Panipat (Haryana), Bathinda (Punjab) and Indore (Madhya Pradesh).

5. INFORMATION TECHNOLOGY

- 5.1 The Corporation in its endeavor to leverage Information Technology (IT) for its growth, operational efficiency, transparency, competitiveness, mitigation of challenges of manpower depletion etc is adopting the latest development of industry in technology upgradation like WMS, HRMS, Tally ERP, CFS/ICD, ICP, CCTV, Video Conferencing, DOS, CCTVetc. These IT project envisaged linking all the operational units of Corporation to facilitate faster decision both at the Corporate Office and Regional Office level. In addition, the systems will seamlessly integrate with Financial Accounting, Human Resource Management, Payroll, E-payment gateway, Cash Management System etc.
- 5.2 Warehouse Management System (WMS), a cloud based application, automating the various functions is being implemented at all warehouses in the Corporation where customer not only can browse information about warehouses across PAN India but also can book the warehousing space online. Out of 380 warehouses, digitization and data migration has been completed at 369 warehouses.
- 5.3 Tally ERP, a cloud based application, automating the financial functions for managing financial data online has been successfully implemented at all Regional Offices and Corporate Office.
- 5.4 CFS-ICD Automation Application, a cloud based application, automating the function of CFSs and ICDs has been implemented at CFS Kolkata, Kandla, Madhvaram, Patparganj, Ambad, Waluj and at remaining CFSs/ICDs, it is being implemented.
- 5.5 To strengthen the security system at warehouses, CCTV Surveillance System has already been installed at 280 locations and work is in progress at remaining warehouses.
- 5.6 FCI's Depot Online System have been installed at 156 warehouses.
- 5.7 The File Tracking System has been successfully implemented at all the divisions at the Corporate Office.

मोड पर 50,000 मी.टन क्षमता के रेल लिंकड साइलो के कार्य की भी योजना है। आपके निगम की नेशनल फर्टिलाइजर लि. के जमा कार्य के रूप में पानीपत (हरियाणा), भटिंडा (पंजाब) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में तीन स्थानों पर प्रत्येक में 4400 मी.टन क्षमता के सीड प्रोसेसिंग यूनिट और गोदामों के निर्माण की भी योजना है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी

- 5.1 निगम अपनी वृद्धि, परिचालन दक्षता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, जनशक्ति कमी की चुनौतियों का शमन आदि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का लाभ उठाने के प्रयास में डब्ल्यूएमएस, एचआरएमएस, टैली ईआरपी, सीएफएस/आईसीडी, आईसीपी, सीसीटीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डॉस, सीसीटीवी जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन में उद्योग के नवीनतम विकास को अपना रहा है। इन सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं ने निगमित कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय दोनों स्तरों पर तेजी से निर्णय लेने की सुविधा के लिए निगम की सभी परिचालन इकाईयों को जोड़ने की परिकल्पना की। इसके अलावा, यह प्रणाली वित्तीय लेखांकन, मानव संसाधन प्रबंधन, पेरोल, ई-भुगतान गेटवे, कैश मैनेजमेंट सिस्टम आदि के साथ सहजता से एकीकृत होगा।
- 5.2 वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस), एक क्लाउड आधारित एप्लिकेशन है, जिससे विभिन्न कार्यों को स्वचालित करके निगम के सभी गोदामों में लागू किया जा रहा है, जहां ग्राहक न केवल देश भर के गोदामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वेअरहाउसिंग स्थान को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। 380 गोदामों में से, 370 गोदामों में डिजिटाइजेशन और डेटा माइग्रेशन पूरा हो चुका है।
- 5.3 टैली ईआरपी, एक क्लाउड आधारित एप्लीकेशन है जिससे वित्तीय डेटा को ऑनलाइन व्यवस्थित करने के लिए वित्तीय कार्यों को स्वचालित करके सभी वेअरहाउसों, क्षेत्रीय कार्यालयों और निगमित कार्यालय में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- 5.4 सीएफएस-आईसीडी ऑटोमेशन एप्लीकेशन, क्लाउड आधारित एप्लिकेशन है जिससे सीएफएस और आईसीडी के कार्य को स्वचालित करके सीएफएस कोलकाता, कांडला, माधवारम, पटपड़गंज, अंबड़, वालुज में लागू किया गया है और शेष सीएफएस/आईसीडी में लागू किया जा रहा है।
- 5.5 गोदामों में सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, 280 स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली पहले ही स्थापित की जा चुकी है और शेष गोदामों पर कार्य प्रगति पर है।
- 5.6 भारतीय खाद्य निगम का डिपो ऑनलाइन सिस्टम 156 गोदामों में स्थापित किया गया है।
- 5.7 निगमित कार्यालय के सभी विभागों में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

- 5.8 On the Human Resource (HR) front, Payroll, CPF, Pension, Medical reimbursement, Income tax investment documents, digitization of ISO documents, Annual Performance Review (APR), Leave, LTC etc. have been successfully automated.
- 5.9 Vigilance Information System (VIS), has been implemented in the Corporation automating the various activities of the Vigilance Division for regular monitoring and speeding up the disposal of complaints/investigations/Penalty/awards etc. besides online submission of periodical returns to the CVC.
- 5.10 Corporation has also registered its presence on the social media through Facebook & Twitter Accounts. The latest news and important activities of the Corporation are regularly shared with the public through social media.
- 5.11 Corporation has implemented Video Conferencing facility at Corporate Offices and Regional Offices for carrying out periodical meetings, discussions and reports on the important issues.
- 5.12 Official website of the Corporation has been hosted on the web which carries updated information about the various verticals of CWC besides tender hosting.
- 5.13 Corporation also maintains e-tendering website that supports online hosting and submitting of CWC's tenders, e-tendering/e-auctioning services for greater publicity.

6. STANDARDISATION/CERTIFICATIONS

Your Corporation successfully implemented and maintained upgraded Quality Standard ISO 9001:2015. All the 368 own constructed warehouses/CFSs/ICDs/ACCs and 15 Regional Offices and Corporate Office have been certified under ISO 9001:2015 for QMS, ISO 14001:2015 for EMS and OHSAS 18001:2007 for occupational Health & Safety Management System.

7. WHOLLY OWNED SUBSIDIARY:

The Central Railside Warehouse Company Limited (CRWC) was incorporated on 10th July, 2007 and received the certificate for commencement of business on 24th July, 2007. CRWC is wholly owned subsidiary company of CWC with investment of Rs. 40.56 crore in its equity.

7.1 CRWC has been operating 20 Railside Warehouse Complexes (RWCS) with an aggregate storage capacity of 346267 MT and has handled 127463 wagons during the year 2018-19.

- 5.8 मानव संसाधन (एचआर) के क्षेत्र में पेरोल, सीपीएफ, पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आयकर निवेश दस्तावेज, आईएसओ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (एपीआर) अवकाश, एलटीसी आदि को सफलतापूर्वक स्वचालित किया गया है।
- 5.9 नियमित निगरानी और सीवीसी को समय-समय पर ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के अलावा शिकायतों/जांच/दंड/पुरस्कार आदि के शीघ्र निपटान के लिए निगम में सतर्कता सूचना प्रणाली (वीआईएस) लागू कर सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियों को स्वचालित किया गया है।
- 5.10 निगम फेसबुक और ट्रिवटर एकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। निगम के नवीनतम समाचार और महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियमित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जाता है।
- 5.11 निगम ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय-समय पर होने वाली बैठकों, चर्चाओं और रिपोर्टों के लिए नियमित कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग सुविधा को लागू किया है।
- 5.12 निगम की अधिकारिक वेबसाइट को वेब पर होस्ट किया गया है जो केंद्रीय भंडारण निगम के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी के अलावा टैंडर होस्टिंग भी करता है।
- 5.13 निगम ने ई-टैंडरिंग वेबसाइट भी तैयार की है जो ऑनलाइन होस्टिंग और व्यापक प्रचार के लिए सीडब्ल्यूसी के टैंडर, ई-टैंडरिंग/ई-नीलामी सेवाओं को सपोर्ट करती है।

6. मानकीकरण/प्रमाणन

आपको निगम ने उन्नत गुणवत्ता मानक आईएसओ 9001: 2015 को सफलतापूर्वक कार्यान्वित एवं व्यवस्थित रखा है। सभी 368 स्वनिर्मित वेअरहाउसों/सीएफएस/आईसीडी/एसीसी और 15 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं नियमित कार्यालय को क्यूएमएस के लिए आईएसओ 9001: 2015, ईएमएस के लिए आईएसओ 14001:2015 तथा व्यावसायिक स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ओएचएसएस 18001:2007 को प्रमाणित किया गया।

7. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सी आर डब्ल्यूसी) का गठन 10 जुलाई, 2007 को हुआ और इसने व्यावसायिक शुरूआत के लिए 24 जुलाई, 2007 को प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सीआरडब्ल्यूसी केन्द्रीय भंडारण निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी इकिवटी में 40.56 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

7.1 सीआरडब्ल्यूसी कुल 346267 मी.टन की भंडारण क्षमता से 20 रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्प्लैक्स (आर डब्ल्यू सी) का प्रचालन कर रहा है और 2018-19 में 127463 वैगन हैंडल किए गए।

7.2 Construction of 13800 MTC RWC at Pahleja ,Biharin place of existing terminal at Dehri-on-Sone has been completed and Rail connectivity is likely to be restored in a month.

7.3 Construction of 20400 MT warehouse at Fatuha, Bihar has been started and the same will be completed shortly.

7.4 Additional RWCs are being planned at New Jalpaiguri, Indore, Mancheshwari for which detailed feasibility study and project planning is in progress.

7.5 The financial details of CRWC for the last three years is as follows:-

(Rs. in Crore)				
Year	Income	Expenditure	Profit Before Tax	Profit After Tax
2016-17	86.71	66.99	19.72	12.68
2017-18	96.88	73.24	23.64	15.33
2018-19	87.94	71.58	16.36	14.88

8. STATE WAREHOUSING CORPORATIONS (SWCs)

As on 31st March, 2019, there were 19 State Warehousing Corporations. Your Corporation holds 50% equity in these 19 State Warehousing Corporations (SWCs) with the respective State Governments holding the remaining 50% of the equity. As on 31st March, 2019, these SWCs were operating a network of 2145 warehouses with an aggregate storage capacity of 340.83 lakh MT. During the year, 7.25 lakh MT of owned constructed storage capacity was added by the SWCs. Details of the storage capacity operated by SWCs are given below and at Annex-I

Storage Capacity	2016-17	2017-18	2018-19
Owned/Constructed	172.20	174.03	181.28
Hired (Covered)	36.73	81.09	73.39
Plinth	3.58	2.30	2.17
Management Warehousing	57.53	51.35	83.99
Total	270.04	308.77	340.83
No. of Warehouses	1820	1929	2145

7.2 देहरी—ऑन सोन में मौजूदा टर्मिनल के स्थान पर पहलेजा, बिहार में 13800 मी.टन क्षमता के रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्प्लैक्स का निर्माण पूरा हो गया है और एक महीने में रेल कनेक्टिविटी होने की संभावना है।

7.3 फतुहा, बिहार में 20400 मी.टन क्षमता के वेअरहाउस का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जिसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

7.4 न्यू जलपाईगुड़ी, इंदौर, मनचेश्वर में अतिरिक्त रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्प्लैक्स के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन एवं प्रोजेक्ट की योजना प्रगति पर है।

7.5 सीआरडब्ल्यूसी का गत तीन वर्षों का वित्तीय विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	कर-पूर्व लाभ	कर-पश्चात् लाभ
2016–17	86.71	66.99	19.72	12.68
2017–18	96.88	73.24	23.64	15.33
2018–19	87.94	71.58	16.36	14.88

8. राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को 19 राज्य भंडारण निगम थे। आपके निगम की इन 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) में 50 प्रतिशत इकिवटी है तथा शेष 50 प्रतिशत इकिवटी संबंधित राज्य सरकारों की है। 31 मार्च, 2019 को ये राज्य भंडारण निगम 340.83 लाख मी.टन की कुल भंडारण क्षमता के 2145 वेअरहाउस चला रहे थे। वर्ष के दौरान राज्य भंडारण निगमों द्वारा 7.25 लाख मी.टन की स्वयं निर्मित भंडारण क्षमता बढ़ाई गई। राज्य भंडारण निगमों द्वारा परिचालित भंडारण क्षमता का विवरण नीचे तथा अनुलग्नक-1 में दिया गया है:—

(क्षमता लाख मी.टन में)

भंडारण क्षमता	2016-17	2017-18	2018-19
निजी/निर्मित	172.20	174.03	181.28
किराये पर (कवर्ड)	36.73	81.09	73.39
प्लिन्थ	3.58	2.30	2.17
प्रबंधन वेअरहाउसिंग	57.53	51.35	83.99
कुल	270.04	308.77	340.83
वेअरहाउसों की संख्या	1820	1929	2145

As on 31st March, 2019, the aggregate investment by your Corporation in the equity of the SWCs stood at Rs. 61.79 crore. The details of investment in SWCs are given at Annex -II. During the year under report, 11 SWCs held their 15 AGMs and an amount of Rs. 18.40 crore was declared as dividend. The details of the dividend declared by the SWCs and amount received by CWC are given at Annex -III.

9. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

9.1 Your Corporation takes pride in having a motivated and competent Human Resource that has contributed its best to bring the Corporation to its present heights. As on 31st March, 2019, the total strength of the Corporation stood at 3042 employees as against 3570 employees at the end of the preceding year.

With a balanced mix of young and experienced employees, it is now a vibrant, progressive and innovation oriented organization. CWC has consistently strived towards creating an employee value proposition by putting special focus on learning and development and instituting best in-industry practices.

The Corporation follows the Government of India directives on reservation of SCs, STs and OBCs. At present, the SCs and STs (excluding Safaiwala) constitute 25.99% of the total strength of the Corporation. The group- wise strength /population of staff as on 31st March, 2019 was as under:-

Group	Total Employees	SC	ST	Total	% of SCs/ STs
A	284	47	18	65	22.88%
B	746	134	30	164	21.98%
C	1658	325	120	445	26.83%
D(Excl. Safaiwala)	216	50	31	81	37.50%
Total	2904	556	199	755	25.99%
D(Safaiwala)	138	97	-	97	70.28%
Grand Total	3042	653	199	852	28.00%

31 मार्च, 2019 को आपके निगम द्वारा राज्य भंडारण निगमों की इकिवटी में 61.79 करोड़ रु. का कुल निवेश किया गया। राज्य भंडारण निगमों में किए गए निवेश का ब्योरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान 11 राज्य भंडारण निगमों ने अपनी 15 वार्षिक साधारण बैठकें आयोजित कीं तथा लाभांश के रूप में 18.40 करोड़ रु. की राशि घोषित की। राज्य भंडारण निगम द्वारा घोषित लाभांश एवं केंद्रीय भंडारण द्वारा प्राप्त राशि का ब्योरा अनुलग्नक-III पर दिया गया है।

9. मानव संसाधन विकास

9.1 आपका निगम अपने बेहद प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन में गर्व महसूस करता है जिन्होंने निगम को वर्तमान ऊंचाईयों पर लाने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। 31 मार्च, 2019 तक निगम के कर्मचारियों की संख्या 3042 थी जबकि पिछले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 3570 थी।

युवा और अनुभवी कर्मचारियों का आपसी संतुलन होने के साथ, यह अब जीवंत, प्रगतिशील और नवपरिवर्तन उन्मुख संगठन है। केन्द्रीय भंडारण निगम सीखने एवं विकास तथा सर्वोत्तम औद्योगिक पद्धतियाँ स्थापित करने पर विशेष ध्यान देकर कर्मचारी महत्व को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर भारत सरकार के अनुदेशों का अनुपालन करता है। वर्तमान में, निगम के कुल कर्मचारियों में से 25.99 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) के हैं। 31 मार्च, 2019 को कर्मचारियों की समूहवार संख्या निम्नानुसार थी :

समूह	कुल कर्मचारी	अनु.जाति	अनु.जनजाति	कुल	अनु.जाति/अनु.जन-जातियों का प्रतिशत
क	284	47	18	65	2.88%
ख	746	134	30	164	21.98%
ग	1658	325	120	445	26.83%
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	216	50	31	81	37.50%
कुल	2904	556	199	755	25.99%
घ (सफाई कर्मचारी)	138	97	-	97	70.28%
कुल योग	3042	653	199	852	28.00%

9.2 Training of Personnel:

Your Corporation lays adequate emphasis on Human Resource Development (HRD) activities. During the year under report, a number of need based training programmes were conducted on different functional areas for upgrading the skills and competencies of the officials. These training programmes were also availed by the officials of State Warehousing Corporations (SWCs). Details of the officials trained during 2018-19 are given below:-

Sr. No	Nature of training	No. of Officials trained at CO & Hapur			No. of Officials trained at ROs			Total
		CWC	SWC	Others	CWC	SWC	Others	
1.	In-house Programme CO/Hapur – 39 Nos. RO - 38 Nos.	1153	71	27	1488	-	-	2739
2.	08 Special training programmes for IGMRI on payment basis at Hapur	38	11	148	-	-	-	197
3.	02 Special training programmes for IGMRI on non-payment basis at Hapur	--	11	26	-	-	-	37
4.	04 Special training programmes for WDRA on payment basis at Ahmedabad/ Bangalore/ Coimbatore/ Hapur	-	-	140	-	-	-	140
5.	Nominations to other Institutes	106	-	-	-	-	-	106
6.	01 Residential MDP on “Warehouse Design & Management” at IIM Ahmedabad	19	-	-	-	-	-	19
7.	Nominations to other Institutes abroad	02	-	-	-	-	-	02
Total		1318	93	341	1488	-	-	3240

It is pertinent to mention that on account of Warehouse Management System (WMS) Module introduced in CWC for efficient upkeep, documentation and maintenance of stock of allied commodities at warehouses, WMS trainings were held at Regional Offices on a PAN India Basis. Besides, several computer trainings and trainings on ISO Audit & electronic-Negotiable Warehouse Receipt (e-NWR) were also held.

9.2 कार्मिकों का प्रशिक्षण:- आपका निगम मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियों पर पर्याप्त बल देता है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, कर्मचारियों की कुशलता और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में आवश्यकतां आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) के कर्मचारियों द्वारा भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	निगमित कार्यालय तथा हापुड़ में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या			क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या			कुल
		केभनि	राभनि	अन्य	केभनि	राभनि	अन्य	
1	इनहाउस कार्यक्रम निगमित कार्यालय/ हापुड़-संख्या 39 क्षेत्रीय कार्यालय-संख्या 38	1153	71	27	1488	-	-	2739
2	हापुड़ में भुगतान आधार पर आईजीएमआरआई के लिए 08 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	38	11	148	-	-	-	197
3	हापुड़ में गैर-भुगतान आधार पर आईजीएमआर के लिए 02 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	--	11	26	-	-	-	37
4	डब्ल्यू डी आर ए के लिए भुगतान आधार पर अहमदाबाद/ बैंगलुरु कोयम्बटूर/ हापुड़ में 04 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-	140	-	-	-	140
5	अन्य संस्थानों को नामांकन	106	-	-	-	-	-	106
6	आईआईएम, अहमदाबाद में "वेअरहाउस डिजाइन और प्रबंधन" पर 01 आवासीय एमडीपी	19	-	-	-	-	-	19
7	विदेश में अन्य संस्थानों को नामांकन	02	-	-	-	-	-	02
कुल		1318	93	341	1488	-	-	3240

यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि कुशल रख-रखाव, दस्तावेजीकरण तथा वेअरहाउसों में संबद्ध वस्तुओं के स्टॉक के अनुरक्षण के लिए निगम में शुरू किए गए वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) मॉड्यूल के कारण अखिल भारतीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में डब्ल्यूएमएस प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त अनेक कम्प्यूटर प्रशिक्षण और आई.एस.ओ ऑडिट एवं इलेक्ट्रानिक-नैगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) पर प्रशिक्षण भी दिए गए।

A. Within India:

Your Corporation signed a MoU with the Department of Food and Public Distribution on 25th October, 2012 for taking over the facilities of IGMRI, Hapur for developing it as a center of excellence for the purpose of training in post-harvest management of food grains and other agricultural commodities. The Training Institute at IGMRI Campus, Hapur had started functioning w.e.f. 8th May, 2013. During the year 2018-19, CWC conducted 39 in-house residential training programmes (which includes 30 training programmes conducted at CO and 09 training programmes conducted at IGMRI Hapur – excluding ministerial programmes) for the employees of CWC & SWCs at CO/Training Institute at Hapur. The training programmes are conducted by CWC in different functional areas for the benefit of FCI, CWC, SWCs, State Government agencies, Private Entrepreneurs and WDRA sponsored agencies. During the year, Corporation had trained 434 participants (including 140 sponsored by WDRA) of other Departments/SWCs/Institutes/private participants in different training programmes and realized Rs. 100.36 lakh towards course fee & hostel charges.

B. Nominations abroad:

S .No.	Name & Designation	Duration	Country visited	Purpose
1	Sh. S. C. Mudgerikar Director (M&CP)	Aug.20 – Sep.08, 2018	Singapore, Shanghai & Beijing	“7 th Advanced Global Leadership Programme” organized by SCOPE.
2	Sh. S. Charles, Director (Finance)	Oct.29 – Nov.02, 2018	Washington D.C.	“Advanced Leadership Programme on Governance & Innovation for Chief Executives of CPSEs” organized by SCOPE

9.3. Foundation Day:-Central Warehousing Corporation (CWC) celebrated its 63rd Foundation Day across the organization on 2nd March, 2019. A cultural programme was organized by the Corporate Office. On this occasion, Shri Dharmender, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Govt. of India was the Chief Guest and other dignitaries also graced the occasion. Foundation Day at all the Field Units was celebrated with great enthusiasm and grand success.

क. भारत में:

आपके निगम ने खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि वस्तुओं के फसल बाद प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आईजीएमआरआई, हापुड़ की सुविधाओं को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आईजीएमआरआई परिसर, हापुड़ स्थित प्रशिक्षण संस्थान ने 08 मई, 2013 से कार्य करना शुरू कर दिया था। वर्ष 2018-19 के दौरान, केन्द्रीय भंडारण निगम ने निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के कर्मचारियों के लिए निगमित कार्यालय एवं हापुड़ प्रशिक्षण संस्थान में 39 आंतरिक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें मंत्रालय के कार्यक्रमों को छोड़कर, निगमित कार्यालय में आयोजित 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आईजीएमआरआई, हापुड़ में आयोजित 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी उद्यमों तथा डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित एजेंसियों के लाभ के लिए विभिन्न

प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, निगम ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अन्य विभागों/राज्य भंडारण निगमों/संस्थाओं/निजी प्रतिभागियों के 434 प्रतिभागियों (डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित 140 प्रतिभागियों सहित) को प्रशिक्षित किया तथा पाठ्यक्रम शुल्क एवं होस्टल प्रभारों के रूप में 100,36 लाख रु. वसूल किए।

ख. विदेश में नामांकन:

क्र.संख्या	नाम और पद	अवधि	देश दौरा	उद्देश्य
1	श्री एस.सी. मुदगेरीकर निदेशक (एम और सीपी)	30 अगस्त – 08 सितम्बर, 2018	सिंगापुर, शंघाई और बीजिंग	स्कोप द्वारा आयोजित “7 वां एडवांस वैश्विक नेतृत्व कार्यक्रम”
2	श्री एस.चार्ल्स निदेशक (वित्त)	29 अक्टूबर – 02 नवम्बर, 2018	वाशिंगटन डी. सी.	स्कोप द्वारा आयोजित “सीपीएसईएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए शासन और नियाचार पर एडवांस नेतृत्व कार्यक्रम”

9.3 स्थापना दिवस : केन्द्रीय भंडारण निगम (के.भ.नि.) द्वारा 02 मार्च, 2019 को पूरे संगठन में 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निगमित कार्यालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री धर्मेन्द्र, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण), भारत सरकार, मुख्य अतिथि थे तथा उनके साथ अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देश के सभी केन्द्रों में स्थापना दिवस अत्यंत उत्साह के साथ सफलतापूर्वक मनाया गया।

9.4 Swachh Bharat Mission:- CWC actively participated in Swachh Bharat Mission launched by Govt. of India by carrying out special cleanliness drives during the year. The activities included upkeep and cleaning of offices including common area, toilets, stairs, lifts, area outside the office, weeding out of old files and records at Corporate Office, Regional Offices and Warehouses. A sum of Rs. 129.25 lakh has been contributed by the Corporation to "Swachh Bharat Kosh" & Rs. 20.49 lakh in "Namami Gange" Fund during 2018-19. The painting competition for the kids to aware them about cleanliness was also organized during the "Swachh Pakhwada."

9.5 Industrial Relations:- Industrial Relations during the year 2018-19 remained cordial. There was no incident of industrial unrest or strike during the period.

9.6 MoU Targets on HRM:

During the year, following targets were included in the MoU signed with the Department of Food & Public Distribution. The target viz-a-viz achievements are as under:-

Evaluation Parameter		Target for Excellent	Actual Achievement
(a)	Assessment of level in line with People Capability Maturity Model (PCMM) or its equivalent in the CPSE & placing the matter before the Board for taking a decision whether to go for up-gradation in level and, yes, getting the approval for the timelines from the Board. If not, justifiable reason to be recorded in the Board Resolution (Target Date)	15.12.2018	03.12.2018
(b)	On-line Human Resource Management System (HRMS) Implementation (consisting of online employee data administration, employee self-service, exit procedure, talent management etc.) and its integration with Finance (Target Date)	15.12.2018	03.12.2018
(c)	HR Audit and decision of the Board on recommendations of audit (Target Date)	15.12.2018	11.12.2018

10. SPECIAL ACHIEVEMENTS

Your company continued to excel in fields of its activities and was a proud recipient of the following awards during the year:-

9.4 स्वच्छ भारत अभियान: वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सक्रिय रूप से भाग लिया। इन गतिविधियों में कार्यालयों जैसे कॉमन एरिया, प्रसाधन, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, कार्यालय के बाहरी क्षेत्र में सफाई रखना निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वेअरहाउसों की पुरानी फाइलों एवं रिकार्डों की वीडिंग आउट करना शामिल है। वर्ष 2018-19 के दौरान निगम द्वारा 129.25 लाख रु. का योगदान “स्वच्छ भारत कोष” में तथा “नमामी गंगे कोष” में 20.49 लाख रु. का योगदान दिया गया। “स्वच्छ पर्यावाङ्मय” के दौरान बच्चों को स्वच्छता के विषय में जागरूक करने के लिए पैट्रिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

9.5 औद्योगिक संबंध : वर्ष 2018-19 के दौरान संगठन में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। इस अवधि में औद्योगिक अशांति या हड़ताल की कोई घटना नहीं हुई।

9.6 मानव संसाधन प्रबंधन पर एमओयू लक्ष्य:

वर्ष के दौरान, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल किए गए। लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

	मूल्यांकन मानदण्ड	उत्कृष्टता हेतु लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
(क)	लोगों की क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) के अनुरूप स्तर का निर्धारण अथवा सीपीएसइ में इसके समकक्ष तथा बोर्ड के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करना यह निर्णय लेने के लिए कि क्या इस स्तर पर अप्रेडेशन किया जाए और यदि हाँ, तो बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना। यदि नहीं, तो बोर्ड संकल्प में यथोचित कारण रिकार्ड किया जाना। (लक्षित तिथि)	15.12.2018	03.12.2018
(ख)	ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) क्रियान्वयन (ऑनलाइन कर्मचारी आंकड़े प्रशासन / कर्मचारी स्वयं सेवा, निकासी प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन इत्यादि सहित और वित्त के साथ इसका एकीकरण। (लक्षित तिथि)	15.12.2018	03.12.2018
(ग)	एच आर ऑडिट और ऑडिट की अनुशंसाओं पर बोर्ड का निर्णय (लक्षित तिथि)	15.12.2018	11.12.2018

10. विशेष उपलब्धियाँ

आपके निगम ने अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखी तथा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए:-

10.1 3rd National Award for “Excellence in Cost Management- 2017” was given by the Institute of Cost Accountants of India in PSU Category i.e. Public Sector – Service Sector Medium in Transportation & Logistics.

10.2 1st Prize in “Rajbhasha Kirti Puraskar” for best in-house quarterly Magazine “Bhandaran Bharti” for the year 2017-18 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on 14th September, 2018 awarded by Hon’ble Vice-President of India.

10.3 1st prize for best publication for quarterly magazine “Bhandaran Bharti” for the year 2017-18 from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi on 25th September, 2018.

10.4 2nd prize for excellent performance in ‘Implementation of Official Language for the year 2017-18’ on 25th September, 2018 by the Department of Food and Public Distribution, Govt. of India among its undertakings and subordinate offices.

11. ENERGY CONSERVATION

11.1- Conservation of Energy

As a part of continued efforts towards energy conservation for the last one year, electrical fittings in the warehouses have been provided with the LED lights.

Your Corporation has also constructed 73 nos. of Rain Water Harvesting Structures at an investment of Rs.104.85 lakh to harness the rain water so as to improve the ground water level.

12. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

During the year under report, your Corporation has spent 14470 \$ (USD) as participation fees of Director (M&CP) in 7th Advanced Global Leadership programme from 20th August - 8th September, 2018 at Singapore/Shanghai and 13420 \$ (USD) as participation fees of Director (Finance) in Advanced Leadership Programme on Governance & Innovation for Chief Executives of CPSEs from 29th October- 2nd November, 2018 at Washington D.C. The total amount spent was Rs. 19.61 lakh.

10.1 पीएसयू कैटेगरी में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानि पब्लिक सेक्टर-सर्विस सेक्टर मीडियम इन ट्रांस्पोर्टेशन एण्ड लॉजिस्टिक्स द्वारा “एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट-2017” का तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कार”।

10.2 वर्ष 2017-18 के लिए निगम की त्रैमासिक गृह पत्रिका “भण्डारण भारती” को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से 14 सितम्बर, 2018 को माननीय उप राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।

10.3 निगम की त्रैमासिक गृह पत्रिका “भण्डारण भारती” को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) दिल्ली द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को वर्ष 2017-18 के लिए श्रेष्ठ गृह पत्रिका के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

10.4 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने उपक्रमों तथा /अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2017-18 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए निगम को दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

11. ऊर्जा संरक्षण

11.1 ऊर्जा संरक्षण:

गत एक वर्ष में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के रूप में वेअरहाउसों में इलैक्ट्रीकल फिटिंग में एलईडी लाईटें उपलब्ध कराई गई।

आपके निगम ने वर्षा जल के उपयोग से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 73 वर्षा जल संचयन संरचना भी लगाई जिसमें 104.85 लाख रु. का निवेश किया गया।

12. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपके निगम में दिनांक 20 अगस्त- 08 सितम्बर, 2018 को सिंगापुर/शंघाई में आयोजित 7वीं एडवांस ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम” में आपके निदेशक (एमएंडसीपी) के प्रतिभागिता शुल्क के रूप में 14,470 डॉलर (यूएसडी) तथा दिनांक 29.10.2018 से 02.11.2018 के लिए वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम ऑन गवर्नेंस एंड इनोवेशन फॉर एकजीक्यूटीव ऑफ सीपीएसई” में निदेशक (वित्त) की प्रतिभागिता शुल्क के रूप में 13,420 डॉलर (यूएसडी) खर्च किए। कुल खर्च की गई राशि 19,61 लाख रुपये है।

13. TECHNICAL & QUALITY CONTROL:

13.1 Quality Control and Preservation:-Central Warehousing Corporation being a premier organization for scientific storage, is making utmost efforts to preserve the stock of its valued depositors in good condition till its delivery, subject to natural shrinkage, driage and calamities beyond its control. The qualified and trained technical personnel of the Corporation maintain the quality of stocks by undertaking timely prophylactic and curative treatment as and when required. The detail of work undertaken during the year 2018-19 is as under: -

Sr. No.	Particulars	In lakh MT
1	Qty. of stock prophylactically treated	437.44
2	Qty. of stock fumigated/including Initial Fumigation	160.42

- 13.2 Sample Analysis Laboratories:-**Analysis of food grain stocks is being done regularly during receipt and storage of the stock at the warehouses. In order to have verification of the quality of the stocks received at the warehouse, some of the samples drawn during inspection are referred to Central Warehousing Corporation Grain Analysis Laboratories situated at Chandigarh, Hyderabad and Ahmedabad. During the year 2018-19, 1457 nos. of samples were analyzed.
- 13.3 Farmers Extension Service Scheme:-**The basic objective of this scheme is to create awareness amongst the farmers about scientific storage of foodgrains, use of public warehouses and assisting the farming community to get loans against pledge of the warehouse receipt. This scheme is being operated through 313 warehouses all over the country. 5532 number of villages were visited and 238060 farmers were educated during the year 2018-19. During the year 2018-19, training programs of two days duration were organized for 855 farmers. The farmers were educated for minimizing the Post-Harvest losses and at the end of the training programme, all the trainee farmers were given metallic storage bins free of cost under the CSR scheme of the Corporation. Besides, in order to acquaint the farmers about benefits of Warehousing (Development & Regulation) Act, 2007 and Negotiable Warehouse Receipt system, 40 special training programmes were conducted in which 2007 farmers participated.

13. तकनीकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

13.1 गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिरक्षण. केन्द्रीय भंडारण निगम वैज्ञानिक भंडारण के लिए एक प्रमुख संगठन के तौर पर अपने मूल्यवान जमाकर्ताओं के स्टॉक को डिलीवरी तक अच्छी स्थिति में परिरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास करता है बशर्ते कि निगम के नियंत्रण से परे, कोई प्राकृतिक संकुचन, सूखा और आपदाएं न हों। निगम के योग्य एवं प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों द्वारा समय—समय पर, जब आवश्यक हो रोग—रोधी एवं उपचारात्मक उपायों द्वारा स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान इस प्रकार के किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	विवरण	लाख मी.टन में
1	रोग—रोधी उपचार किए गए स्टॉक की मात्रा	437.44
2	प्रधूमित/प्रारंभिक प्रधूमन सहित स्टॉक की मात्रा	160.42

13.2 नमूना विश्लेषण प्रयोगशालाएँ: वेरहाउसों में स्टॉक की प्राप्ति और भंडारण के दौरान खाद्यान्नों के स्टॉक का विश्लेषण नियमित रूप से किया जा रहा है। वेरहाउस में प्राप्त स्टॉक की गुणवत्ता का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण के दौरान लिए गए कुछ नमूनों को चंडीगढ़, हैदराबाद और अहमदाबाद स्थित केन्द्रीय भंडारण निगम अनाज विश्लेषण प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान, 1457 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

13.3 किसान विस्तार सेवा योजना: इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों में खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण, सार्वजनिक गोदामों के उपयोग तथा कृषक समुदाय को वेरहाउस रसीद गिरवी रखकर ऋण लेने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु जागरूकता पैदा करना है। यह योजना पूरे देश में 313 वेरहाउसों के माध्यम से चलाई जा रही है। वर्ष 2018–19 के दौरान, 5532 गांवों का दौरा किया गया और 238060 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। 2018–19 के दौरान, 855 किसानों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसानों को फसल बाद की हानि को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षु किसानों को निगम की सीएसआर योजना के तहत निःशुल्क मैटल स्टोरेज बिन दिए गए।

- 13.4 **Quarantine Fumigation:-**Food grain stock as and when received at the warehouse in infested condition is subjected to quarantine fumigation. During the year under report, the Corporation undertook the quarantine fumigation of 48105 MT of stocks.
- 13.5 **Storage Losses:-**The storage loss in case of food grain stocks during the storage period is a natural phenomenon and depends upon the climatic factors. During the year 2018-19, storage losses were kept to bare minimum by proper storage and preservation techniques. The overall storage losses in food grains during 2018-19 were 0.09%.

14. PEST CONTROL SERVICES

Since 1968, CWC has been providing Pest Control Services for the benefit of Farmers, Traders, Exporters, Importers, and Shipping Agents etc. The services are also being extended for Railway coaches, Aircrafts, Hospitals, Hotels & Restaurants, Export and Import Cargo in Containers and Ships. Corporation earned revenue of Rs.17.08 crore in the year 2018-19 from Pest Control activity as against Rs.16.24 crore in the last year. The disinfestations of Railway coaches continues to be a distinctive segment and fetched revenue of Rs.4.22 crore by treatment of 2186258AC/Non-AC Rail coaches & pantry cars during the year. Whereas, Rs.7.04 crore earned from other segments of disinfestations like area treatment, spraying work etc. Similarly, the Corporation earned Rs.4.77 crore from various fumigation services such as container fumigation, aircraft fumigation, ship fumigation, commodity fumigation etc. during the year 2018-19. Your Corporation has generated revenue of Rs.3.74 crore towards anti-termite treatment and making consistent efforts in other segments of service like vector control, weed control and disinfection.

15. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Over the years, the Research and Development Sub-division of the Corporation has formulated 'Code of Storage Practices' for more than 200 commodities including agricultural produce, industrial chemicals and other notified commodities. It has also been working on improving existing storage practices to provide guidelines to the field units to maintain quality of the stock. During the year under report, the following Research and Development activities were undertaken:-

इसके अलावा, किसानों को भंडारण विकास एवं विनियमनद्व अधिनियम, 2007 एवं नेगोशिएबल वेरहाउस रसीद प्रणाली के लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए 40 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 2007 किसानों ने भाग लिया।

13.4 संगरोध प्रधूमन: वेरहाउस में जब भी खाद्यान्न का स्टॉक कीटग्रस्त रिथति में प्राप्त होता है तो उसका संगरोध प्रधूमन किया जाता है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, निगम ने 48105 मी. टन स्टॉक का संगरोध प्रधूमन किया।

13.5 भंडारण हानियाँ: खाद्यान्नों के मामले में भंडारण अवधि के दौरान स्टॉक में भंडारण हानि एक प्राकृतिक घटना है और यह कई जलवायु कारकों पर निर्भर करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, उचित भंडारण और परिक्षण तकनीकों द्वारा भंडारण हानियों को न्यूनतम रखा गया। वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्यान्नों में कुल भंडारण हानियाँ 0.09 प्रतिशत रही।

14. पैस्ट नियंत्रण सेवाएं

केन्द्रीय भंडारण निगम 1968 से किसानों, व्यापारियों, निर्यातकर्ताओं, आयातकर्ताओं तथा शिपिंग एजेंन्टों आदि के लाभ के लिए पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं को रेलवे कोचों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स, जहाजों और कंटेनरों में आयात तथा निर्यात किए जाने वाले कार्गो के लिए विस्तारित भी किया जा रहा है। निगम ने पैस्ट नियंत्रण गतिविधि से पिछले वर्ष के 16.24 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में 17.08 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया। रेलवे कोचों का कीटनाशन महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जिससे वर्ष के दौरान 2186258 एसी/ नॉन-एसी रेल कोच और पेंट्री कारों के उपचार से 4.22 करोड़ रु. प्राप्त किए गए। जबकि कीटनाशन के अन्य क्षेत्रों जैसे उपचार, रैपैडिंग आदि कार्य से 7.04 करोड़ रु. अर्जित किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के दौरान निगम ने कंटेनर प्रधूमन, विमान प्रधूमन, शिप प्रधूमन वस्तुओं के प्रधूमन आदि विभिन्न प्रधूमन सेवाओं से 4.77 करोड़ रु. अर्जित किए। निगम ने दीमक रोग-रोधी उपचार से 3.74 करोड़ रु. अर्जित किए तथा निगम अपनी सेवाओं के अन्य क्षेत्रों जैसे वेक्टर नियंत्रण, बीड़ नियंत्रण तथा कीटाणुनाशन क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहा है।

15. अनुसंधान एवं विकास

पिछले वर्षों से निगम के अनुसंधान एवं विकास उप-विभाग ने 200 से अधिक वस्तुओं जिनमें कृषि उत्पाद, औद्योगिक रसायन और अन्य अधिसूचित वस्तुएं शामिल हैं, के लिए "कोड ऑफ स्टोरेज प्रैकिटसिस" तैयार किया है। यह स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फील्ड यूनिटों को दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु मौजूदा 'स्टोरेज प्रैकिटसिस' में सुधार का कार्य भी कर रहा है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए:-

- a. A study on testing the efficacy of newer insecticides as an alternative to Malathion and DDVP against stored grain insect pests under lab conditions.
- b. A collaborative study of FCI/CWC/SWC on determination of storage losses in foodgrains in FCI and CWC warehouses and to recommend norms for storage losses in efficient warehouse management has been entrusted to Indian Council of Agriculture Research (ICAR), New Delhi with the objective to identify the extent of losses in Wheat, Rice, Paddy & Maize, factors responsible for storage losses and formation of storage loss norms in different Agro-climatic zones.

16. RAJBHASHA

During the year under report, your Corporation took several steps for progressive use of Hindi in official work. Quarterly meetings of Official Language Implementation Committee in the Corporate Office as well as various Regional Offices were held regularly to review the progress made and to chalk out activities to enhance the Hindi correspondence as per target fixed by the Official Language Department. During the year under report, in every quarter, full day Hindi workshops were conducted at Corporate Office in which 107 officers and staff participated. To promote Official Language Hindi, five days Rajbhasha Implementation and Translation Skill Development Training Programme was organized from 21st to 25th January, 2019 for the officials dealing in Official Language Policy Implementation and translation work at Corporate Office, Regional Offices and at Warehouses.

During the year, your Corporation has published four issues of the quarterly house magazine "Bhandaran Bharati". Articles on scientific warehousing and other subjects as well as various activities of the Corporation were also published in these magazines. "Bhandaran Bharti-Rajbhasha Special Issue" was published and released during the Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation held on 29th September, 2018. In addition, Hindi Fortnight was also observed in the month of September, 2018 throughout the Corporation. During the period, various competitions relating to progressive use of Hindi were held and 12 cash prizes were awarded to winners. During the year, cash prizes were also awarded to 46 officials for doing maximum noting/drafting and 02 officers for dictation in Hindi. Six Divisions of the Corporate Office were also awarded Rajbhasha Shield for doing commendable work in Hindi. For Official Language Implementation in A, B & C Regions, the best performing Regional Offices were presented trophies on the occasion of Foundation Day of CWC held on 2nd March, 2019. Your Corporation received/awarded:

क. प्रयोगशाला स्थितियों के अधीन भंडारित अनाज कीटों के लिए मैलाथियन और डीडीवीपी के विकल्प के रूप में नए कीटनाशकों की प्रभावकारिता का परीक्षण करने पर एक अध्ययन ।

ख. भारतीय खाद्य निगम एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के वेअरहाउसों में खाद्यान्नों में हुई भंडारण हानियों के निर्धारण पर भा.खा.नि/केभनि/रा.भ.नि. का संयुक्त अध्ययन तथा कुशल वेअरहाउस प्रबंधन में भंडारण हानियों के मानदण्डों की संस्तुति का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली को गेहूँ, चावल, धान और मक्का में हुई हानि की सीमा चिन्हित करने, भंडारण में होने वाली हानियों के लिए जिम्मेदार कारकों तथा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में भंडारण हानि के मानदण्डों को बनाने के उद्देश्य के साथ सौंपा गया है ।

16. राजभाषा

रिपोर्ट वर्ष के अधीन आपके निगम द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी में पत्राचार बढ़ाने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा हेतु निगमित कार्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई। रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगमित कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में पूर्ण एक दिवसीय चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 107 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वेअरहाउसों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा अनुवाद से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 21 से 25 जनवरी, 2019 तक पांच दिवसीय राजभाषा कार्यान्वयन एवं अनुवाद कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान आपके निगम ने त्रैमासिक गृह पत्रिका भण्डारण भारती के तीन अंक प्रकाशित किए। इन पत्रिकाओं में वैज्ञानिक भण्डारण एवं अन्य विषयों पर लेख सहित निगम की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी प्रकाशित की गई। दिनांक 29.09.2018 को आयोजित निगम के अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक के दौरान भण्डारण भारती-राजभाषा विशेषांक का प्रकाशन तथा लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा सितम्बर माह 2018 में हिन्दी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा 12 विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान हिन्दी में अधिकाधिक नोटिंग-झाफिटिंग करने के लिए 46 अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा डिक्टेशन के लिए 02 अधिकारियों को नकंद पुरस्कार भी दिए गए। निगमित कार्यालय के 06 विभागों को हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजभाषा शील्ड भी प्रदान की गई। 02 मार्च, 2019 को निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए क, ख तथा ग क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए। आपके निगम को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए:-

- “ Rajbhasha Kirti Puraskar” (First Prize in ‘A’ region) for the year 2017-18 by Department of Official Language, Home Ministry on 14th September, 2018 for best In-house quarterly magazine “Bhandaran Bharti”. This prize was awarded by Hon’ble Vice-President of India.
- Second Prize for the best performance in implementation of Official Language for the year 2017-18 by the Department of Food and Public Distribution, Government of India, among its undertakings and subordinate offices under All India Rajbhasha Shield Yojna.
- First prize from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi for Best Publication of its quarterly In-house magazine “Bhandaran Bharti” which was published during the year 2017-18.
- Regional Office - Lucknow, Guwahati, Kochi and Chennai were also awarded prize for the year 2017-18 by TOLIC for excellent work in Official Language.

During the year 2018-19, Corporate Office was inspected by the Hon’ble Second Sub-Committee of Parliament on Official Language. During the inspection, all the Committee members expressed satisfaction over the progressive use of Hindi in the office.

17. VIGILANCE

During the year under report, Vigilance Division undertook 31 preventive checks under preventive vigilance including visits by the CVO. Emphasis was laid on expeditious completion of disciplinary proceedings. Investigation in 11 cases was completed during the year. Major penalty proceedings in 09 cases involving 25 officials and minor penalty proceedings in 10 cases involving 21 officials were initiated. As a result of concerted efforts, 12 cases of minor penalty charge-sheets involving 31 officials and 08 cases of major penalty charge-sheets involving 23 officials were decided during the period. A sum of Rs. 2.83 lakhs has been recovered from the contractors due to preventive checks. Vigilance Awareness Week was observed from 29.10.2018 to 03.11.2018. On this occasion, 18th edition of booklet titled “Vigilance- An Overview” containing articles on vigilance matters including important CVC circulars was released in order to sensitize CWC officials on vigilance matters. Greater emphasis has been laid on implementing CVC guidelines towards improving vigilance administration by leveraging technology, in creating a culture of transparency through effective use of e-governance tools in discharge of regulatory enforcement and other functions of the Corporation.

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को वर्ष 2017–18 के लिए भंडारण भारती ट्रैमासिक पत्रिका को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ('क' क्षेत्र में प्रथम) प्रदान किया गया। यह पुरस्कार माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर-कमलों से प्रदान किया गया।
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत उपक्रमों एवं इसके अधीनरथ कार्यालयों में से वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान प्रकाशित ट्रैमासिक गृह पत्रिका "भंडारण भारती" के उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, गुवाहाटी, कोच्चि, बैंगलूरु, मुम्बई एवं चैन्नई को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष 2018–19 के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा निगमित कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति के सभी सदस्यों ने कार्यालय में हुई राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

17. सतर्कता

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा निवारक सतर्कता के अन्तर्गत मुख्य सतर्कता अधिकारी के दौरों सहित 31 निवारक निरीक्षण किए गए। अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट वर्ष के दौरान 11 मामलों की जाँच पूरी की गई। मेजर पैनेल्टी के 09 मामलों की जिसमें 25 कार्मिक शामिल थे तथा माइनर पैनेल्टी के 10 मामलों जिसमें 21 कार्मिक शामिल थे, की जाँच कार्रवाई शुरू की गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस अवधि में 12 मामलों की माइनर पैनल्टी चार्जशीट में शामिल 31 अधिकारी तथा 08 मामलों की मेजर पैनेल्टी चार्जशीट में शामिल 23 कार्मिकों के संबंध में निर्णय लिया गया। निवारक जाँच के कारण ठेकेदारों से कुल 2.83 लाख रु. की वसूली की गई। दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर "सतर्कता-एक-परिदृश्य" नामक पुरितका का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों में सतर्कता मामलों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों सहित सतर्कता मामलों पर लेख शामिल किए गए। प्रभावपूर्ण तकनीकी द्वारा सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने, नियामक प्रवर्तन के निर्वहन तथा निगम के अन्य

Based on the deficiencies noticed during the preventive checks, investigation and inquiry proceedings, guidelines on system improvements have been issued.

Vigilance Division conducted a three days training programme on 'Contract Management' from 31st October, 2018 to 2nd November, 2018 during the Vigilance Awareness Week. In addition, two trainings on Administrative Vigilance for IO/PO was conducted from 24th September, 2018 to 26th September, 2018 and from 25th February, 2019 to 27th February, 2019.

18. INSPECTION AND AUDIT

During the year under report, 661 general inspections and 1190 technical inspections of the warehouses were conducted. During the year, internal audit of 198 units were fixed as a target which includes warehouses/CFSs/ICDs/ROs. Out of the 198 units, 107 units were audited by outsourced CA firms and rest 91 units were audited by Internal Audit Cell of the Corporation. In addition to above, Special Audit of 2 units was also conducted during the year 2018-19. Six meetings of the Audit Committee of the Board were held during the financial year 2018-19.

19. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to Information Act, 2005 has been implemented in CWC, with the Group General Manager (Personnel) at the Corporate Office as the Central Public Information Officer (CPIO) and the Regional Managers as the PIOs. The Director (Personnel) is the Appellate Authority under the RTI Act, 2005.

One other CPIO for Pension has been designated along with Group General Manager (Personnel) as First Appellate Authority.

During the year under report, 597 applications seeking information under the RTI Act, 2005 were received which were disposed off. Besides this, 83 appeals were received by the Appellate Authority and these were also disposed off.

20. PUBLICITY

During the year under report, Doordarshan (National Channel) also covered the activities of the CWC through their Krishi Darshan Programmes. Your Corporation participated in various Exhibitions, Krishi Expos, Trade Fairs, and Melas etc. prominent among those being:

कार्यों में ई-गवर्नेंस टूल्स के प्रभावशाली प्रयोग द्वारा पारदर्शिता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बल दिया गया है। निवारण जांच के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर जांच एवं पूछताछ कार्रवाई तथा पद्धति में सुधारों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दिनांक 31.10.2018 से 02.11.2018 तक 03 दिन संविदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 24.09.2018 से 26.09.2018 तथा 25.02.2019 से 27.02.2019 तक आई.ओ./पी.ओ. के लिए प्रशासनिक सतर्कता पर दो प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

18. निरीक्षण एवं ऑडिट

रिपोर्ट वर्ष के अधीन, वेअरहाउसों के 661 सामान्य निरीक्षण और 1190 तकनीकी निरीक्षण किए गए। वर्ष के दौरान 198 यूनिटों की आन्तरिक लेखा परीक्षा करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें वेअरहाउस, सीएफएस/आईसीडी/क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। 198 यूनिटों में से 107 यूनिटों की लेखा परीक्षा आउटसोर्सड चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा की गई तथा शेष 91 यूनिटों की लेखा परीक्षा निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के दौरान 02 यूनिटों की विशेष लेखा परीक्षा भी की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की लेखा समिति की 06 बैठकें आयोजित की गईं।

19. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) कार्यान्वित किया गया है जिसमें निगमित कार्यालय में समूह महाप्रबंधक (कार्मिक), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और क्षेत्रीय प्रबंधक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निदेशक(कार्मिक) अपीलीय प्राधिकारी हैं।

पेशन के लिए एक अन्य सीपीआईओ को समूह महाप्रबंधक (कार्मिक), के साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के लिए 597 आवेदन प्राप्त हुए जिनका निपटान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 83 अपीलें प्राप्त हुईं और उनका भी निपटान कर दिया गया है।

20. प्रचार

रिपोर्ट वर्ष के दौरान दूरदर्शन (नेशनल चैनल) ने भी अपने “कृषि दर्शन कार्यक्रम” के माध्यम से निगम की गतिविधियों को कवर किया। आपके निगम ने विभिन्न

- 9th Krishi Fair, 2018 at Jagannath Dham, Puri, Odissa w.e.f. 03.06.2018 to 07.06.2018.
- International Agriculture Technology Fair Krishi Expo 2018 at Nasik (Maharashtra) w.e.f. 22.11.2018 to 26.11.2018.
- The Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT) India Expo-2018 from November 22.11.2018 to 23.11.2018 at National Rail Museum, New Delhi,
- 10th Agrovision Exhibition at Nagpur, Maharashtra w.e.f. 23.11.2018 to 26.11.2018.
- 13th National Convention of UN Global Compact Network India (UN-GCNI) at Hotel Shangri-la, Bangalore held on 08.6.2018.
- 10th Indian of South East CEO Conclave and Award-2018 Hotel ITC Ground Chola Chennai on 29.06.2018.
- 59th National Cost Convention-2019 at J.W. Mariott Hotel Pune w.e.f. 20.01.2019 to 21.01.2019.
- Multi Transportation Conclave 2018 on 24.01.2019 at PHD House, New Delhi.

21. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors hereby confirms that:

- (a) In the preparation of the Annual Accounts for the year ended as on March 31, 2019, the relevant accounting standards have been followed and there has been no material departure;
- (b) The accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates made are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2019 and of the Profit of the Corporation for the year ended on that date;
- (c) Proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Warehousing Corporations Act, 1962 and the rules framed there under for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

प्रदर्शनियों/कृषि एक्सपो, व्यापार मेलों एवं मेला आदि में भाग लिया, जिनमें से प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

- जगन्नाथ धाम, पुरी, ओडिशा में दिनांक 03.06.2018 से 07.06.2018 तक 9वें कृषि मेला, 2018 में भाग लिया।
- नासिक (महाराष्ट्र) में दिनांक 22.11.2018 से 26.11.2018 तक इन्टरनेशनल एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मेला, कृषि एक्सपो—2018 में भाग लिया।
- नेशनल रेल म्यूजियम, नई दिल्ली में दिनांक 22.11.2018 से 23.11.2018 तक चार्टर्ड इंस्टीयूट ऑफ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट (सीआईएलटी) इंडिया एक्सपो—2018 में भाग लिया।
- महाराष्ट्र, नागपुर में दिनांक 23.11.2018 से 26.11.2018 तक 10वें एग्रोविज़न एग्जीविशन में भाग लिया।
- दिनांक 08 जून, 2018 को होटल संघई—ला बैंगलूरु में यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया (यूएन—जीसीएनआई) के 13वें नेशनल कन्वेशन में भाग लिया।
- दिनांक 29.06.2018 को होटल आईटीसी ग्राउंड चोला चैन्नई में 10 वें इंडियन ऑफ साउथ ईस्ट सीईओ कन्वलेव तथा एवार्ड — 2018 में भाग लिया।
- दिनांक 20.01.2019 से 21.01.2019 तक जे.डब्ल्यू.मैरियट होटल, पूना में 59वें राष्ट्रीय कांस्ट कन्वेशन—2019 में भाग लिया।
- पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में दिनांक 24 जनवरी, 2019 को मल्टी ट्रांसपोर्टेशन कन्वलेव—2019 में भाग लिया।

21. निदेशक दायित्व विवरण

आपके निदेशकों द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:—

- (क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय संगत लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई भी विचारणीय अंतर नहीं है।
- (ख) लेखा नीतियों का चयन कर उन्हें निरंतर रीति से लागू किया गया है। निर्णय एवं तैयार किए गए प्राक्कलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष को निगम के कामकाज और अर्जित लाभ की स्पष्ट एवं सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- (ग) निगम की परिसम्पत्तियों के संरक्षण एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के उद्देश्य से वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखाकरण के उचित एवं पर्याप्त रिकार्ड रखने हेतु पूरी सावधानी रखी गई है।

- (d) The annual accounts for the financial year ended March 31, 2019 have been prepared on a “going concern” basis.
- (e) The internal financial controls to be followed by the Corporation have been laid down and the same were adequate and were operating effectively.
- (f) Proper system has been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

22. MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS REPORT

22.1 INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

To ensure regulatory and statutory compliance as well as to provide highest level of corporate governance, your Corporation has robust internal systems and processes in place for smooth, effective and efficient conduct of business operations, reliability of financial reporting, safeguarding of assets and compliance with relevant laws and regulations. In order to ensure that all checks and balances are in place and all internal control systems are in order, regular and exhaustive internal audits are conducted by the experienced firms of Chartered Accountants in close co-ordination with the Corporation's own Internal Audit Division. Besides, the Corporation has one committee of the Board viz. Audit Committee to keep a close watch on compliance with Internal Control Systems and their adequacy.

Your Corporation has an efficient system of internal controls for achieving the following business objectives:

- Efficiency and effectiveness of business operations;
- Safeguarding of assets from unauthorized access, use and disposition;
- Accuracy and promptness of financial reporting;
- Compliance with the laid down policies and procedures; and
- Compliance with various laws and regulations.

During the year under report, internal audit of 198 units were fixed as a target which includes warehouses/CFSs/ICDs/ROs. Out of the 198 units, 107 units were audited by outsourced CA firms and rest 91 units were audited by Internal Audit Cell of the Corporation. In addition to above, Special Audit of 2 units was also conducted during the

(घ) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को “गोईंग कन्सर्न” आधार पर तैयार किया गया है।

(ङ.) निगम द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए और ये पर्याप्त हैं तथा इन्हें प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

(च) सभी लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली बनाई गई है एवं ये प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालित की गई।

22. प्रबंधन के विचार एवं विश्लेषण रिपोर्ट

22.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगमित अधिशासन के उच्चतम स्तर को प्रदान करने सहित विनियामक एवं सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आपके निगम ने संगत विधियों एवं नियमों के अनुपालन और परिसंपत्तियों की संरक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, व्यावसायिक प्रचालनों को सहज, प्रभावी तथा सक्षम रूप से चलाने के लिए आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत किया है। सभी चैक एवं बैलेंस की उपयुक्तता तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की व्यवस्था, नियमितता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के सहयोग से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की अनुभवी फर्मों द्वारा संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम में निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन एवं उनकी उपयुक्तता पर कड़ी निगरानी रखती है।

आपके निगम के पास निम्नलिखित व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है:-

- व्यावसायिक प्रचालनों की क्षमता एवं प्रभावशीलता;
- अनधिकृत एक्सेस, उपयोग एवं व्यवस्था से परिसंपत्तियों की संरक्षा;
- वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और तत्परता;
- निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन; तथा
- विभिन्न विधियों और विनियमों का अनुपालन;

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, 198 इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित की गई थी जिसमें वेअरहाउस/सीएफएस/आईसीडी/क्षेत्रीय कार्यालय सम्मिलित हैं। 198 इकाइयों में से 107 इकाइयों की लेखा परीक्षा आउटसोसर्ड चार्टर्ड अकाउटेंट फर्मों द्वारा की गई तथा शेष 91 इकाइयों को निगम के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लेखा परीक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान 02 इकाइयों की विशेष लेखा परीक्षा

year 2018-19. Total 661 general inspections and 1190 technical inspections of the warehouses were also conducted. Vigilance Division also undertook 31 preventive checks under preventive vigilance including visits by the CVO.

22.2 SWOT ANALYSIS

Strengths: The major strength of the Corporation is strategic locations of warehouses, the distribution network and customer service levels in its wide network of warehouses, diversified commodity portfolio, wide clientele base and core competency in storage and preservation of food grain stocks at warehouses. Corporation is a major player in providing pest control services using environment friendly methods managed by its trained technical manpower. CWC being an ISO certified organization for Quality, Environment and Safety is preferred by clients for storage of their goods and services. Training of employees is organized at regular intervals for better performance.

Weaknesses: Ageing infrastructure is one of the concerns for CWC. All out efforts are being made to maintain and upgrade the existing infrastructure and attention is being given to create additional infrastructure.

Opportunities: Opening up of ICP's and Land Custom Stations by Government for promotion of border trade with neighboring countries provides opportunity for the Corporation to manage these facilities. Currently three ICP's are being managed by CWC. Since LPAI is in process of setting up more number of ICPs, CWC is looking forward to getting further opportunities in this sector. Corporation has established a Private Freight Terminal at Nabha and two more PFTs are under process of setting up at Kalamboli and Bamanheri. These will provide additional business in existing warehousing complexes.

E-commerce has gained its foothold in the country and it is expected that in coming days with the penetration of internet connectivity, the e-commerce business will grow substantially. Corporation has an opportunity to tap this growing market with its PAN India presence.

CWC offers Consultancy Services / Training for the construction of warehousing infrastructure to other agencies. Warehouse Management System (WMS) is being developed and is already installed at many warehouses. CWC proposes to improve warehousing efficiency by construction of multi

भी की गई। वे अरहाउसों के कुल 661 सामान्य निरीक्षण और 1190 तकनीकी निरीक्षण भी किए गए। सतर्कता विभाग ने भी मुख्य सतर्कता अधिकारी के दौरे सहित निवारक सतर्कता के अन्तर्गत 31 निवारक जाँच कीं।

22.2 स्वॉट (एसडब्ल्यूओटी)विलेषण

शक्तियाँ: निगम की प्रमुख शक्ति वे अरहाउसों का मुख्य स्थानों पर स्थित होना, वे अरहाउसों के विस्तृत नेटवर्क में ग्राहक सेवा स्तर तथा वितरण नेटवर्क, विविध वर्तुओं के पोर्ट फोलियो और वे अरहाउसों में खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण एवं परिक्षण में मूल सक्षमता के साथ व्यापक क्लांइटेल बेस है। निगम अपनी प्रशिक्षित तकनीकी जन-शक्ति द्वारा पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग करके पैरस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। गुणवत्ता, पर्यावरण एवं सुरक्षा के लिए निगम के आईएसओ प्रमाणित संस्था होने के कारण ग्राहकों द्वारा अपने सामान के भंडारण और सेवाओं के लिए वरीयता दी जाती है। बेहतर कार्यनिष्ठादान के लिए नियमित अंतराल पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

कमियाँ: निगम के लिए उसकी पुरानी अवसंरचना मुख्य विषय है। मौजूदा अवसंरचना में सुधार एवं उन्नयन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा अतिरिक्त अवसंरचना सृजन पर ध्यान दिया जा रहा है।

अवसर: पड़ोसी देशों के साथ सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एकीकृत चैक पोर्ट और लैण्ड कर्टम स्टेशन खोलने से निगम को इन सुविधाओं के प्रबंधन कार्य का अवसर मिला है। वर्तमान में तीन आईसीपी का प्रबंधन कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है। चूंकि एलपीएआई और अधिक संख्या में आईसीपी की स्थापना करने के प्रयास में है, निगम इस क्षेत्र में आगे और अधिक अवसर प्राप्त करना चाहता है। निगम ने नाभा में एक प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल स्थापित किया है तथा कालम्बोली और बामनहेड़ी में दो और पीएफटी की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इनसे वर्तमान वे अरहाउसिंग कॉम्प्लैक्स में अतिरिक्त व्यापार मिलेगा।

ई-कॉमर्स देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और संभावना है कि आने वाले दिनों में इन्टरनेट कनेक्टीविटी के आने से ई-कॉमर्स व्यापार में वृद्धि होगी। निगम के पास अखिल भारतीय स्तर पर मौजूद अपने केन्द्रों के साथ इस बढ़ते हुए बाज़ार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर है।

केन्द्रीय भंडारण निगम अन्य एजेंसियों को वे अरहाउसिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रशिक्षण/परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। वे अरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) विकसित की जा रही है एवं यह कई वे अरहाउसों पर पहले से ही लगा दी गई है। निगम वे अरहाउसिंग कुशलता में सुधार के लिए कुछ चिन्हित स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स

storied godowns and Cold storage units at few identified locations. DOS and e-APAR modules have been developed for better transparency.

Threats: Your Corporation is operating in a highly competitive business environment and is facing intense competition in all its business verticals such as Agri Warehousing, Industrial Warehousing, Container Freight Stations (CFSs) / Inland Clearance Depots (ICDs), Container Rail Transportation (CRT). In the field of Agri warehousing, the competition has become more intense in view of various incentives successfully rolled out by the Government of India in form of PEG tax incentives, capital investment subsidy, etc. to incentivize private sector participation in creation of storage capacity for food grains and other agri commodities.

23. CSR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACTIVITIES

Your Corporation has a great sense of responsibility and sensitivity towards CSR and is conscious of meeting its social obligations. Your Corporation has adopted DPE guidelines on CSR issued vide OM dated 21.10.2014 together with the relevant provisions contained in Companies Act, 2013 read with CSR Rules, 2014 and Schedule VII of the said Act. During the year under report, Rs. 402.65 lakh were spent on various Corporate Social Responsibility and Sustainable Development activities, out of which Rs. 20.49 lakh contributed towards 'Namami Gange' Fund and Rs.129.25 lakh contributed to 'Swachh Bharat Kosh'. A report on CSR and sustainable development activities as per the guidelines of the Department of Public Enterprises is placed at Annex-A.

24. RISK & CONCERNS

Your Corporation is conscious and sensitive to the challenges posed to its business by the events unfolding in domestic business environment including competitors which could give rise to substantive risks. With this in view, your Corporation has constituted a Board Level Risk Management Committee, Corporate Level Risk Management Committee and also at ROs Level Risk Management Committee to help the Corporation to efficiently manage risk, sustain growth and create value for the stakeholders. During the year under report, the Risk Management Policy has also covered under the ISO Certified document.

और मल्टी स्टोरी गोदामों के निर्माण की योजना बना रहा है। बेहतर पारदर्शिता के लिए डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) और ई-एपीएआर मोड्यूल विकसित किए गए हैं।

चुनौतियाँ: आपका निगम अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक वातावरण में कार्य कर रहा है और अपने समस्त व्यापार क्षेत्रों जैसे—एग्री वेअरहाउसिंग, औद्योगिक वेअरहाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) / इनलैण्ड क्लीयरेंस डिपो(आईसीडी), कंटेनर रेल ट्रांस्पोर्टेशन (सीआरटी) में यह अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न और अन्य कृषि वस्तुओं की भंडारण क्षमता के सृजन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को

प्रोत्साहित करने के लिए पीईजी टैक्स प्रोत्साहन, पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन इत्यादि जैसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने से कृषि वेअरहाउसिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और अधिक कड़ी हो गई है।

23. निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियाँ

आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति अत्यन्त उत्तरदायित्व एवं संवेदना रखता है तथा यह अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जागरूक है। निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े गए निगमित सामाजिक दायित्व नियम, 2014 में निहित प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची—VII के साथ दिनांक 21.10.2014 के कार्यालय झापन द्वारा जारी सीआरएस पर डीपीई के दिशा—निर्देश को अपनाया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान विविध निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर 402.65 लाख रु. खर्च किए गए जिसमें से 20.49 लाख रु. 'नमामि गंगे' निधि तथा 129.25 लाख रु. का योगदान 'स्वच्छ भारत कोष' में दिया गया। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा—निर्देशों के

अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक—ए पर संलग्न है।

24. जोखिम एवं चिन्ताएं

आपका निगम घरेलू व्यावसायिक वातावरण में होने वाली घटनाओं, से आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूक और संवेदनशील है जिसमें वे प्रतिस्पर्धी भी शामिल हैं जो सूक्ष्म जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आपके निगम ने बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जिससे निगम को जोखिम को कुशलता पूर्वक व्यवरित करने, वृद्धि को बनाए रखने तथा हितधारियों के लिए मूल्य सुजित करने में सहायता मिलती है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन नीति भी आईएसओ प्रमाणित दस्तावेज के तहत सम्मिलित की गई है।

CWC adopted the Risk Management Policy as per guidelines of the Department of Public Enterprises with the approval of the Board of Directors in its meeting held on 5th March, 2014. Since then the risk management has matured in CWC. The policy provides guidance for the management of the business risks across CWC. It focuses on ensuring that the risks are identified, evaluated and mitigated within a given time frame on a regular basis.

Corporate Level Risk Management Committee has to oversee the implementation of Risk Management Policy which is monitored by Board Level Risk Management Committee (BLRMC). Corporate Level Risk Management Committee reviews the risks and its mitigation status on half yearly basis and reports the same to Chief Risk Officer of CWC. Chief Risk Officer prepares a Risk Report and places it before the Board of Directors for its review on annual basis along with action taken report of previous year on the risk identified.

Key risks being faced by the Corporation are analyzed in detail by the Risk Management Committee. Top risk areas are regularly reviewed by the Corporate Level and Board Level Risk Management Committee.

25 FUTURE OUTLOOK

Central Warehousing Corporation is exploring the possibility of attracting business from FMCG companies, MNCs, big trade houses, Bulk depositors, etc. In current Rabi season, 2019, there is significant increase in storage of wheat and pulses at CWC warehouses. With increase in the Minimum Support Price (MSP) of agri sector commodities, it is expected that CWC will have higher occupancies during the year 2019-20. Further, CWC is in the process to streamline its registration process with Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) through e-portal for attracting maximum business in agri warehousing. CWC is computerizing its activities by induction of Warehouse Management System (WMS), accounting system and Human Resource Management System (HRMS).

केन्द्रीय भंडारण निगम ने दिनांक 05 मार्च, 2014 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए अनुमोदन से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है। तब से निगम में जोखिम प्रबंधन सुदृढ़ हुआ है। यह नीति निगम में व्यापार जोखिमों के प्रबंधन कार्य हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह नियमित रूप से एवंदी गई समय-सीमाके भीतर जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने तथा उसे कम करने की सुनिश्चितता पर बल देती है।

निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन पर नज़र रखती है जिसकी निगरानी बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) द्वारा की जाती है। निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति अर्धवार्षिक आधार पर जोखिम और उसके कम होने की स्थिति की समीक्षा करती है और इसकी रिपोर्ट निगम के मुख्य जोखिम अधिकारी को देती है। मुख्य जोखिम अधिकारी जोखिम रिपोर्ट तैयार करता है और उसे गत वर्ष पहचाने गए जोखिम पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ समीक्षा के लिए निदेशक मंडल के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करता है।

निगम के समक्ष आए मुख्य जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा विस्तार से किया जाता है। मुख्य जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा निगमित स्तर और बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

25. भविष्य का दृष्टिकोण

केन्द्रीय भंडारण निगम एफएमसीजी कम्पनियों, एमएनसी, बड़े व्यापारिक घरानों, थोक जमाकर्ताओं आदि से व्यवसाय लेने की संभावना तलाश रहा है। वर्तमान रवी सीजन, 2019 में निगम के वेअरहाउसों में गेहूँ और दालों के भंडारण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र की वस्तुओं के न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) में हुई वृद्धि के साथ यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2019-20 में निगम की धारिता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, निगम कृषि भंडारण में अधिकतम कारोबार आकर्षित करने के लिए ई-पोर्टल के माध्यम से भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के साथ अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहा है। निगम वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस), लेखा प्रणाली और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को शामिल करके अपनी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत कर रहा है।

26. STRATEGY TO MEET CHALLENGES

Against the backdrop of the outlook presented above, your Corporation has formulated a strategy for taking the growth further with higher profitability, despite the challenges of an increasingly competitive market. The broad strategy includes:-

1. Expansion of warehousing capacity.
2. Setting up of Private Freight Terminals.
3. Providing more and more value added services such as inventory management, billing, distribution customized to the requirements of customers.
4. To tap the growing potential of warehousing and e-Business opportunities.
5. Increase in publicity and advertisement.
6. More extensive use of information technology in various activities for minimizing transaction costs and meeting customer requirements.

27. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors express their gratitude for continued co-operation, support and guidance in effective management of affairs of the Corporation provided by the Government of India, in particular the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and above all the customers who have patronized the services provided by your Corporation. The Board also places on record its gratitude to the outgoing Chairman Shri Yogendra Tripathi and Director

26. चुनौतियों पूर्ण करने की रणनीति

उपरोक्त दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि पर आपके निगम ने बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की चुनौतियों के बावजूद उच्च लाभप्रदता के साथ और आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की है। इस विस्तृत रणनीति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

1. वेअरहाउसिंग क्षमता का विस्तार।
2. प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल की स्थापना।
3. ग्राहकों को अधिक से अधिक मूल्य संवर्धक सेवाएं जैसे इन्वेंटरी प्रबंधन, बिलिंग, आवश्यकता के अनुरूप वितरण प्रदान करना।
4. वेअरहाउसिंग तथा ई-बिजनेस के अवसरों की बढ़ती संभावनाओं का लाभ उठाना।
5. प्रचार तथा विज्ञापनों में वृद्धि करना।
6. लेन-देन की लागत को न्यूनतम करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग।

27. आभार


आपके निदेशक निगम के मामलों के प्रभावी प्रबंधन में भारत सरकार, विशेष रूप से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए तथा इन सबसे ऊपर आपके निगम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के नियमित ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड निवर्तमान अध्यक्ष श्री योगेन्द्र त्रिपाठी एवं निदेशक श्री अजय व्यास को निगम के बोर्ड में उनके

Shri Ajay Vyas for their valuable contribution during their tenure on the Board of the Corporation and to all the stakeholders for their unstinted support.

Last but not the least, your Directors would like to place on record its deep and sincere appreciation for the hard work, dedication, valuable contribution and unstinted efforts by the team of CWC in steering the Corporation to excellent performance and ensuring that it achieves greater milestones.

The Board of Directors would also like to assure that your Corporation would continue to make best efforts for fulfilling its objectives and continue improving its performance and productivity at all levels for satisfaction of its stakeholders.

For and on behalf of the Board of Directors


05/09/2018
(Arun Kumar Shrivastava)
Managing Director

कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान तथा सभी हितधारियों को उनके निरंतर सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है।

अंततः, आपके निदेशक निगम को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट निष्पादन और उसकी उत्तरोत्तर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सीडब्ल्यूसी की टीम द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता, बहुमूल्य योगदान और अथक प्रयासों के लिए अत्यंत संराहना करते हैं।

निदेशक मण्डल आप सभी को यह आश्वासन भी देना चाहेगा कि आपका निगम अपने हितधारियों की संतुष्टि के लिए अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने एवं सभी रक्तरों पर अपने कार्यनिष्पादन तथा उत्पादकता को निरंतर उन्नत करने के लिए हरसंभव प्रयास करता रहेगा।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

३१ मई २०१९

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

Annex-I

राज्य भण्डारण निगमों के केन्द्रों, भण्डारण क्षमता (स्वनिर्मित, किराये के, पलिंथ एवं प्रबंधन)
सूची आकड़ो का विवरण यथा 31.03.2019

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CENTRES AND STORAGE CAPACITY
(CONST. HIRED, PLINTH & MANAGEMENT) AVAILABLE WITH THE STATE
WAREHOUSING CORPORATIONS AS ON 31st March, 2019.

(क्षमता लाख मी.टन) (Cap. in lakh MT).

क्रम संख्या Sr. No	एस.डब्ल्यू सी.के नाम Name of SWC	केन्द्रों का संख्या No. of Centres	स्वनिर्मित Const	किराये के Hired	पलिंथ Plinth	प्रबंधन Management	कुल क्षमता Total Capacity	धारिता Occupancy	
								योग Total.	प्रतिशत % age
1.	आन्ध्र प्रदेश A.P	102	6.61	1.06	--	5.70	13.37	11.40	85
2.	असम Assam	44	2.21	0.17	--	--	2.38	1.65	69
3.	बिहार Bihar	51	5.09	0.79	--	2.15	8.03	6.29	78
4.	छत्तीसगढ़ Chhattisgarh	133	15.48	4.39	--	--	19.87	18.96	95
5.	ગुजरात Gujarat	113	1.45	11.81	--	--	13.26	12.71	96
6.	हरियाणा Haryana	111	15.41	2.22	--	--	17.63	13.08	74
7.	कर्नाटक Karnataka	148	14.49	2.44	--	--	16.93	14.05	83
8.	केरल Kerala	55	1.91	0.64	--	--	2.55	2.36	93
9.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू ऎल. सी. MPWLC	233	22.11	2.10	--	49.00	73.21	51.25	70
10.	महाराष्ट्र Maharashtra	198	15.78	2.42	--	1.55	19.75	14.78	75
11.	मेघालय Meghalaya	6	0.17	--	--	--	0.17	0.17	100
12.	ଓଡ଼ିଶା Odisha	68	5.15	0.17	--	--	5.32	4.27	80
13.	ਪੰਜਾਬ Punjab	120	27.05	22.86	2.17	--	52.08	47.89	92
14.	राजस्थान Rajasthan	93	10.79	3.37	--	--	14.16	13.65	89
15.	तमில்நாடு Tamil Nadu	57	7.37	0.01	--	--	7.38	5.26	71
16.	తెలంగాణ Telangana	284	2.76	9.14	--	12.81	24.71	25.12	102
17.	उत्तर प्रदेश U.P	157	25.00	3.74	--	11.66	40.40	35.55	88
18.	उत्तराखण्ड Uttarakhand	12	1.00	0.30	--	--	1.30	1.05	81
19.	पश्चिम बंगाल West Bengal	160	1.45	5.76	--	1.12	8.33	7.23	87
योग Total.		2145	181.28	73.39	2.17	83.99	340.83	286.72	84

31.03.2019 को राज्य भंडारण निगमों की अंश पूँजी में निवेश (लागत पर)
INVESTMENT (AT COST) IN SHARE CAPITAL OF STATE WAREHOUSING
CORPORATIONS AS ON 31-03-2019.

क्रम सं. S.No	राज्य भंडारण निगम का नाम Name of STATE WAREHOUSING CORPORATIONS (SWC)	अंशों की सं. No. of Shares		राशि (रु.) Amount (Rupees)	
		इस वर्ष Current year	गत वर्ष Previous year	इस वर्ष Current year	गत वर्ष Previous year
1.	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	261502	261502	2,61,50,200	2,61,50,200
2.	तेलंगाना Telangana	186889	186889	1,86,88,900	1,86,88,900
3.	असम Assam	547000	547000	5,47,00,000	5,47,00,000
4.	बिहार Bihar	320994	320994	3,20,99,400	3,20,99,400
5.	छत्तीसगढ़ Chhattisgarh	201920	201920	2,01,92,000	2,01,92,000
6.	गुजरात Gujarat	200000	200000	2,00,00,000	2,00,00,000
7.	हरियाणा Haryana	292037	292037	2,92,03,700	2,92,03,700
8.	कर्नाटक Karnataka	390000	390000	3,90,00,000	3,90,00,000
9.	केरल Kerala	575000	575000	5,75,00,000	5,75,00,000
10.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू एल.सी. MPWLC \$	378080	378080	3,78,08,000	3,78,08,000
11.	महाराष्ट्र Maharashtra *	435560	435560	4,11,32,000	4,11,32,000
12.	मेघालय Meghalaya	122562	122562	1,22,56,200	1,22,56,200
13.	ओडिशा Odisha	180000	180000	1,80,00,000	1,80,00,000
14.	पंजाब Punjab	400000	400000	4,00,00,000	4,00,00,000
15.	राजस्थान Rajasthan	392630	392630	3,92,63,000	3,92,63,000
16.	तमिलनाडु Tamil Nadu	380500	380500	3,80,50,000	3,80,50,000
17.	उत्तर प्रदेश U.P	539770	539770	5,39,77,000	5,39,77,000
18.	उत्तराखण्ड Uttarakhand	18480	18480	18,48,000	18,48,000
19.	पश्चिम बंगाल West Bengal	380700	380700	3,80,70,000	3,80,70,000
	योग Total	6203624	6203624	61,79,38,400	61,79,38,400

(ख) पूर्ण स्वामित्व एवं सहायक
(B) Wholly owned & Subsidiary

1. सैन्ट्रल रेलसाइड वेरहाउस कंपनी लि.# अनुद्धृत 4,05,59,990 अंश प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/-रु.	40,55,99,900	40,55,99,900
2. एनएमसीई में निवेश Investment in NMCE		8,32,89,873
3. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में निवेश अनुद्धृत 58,963,956 शेयर प्रत्येक का अंकित मूल्य 5/-रु. Investment in Indin Commodity Exchange Limited (ICEX) Unquoted 58,963,956 shares each having face value of Rs.5/-		8,32,89,873
सकल योग (क)+(ख)		
GRAND TOTAL (A)+(B)	1,10,68,28,173	1,10,68,28,173

1. \$ निगम ने मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एमपीएसडब्ल्यूसी) में 480 लाख रु. का निवेश किया जो मध्य प्रदेश वेरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन (एमपीडब्ल्यूएलसी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी) के रूप में विभाजित हो गया। इसके अतिरिक्त, इन दोनों राज्य भंडारण निगमों में प्रत्येक को 50 लाख रु. की इक्विटी दी गई। विभाजन से पूर्व इक्विटी शेयर पूँजी में दिए गए अंशदान को एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा 2011-12 तक ऋण एवं 2012-13 से पूँजी के रूप में माना जा रहा है, किंतु निगम इससे सहमत नहीं है क्योंकि इक्विटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एमपीएसडब्ल्यूसी की प्रदत्त अंश पूँजी विनियोजन को एमपीडब्ल्यूएलसी को (68.35 प्रतिशत) तथा सीएसडब्ल्यूसी को (31.65 प्रतिशत) तथा इक्विटी का 20 प्रतिशत की दर से लाभांश देने के संबंध में 16.11.2012 को अधिसूचना जारी की है तथा दिनांक 06.03.2014 के पत्र सं. 7-01/2013-एसजी द्वारा भी इसकी पुनः पुष्टि की गई है। मामले का समाधान अभी भी नहीं हुआ है।

\$ Corporation had invested Rs. 480 lakh in Madhya Pradesh State Warehousing Corporation (MPSWC) which was bifurcated into Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation(MPWLC) and Chhattisgarh State Warehousing Corporation (CSWC). Further equity of Rs. 50 lakh each was given to these two SWCs. The contribution to the equity share capital made prior to the bifurcation is being treated by MPWLC as Loan upto 2011-12 and as capital w.e.f. 2012-13, but this has not been agreed by the Corporation as the equity cannot be converted into loan. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution issued a notification dated 16.11.2012 for apportionment of paid up share capital of MPSWC to MPWLC (68.35%) and CSWC (31.65%) and for paying dividend @ 20% of the equity and also reconfirmed the same vide letter no. 7-01/2013-SG dated 06.03.2014. The issue is not yet resolved..

2. 10 शेयर सीडब्ल्यूसी के नामितियों के पास उनकी कार्यालयी क्षमता में सीआरडब्ल्यूसी में हैं।
Ten shares are held by the nominees of CWC in their official capacity in CRWC.
3. वर्ष 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम द्वारा बोनस शेयर के रूप में जारी किए गए 24,240 शेयर सम्मिलित हैं।
* Includes 24,240 share issued by Maharashtra State Warehousing Corporation as Bonus Shares during the year 1996-97.
4. भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य भंडारण निगम में निवेश स्थानान्तरित नहीं होगा।
The investments held in the State Warehousing Corporation are not transferable without prior approval of the Govt. of India.

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य भण्डारण निगमों द्वारा घोषित एवं 31 मार्च, 2019 तक प्राप्त लाभांश तथा आयोजित की गई वार्षिक साधारण बैठकों की तिथि दर्शने वाला
विवरण ।

STATEMENT SHOWING THE ANNUAL GENERAL MEETINGS HELD AND DIVIDEND DECLARED BY THE STATE WAREHOUSING CORPORATIONS DURING THE YEAR 2018-19 AND RECEIVED UPTO 31ST MARCH, 2019.

क्र.सं. Sr. No.	राज्य भण्डारण निगम का नाम Name of the State Warehousing Corporation	वार्षिक साधारण बैठक का वर्ष Year of AGM	वार्षिक साधारण बैठक की तिथि Date of AGM	केन्द्रीय का निवेश (राशि रु में) CWC's Investment (Amt. in Rs)	दर प्रतिशत में Rate in %age	घोषित लाभांश Dividend Declared	प्राप्त की गई राशि Amount Received
						वित्तीय वर्ष 2014-15 के लाभांश भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 में पहले ही कर दिया गया था ।	
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	-	2017-18 के लिए अंतिम लाभांश 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश	26,150,200	-	-	30,000,000
		2014-15	29.03.2019			-	30,000,000
2	तेलंगाना Telengana	-	2017-18 के लिए अंतिम लाभांश 2011-12 12.10.2018	18,688,900	इकट्ठी पर 94%	-	17,500,000
3	असम Assam	2012-13	12.10.2018	54,700,000	-	-	-
		2013-14	12.10.2018			-	-
4	बिहार Bihar	-	2011-12 के लिए अंतिम लाभांश 2012-13 के लिए अंतिम लाभांश	32,099,400	-	-	146,218
5	छत्तीसगढ़ Chhattisgarh	-		20,192,000	-	-	1,600,601
6	गुजरात Gujarat	-		20,000,000	-	-	-
7	हरियाणा कर्नाटक Karnataka	2016-17	29.08.2018	29,203,700	फारली पर 15%	-	21,479,250
8	Karnataka	2016-17	20.07.2018	39,000,000	पीपटी पर 20%	-	6,216,597
9	केरल Kerala	2014-15	24.05.2018	57,500,000	-	-	-
		2015-16	23.11.2018			-	-

10	एमपीडब्ल्यूएलसी MPWLC	2016-17	15.03.2019	37,808,000	इकिटी का 64%
11	महाराष्ट्र Maharashtra	2017-18	29.09.2018	41,132,000	इकिटी का 24%
12	मेघालय Meghalaya	2016-17	11.09.2018	12,256,200	-
13	ओडिशा Odisha	2016-17	28.11.2018	18,000,000	पीएटी पर 30 %
14	ਪंजਾਬ Punjab	2015-16 2016-17	22.06.2018 28.03.2019	40,000,000	-
15	राजस्थान Rajasthan	2017-18	27.09.2018	39,263,000	इकिटी का 30%
16	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh			53,977,000	-
17	उत्तराखण्ड Uttarakhand			1,848,000	-
18	तमில்நாடு Tamil Nadu			38,050,000	-
19	পশ্চিম বাংলা West Bengal			38,070,000	-
20	সीআরডব্ল্যুএসী CR WEC	2018-19			इকिटी का 17%
		कुल Total	617,938,400		68,952,000
					252,942,703



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Govt.of India Undertaking)

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास
गतिविधियों पर रिपोर्ट

**Report on Corporate Social
Responsibility and Sustainable
Development Activities,**

2018-19

62वीं वार्षिक रिपोर्ट

62nd Annual Report

2018-19

REPORT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACTIVITIES

1. CWC has a great sense of responsibility and sensitivity towards CSR and is conscious of meeting its social obligations. Corporation has adopted revised guidelines of DPE on CSR and CSR provisions contained in Companies Act, 2013. CSR Rules, 2014, schedule VII of time to time. CWC aims to achieve following vision from CSR through the activities mentioned below:
 - a) Inclusive growth of society with attention to development of weaker sections of society and backward districts to the country. This will include activities in the field of :
 - i.) Providing safe drinking water, health care and sanitation.
 - ii.) Promotion of education/ skill development programme
 - iii.) Empowering women, physically handicapped, elders, orphans and economically backward groups'
 - iv.) Infrastructural development
 - b) Environmental sustainability
 - i. Water and energy management
 - ii. Promotion of renewable source of energy
 - iii. Environment protection / sustainability
2. The CSR Committee comprise of following three Directors, with an Independent Director being the Chairman of the Committee:-

Sh. Sharda Prasad	:	Chairman
Sh. Adikesavan S.	:	Member
Sh. Arun Kumar Shrivastava :		Member
3. Average net profit of the Corporation of the three immediately preceding financial year is Rs.186.07 crore.
4. The Corporation was required to spend Rs. 392.74 lakh on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Activities during the year 2018-19 which includes Rs.19.57 lakh that remained unspent during the year 2017-18.

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुरिथर विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. केन्द्रीय भंडारण निगम निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण एवं संवेदनशील है तथा अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जागरूकता से कार्य कर रहा है। निगम ने निगमित सामाजिक दायित्व पर डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित निगमित सामाजिक दायित्व प्रावधानों, निगमित सामाजिक दायित्व नियम, 2014, कंपनी अधिनियम की अनुसूची -VII एवं उसमें समय-समय पर हुए संशोधनों को अपनाया है। केन्द्रीय भंडारण निगम का उद्देश्य नीचे दी गई गतिविधियों के द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व से निम्नलिखित दूरदर्शिता प्राप्त करना है:-
 क. समाज के विकास सहित समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों एवं देश के पिछड़े ज़िलों के विकास की ओर ध्यान देना है। इन क्षेत्रों में यह गतिविधियां शामिल होंगी:-
 (i) पीने का स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सफाई प्रदान करना।
 (ii) शिक्षा/कौशल विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।
 (iii) महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग, बुजुर्गों, अनाथों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करना।
 (iv) अवसंरचनात्मक विकास।
 ख. पर्यावरणीय सुरिथरता :-
 (i) जल एवं ऊर्जा प्रबंधन।
 (ii) ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोतों को प्रोत्साहन देना।
 (iii) पर्यावरण संरक्षण/सुरिथरता।
2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित 3 निदेशक हैं जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक होता है और वह समिति का अध्यक्ष होता है।

श्री शारदा प्रसाद,	:	अध्यक्ष
श्री अदिकेसवन एस.	:	सदस्य
श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	:	सदस्य
3. निगम का तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ 186.07 करोड़ रु. है।
4. वर्ष 2018-19 के दौरान निगम को निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुरिथर विकास गतिविधियों पर 392.74 लाख रु. खर्च करना अपेक्षित था जिसमें वर्ष 2017-18 में न खर्च की गई शेष राशि 19.57 लाख रु. भी शामिल हैं।

5. Details of CSR spent during the financial year:

- a) Total amount to be spent for the financial year is Rs.392.74 lakh.
- b) Amount actually spent during the year 2018-19 is Rs. 402.65 lakh.
- c) Amount unspent in the financial year is Rs NIL lakh.
- d) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed:-

S. NO	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	(1) Projects or programs local area or other (2) Specify the state and district where projects or programmes was undertaken	Amount outlay (Budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: 1) Direct expenditure on projects or program 2) Overheads	Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1	Hindlabs, Diagnostic Centre of HLL Life care Limited (A Government of India Enterprise)	Health	Odisha (Rayagada& Berhampur), Uttar Pradesh (Ballia) & Assam (Barpeta)	11.20	11.20	11.20	Outside Agency (Hindlabs , New Delhi)
2	Rajkiya Varishtha Madhyamik Vidyal aya, Hasaka, Rewari	Education/ Environment & Sustainability	Rewari	0.90	0.90	0.90	Govt. School
3	National Handicapped Finance and Development Corporation, New Delhi	Skill Development	100 PwDs at Haridwar (Uttarakhand)	28.17	28.17	28.17	Outside Agency (NHFDC, New Delhi)
4	PrathmikVidyalay aJiwalaAhatmal, Distt. Saharanpur	Education	Saharanpur	1.60	1.60	1.60	Govt. School

5. वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए खर्च का विवरण :

(क) वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की जाने वाली राशि 392.74 लाख रु. है।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान की गई वास्तविक खर्च राशि 402.68 रु. है।

(ग) वित्तीय वर्ष में खर्च न की गई राशि शून्य लाख रुपए है।

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस प्रकार राशि खर्च की गई, उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	निगमित सामाजित दायित्व परियोजना या पहचान की गई गतिविधि	जिस क्षेत्र में परियोजना करव की गई	परियोजना क्षेत्र या अन्य में परियोजना अथवा कार्यक्रम	(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य में परियोजना अथवा कार्यक्रम (2) राज्य एवं जिले का ब्योरा जिसमें परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए	परियोजना अथवा कार्यक्रम उप-शीर्ष पर खर्च की गई राशि: (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च	सीधे अथवा कार्यान्वित एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि:
1	हिन्दलैब्स डायग्नोस्टिक सेन्टर ऑफ एचएलएल लाईफ केयर लि. (भारत सरकार का उद्यम)	स्वास्थ्य	ओडिशा (रायगढ़ एवं बेरहामपुर), उत्तर प्रदेश (बलिया) एवं असम(बारपेटा)	11.20	11.20	11.20	बाहरी एजेंसी (हिन्दलैब्स, नई दिल्ली)
2	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हासका, रेवाड़ी	शिक्षा / पर्यावरण एवं सुरक्षा	रेवाड़ी	0.90	0.90	0.90	सरकारी विद्यालय
3	नेशनल हैंडिकेप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली	कौशल विकास	हरिद्वार में 100 पीडब्ल्यूडी (उत्तराखण्ड)	28.17	28.17	28.17	बाहरी एजेंसी (एनएचएफडीसी, नई दिल्ली)
4	प्राथमिक विद्यालय जिवाला अहातमल, जिला सहारनपुर	शिक्षा	स्थानपुर	1.60	1.60	1.60	सरकारी विद्यालय
5	डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ	शिक्षा	मुज्जाफरनगर	2.30	2.30	2.30	सरकारी विद्यालय

5	District Institute of Education and Training, Muzaffarnagar	Education	Muzaffarnagar	2.30	2.30	2.30	Govt. School
6	CSC Academy, e-governance Service India Ltd, Minisrty of Electronics & IT	Women Health	Various Places	5.00	5.00	5.00	Outside Agency (CSC Academy, New Delhi)
7	The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India {ALMICO}	Health	Moga	25.00	25.00	25.00	Outside Agency (ALIMCO, Kanpur)
8	Premdham, A Rehabilitation Centre for Differently-abled, Destitute and Terminally ill, Najibabad, Bijnor, U.P.	Environment & Sustainability	Bijnor	4.41	4.41	4.41	Outside Agency (Prem-dham Bijnor)
9	National Backward Class Finance & Development Corporation (NBFCDF) for the year 2017-18, after submission of the project completion report in Aug.2018	Skill Development	Kamrup&Basilore	28.80	28.80	28.80	Outside Agency (NBFCDF, New Delhi)
10	Swachh Bharat Kosh, as per DPE guidelines, dated 01.08.2016.	Environment & Sustainability		129.25	129.25	129.25	Govt. of India
11.	Toilets in 05 Schools at JiwalaAhatmal (Saharanpur), DIET (Muzaffarnagar), Balachaur (BBS Nagar), DIET (Adilabad) and Warangal	School Education & Infrastructure	Saharanpur, Muzaffarnagar, Punjab, Adilabad, Warangal	16.02	16.97	16.97	Govt. School


	एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मुज्जफरनगर						
6	सीएससी एकेडमी, ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि., विद्युत एवं आईटी मंत्रालय	महिला स्वास्थ्य	विविध रथान	5.00	5.00	5.00	बाहरी एजेंसी (सीएससी अकेडमी, नई दिल्ली)
7	आर्टिफिशियल लिम्ब मैनुफेक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एएलएमआईसीओ)	स्वास्थ्य	मोगा	25.00	25.00	25.00	बाहरी एजेंसी (एएलआईएमसीओ, कानपुर)
8	प्रेमधाम, निःशक्त, निराश्रित एवं बीमार पुनर्वास केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	पर्यावरण एवं सुरिधरता	बिजनौर	4.41	4.41	4.41	बाहरी एजेंसी (प्रेमधाम बिजनौर) ॥
9	अगस्त, 2018 में प्रोजेक्ट पूरा होने की रिपोर्ट जमा करने के उपरान्त वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय पिछँड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम (एनबीएफसीडी)	कौशल विकास	कामरूप एवं बालासौर	28.80	28.80	28.80	बाहरी एजेंसी (एनबीएफसीडी, नई दिल्ली)
10	दिनांक 01.08.2016 की डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार स्वच्छ भारत कोष	पर्यावरण एवं सुरिधरता		129.25	129.25	129.25	भारत सरकार
11	जिवाला अहातमल (सहारनपुर), डीआईईटी(मुज्जफरनगर), बालाचौर (बीबीएस नगर), डीआईईटी(अदीलाबाद) एवं वारंगल के 5 विद्यालयों में शैक्षालय बनवाना	स्कूल शिक्षा एवं अवसंरचना	सहारनपुर, मुज्जफरनगर, पंजाब, अदिलाबाद, वारंगल	16.02	16.97	16.97	सरकारी विद्यालय

12.	Construction of 65 nos of Rain Water Harvesting Units (RWHS) by Engineering Division	Environmental Sustainability	Various Places	98.98	104.85	104.85	Direct (Engg. Div., CWC, CO, New Delhi)
13.	Training program for farmers on "Post-Harvest Technology"	Rural Development	Various Places	19.57	16.36	16.36	Direct (Tech. Div., CWC, CO, New Delhi)
14.	NamamiGange Fund	Environmental Sustainability		20.49	20.49	20.49	Govt. of India
15.	National Schedule Caste Finance and Development Corporation	Skill Development Training		7.38	7.38	7.38	Outside Agency (NSCF & DC, New Delhi)
	Total Amount			399.07	402.65	402.65	

It is hereby confirmed that the implementation and monitoring of CSR and Sustainable Development Policy is in compliance with CSR and Sustainable Development objectives and policy of the Corporation.

12	अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 65 वर्षा जल संचयन ईकाइयों (आरडब्ल्यूएच) का निर्माण	पर्यावरण एवं सुरक्षितता	विविध स्थान	98.98	104.85	104.85	सीधे (अभियांत्रिकी विभाग, केबनि, निका., नई दिल्ली)
13	"फसलोंपरान्त तकनीक" पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	विविध स्थान	19.57	16.36	16.36	सीधे (तकनीकी विभाग, केबनि, निका., नई दिल्ली)
14	नमामि गांगे फंड	पर्यावरण एवं सुरक्षितता		20.49	20.49	20.49	भारत सरकार
15	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	कौशल विकास प्रशिक्षण		7.38	7.38	7.38	याहरी एजेंसी (एनएससीएफ एवं डीसी, नई दिल्ली)
	कुल राशि			399.07	402.68	402.68	

एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुरक्षित विकास नीति का कार्यान्वयन एवं
मॉनीटरिंग निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुरक्षित विकास के उद्देश्यों एवं निगम की नीति के अनुपालन में है।





केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation
(A Govt.of India Undertaking)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट
**REPORT ON CORPORATE
GOVERNANCE**

62वीं वार्षिक रिपोर्ट

62nd Annual Report

2018-19

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. CORPORATION'S CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY

The objective of the Central Warehousing Corporation (CWC) in relation to Corporate Governance is to enhance shareholders value in the long run by ensuring transparency, proper disclosures and reporting in a manner so as to comply with the statutory regulations and also promote ethical conduct across the organization. CWC believes in good governance through trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to implement the Government policies.

CWC operates with the mission to provide reliable, cost-effective, value-added and integrated warehousing and logistics solutions in a socially responsible and environment friendly manner. The vision of the Corporation is to emerge as a leading market facilitator by providing integrated warehousing infrastructure and other logistics services, supporting India's growing economy with emphasis on stakeholder satisfaction.

Corporation has complied with the guidelines of the Corporate Governance to help fulfil its corporate governance responsibilities towards stakeholders.

2. COMPOSITION OF THE BOARD

The Board of Directors of the Corporation has been constituted under Section 7(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 and has a mix of Functional, Nominee and Independent Directors. The Board comprises of six part-time Directors including Chairman nominated by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India, one Independent Director nominated by the State Bank of India being a shareholder, three Directors elected by the respective class of shareholders, three Functional Directors and a Managing Director appointed by the Government of India.

The composition of the Board as on 31.03.2019 was as under:

S. No.	Name of Director	Category	Sl. No.	Directorship in other Boards	Sl. No.	Sub-Committee of Board of which Member/ Chairman
1.	Shri D.V.Prasad w.e.f. 11.01.2019	Nominee	(i) (ii) (iii)	C.M.D, FCI Chairman, CWC Chairman CRWC Ltd.	(i) (ii)	Chairman – Executive Committee (EC) CWC. Chairman – Executive Committee (EC) FCI.
2.	Shri E.K.Majhi, IAS	Nominee		CRWC Ltd.	(i)	Member -Executive Committee, CWC

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. निगम की कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दूरदर्शिता

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में केन्द्रीय भंडारण निगम का उद्देश्य पारदर्शिता, समुचित प्रकटन एवं रिपोर्टिंग को इस तरह सुनिश्चित करके लम्बी अवधि के लिए अंशधारियों के अंशों के मूल्य को बढ़ाना है जिससे संपूर्ण संगठन में सांविधिक विनियमों के अनुपालन सहित नैतिक आचरण भी प्रोन्त हो सके। केन्द्रीय भंडारण निगम सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यासिता, सशक्तीकरण एवं प्रबन्धन की जवाबदेही के माध्यम से सुशासन में विश्वास करता है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम का लक्ष्य सामाजिक दायित्व एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत-प्रभावी, मूल्य संवर्द्धन एवं एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया करना है। निगम की दूरदर्शिता ग्राहक संतुष्टि पर बल देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करते हुए एक अग्रणी संसाधन के रूप में उभरने की है।

निगम कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है ताकि वह स्टेकहोल्डर्स के प्रति अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस के दायित्वों को पूरा कर सके।

2. निदेशक मंडल का गठन

निगम के निदेशक मंडल का गठन वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 7(1) के अंतर्गत हुआ है। इसमें प्रकार्यात्मक, नामिती एवं स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं। निदेश कमंडल में अध्यक्ष, सहित 6 अंशकालिक निदेशक हैं जिन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है, अंशधारी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामित एक स्वतंत्र निदेशक, 3 निदेशक संबंधित श्रेणी के अंशधारियों द्वारा निर्वाचित हैं प्रबन्ध निदेशक तथा तीन प्रकार्यात्मक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

31.03.2019 को निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार था :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	क्र. सं.	अन्य निदेशक मंडलों में निदेशिता	क्र. सं.	निदेशक मंडल की उप समिति जिसके सदस्य / अध्यक्ष हैं
1	श्री डी.वी.प्रसाद 11.01.2019	नामित	(i) (ii) (iii)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष, सीआरडब्ल्यूसी	(i) (ii)	अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (ईसी) केभनि अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (ईसी) भाखानि
2	श्री ई.के. माझी, आईएएस	नामित		सीआरडब्ल्यूसी लि.	(i)	सदस्य—कार्यकारी समिति, केभनि

3.	Shri Virendra Singh	Independent		NIL		Member-Board Level Risk Management Committee, Remuneration Committee, CWC.
4.	Shri K.V. Pradeep Kumar	Independent		NIL	(i) (ii) (iii) (iv)	Member-Board Level Risk Management Committee. Chairman- Remuneration Committee, CWC. Member Audit Committee, CWC. Member-Executive Committee, CWC
5.	Shri Adikesavan S.	Independent		Director-National E- Responsibility Limited (N.E-RL)	(i) (ii) (iii) (iv)	Chairman- Board Level Risk Management Committee, CWC. Member-Remuneration Committee, CWC. Member-CSR Committee, CWC. Member-Audit Committee, CWC
6.	Shri Ajay Vyas	Independent	(i) (ii)	CEDMAP under NSDC CMPGB	(i)	Member -Audit Committee, CWC
7.	Shri Sharda Prasad	Independent			(i) (ii)	Chairman-Audit Committee, CWC. Chairman CSR Committee, CWC.
8.	Shri S. Charles	Functional	(i) (ii)	TN SWC MEGHALAYA SWC		
9.	Shri S.C. Mudgerikar	Functional		(i) Maharashtra, SWC (ii) West Bengal SWC (iii) IFFCO-CRWC Joint Venture		
10.	Shri Arun Kumar Shrivastava	Functional	(i) (ii)	CRWC Food Corporation of India	(i) (ii) (iii)	Member- Executive Committee of CWC Member-CSR, Remuneration & Audit Committees of CRWC. Member-Board Level Risk Mgmt. Committee of Food Corporation of India.

3	श्री वीरेन्द्र सिंह	स्वतंत्र		शून्य		सदस्य, बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, सदस्य पारिश्रमिक समिति, केमनि
4	श्री के.वी. प्रदीप कुमार	स्वतंत्र		शून्य	(i) (ii) (iii) (iv)	सदस्य, बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति अध्यक्ष, पारिश्रमिक समिति, केमनि सदस्य, लेखा परीक्षा समिति, केमनि सदस्य-कार्यकारी समिति, केमनि
5	श्री अदीकेसवन एस.	स्वतंत्र		निदेशक- नेशनल इ-रेसपॉन्सिलिटी लि. (एन.इ.आरएल)	(i) (ii) (iii) (iv)	अध्यक्ष, बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, केमनि सदस्य पारिश्रमिक समिति, केमनि सदस्य, सीएसआर समिति, केमनि सदस्य लेखा परीक्षा समिति, केमनि
6	श्री अजय व्यास	स्वतंत्र	(i) (ii)	एनएसडीसी के अधीन सीईडीएमएपी सीएमपीजीबी	(i)	सदस्य, लेखा परीक्षा समिति, केमनि
7	श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस	स्वतंत्र			(i) (ii)	अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, केमनि अध्यक्ष, सीएसआर समिति, केमनि
8	श्री एस.चार्ल्स	प्रकार्यात्मक	(i) (ii)	तमिलनाडु एसडब्ल्यूसी मेधालय एसडब्ल्यूसी		
9	श्री एस.सी. मुदगोरिकर	प्रकार्यात्मक		(i) महाराष्ट्र एसडब्ल्यूसी (ii) पश्चिमी बंगाल एसडब्ल्यूसी (iii) इफको- सीआरडब्ल्यूसी संयुक्त उद्यम		
10	श्री अरुण कुमार श्रीवारत्न	प्रकार्यात्मक	(i) (ii)	सीआरडब्ल्यूसी भारतीय खाद्य निगम	(i) (ii) (iii)	सदस्य- केमनि की कार्यकारी समिति सदस्य- सीआरडब्ल्यूसी की सीएसआर, पारिश्रमिक एवं लेखा परीक्षा समिति सदस्य- बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, भारतीय खाद्य निगम

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year under report, the following changes in the Board of Directors took place:

- (i) Shri D.V.Prasad, IAS was nominated on 11.01.2019 by the Govt. of India on the Board in place of Shri Yogendra Tripathi, IAS.
- (ii) Shri E.K.Majhi, IAS, Additional Secretary(Storage) was nominated by the Govt. on the Board on 08.05.2018 in place of Shri Suresh Kumar Vashishth, IAS.
- (iii) Shri Arun Kumar Shrivastava, Managing Director, joined the Board on 18.06.2018 on his appointment by the Govt. of India in place of Shri J.S.Kaushal, Director(Personnel), who was also holding the charge of Managing Director.

During the year under report, the following changes took place:

(a) Directors who relinquished the charge

Name	Date of Relieving	Category
Shri Yogendra Tripathi, IAS	30.11.2018	Govt. Nominee Director
Shri Suresh Kumar Vashishth, IAS	13.04.2018	Govt. Nominee Director
Shri J.S. Kaushal	02.06.2018	Functional Director

(b) Directors who joined:

Name	Date of joining	Category
Shri D.V.Prasad, IAS	11.01.2019	Govt. Nominee Director
Shri E.K.Majhi, IAS	08.05.2018	Govt. Nominee Director
Shri Arun Kumar Shrivastava	18.06.2018	Functional Director

3. REMUNERATION OF DIRECTORS

CWC is a Government of India Undertaking in which the Managing Director and three Functional Directors are appointed by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Govt of India on their respective pay scales with perquisites. The Managing Director and the Functional Directors are appointed for a period of five years or till the date of their superannuation or until further orders, whichever is earlier. Non-official part-time Independent Directors are nominated by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution or elected by the respective class of shareholders (Co-operative Societies, Insurance Companies etc, and other Scheduled Banks respectively) for a period of three years. The sitting fee paid to the non-official Directors was increased to Rs. 8,000/- and Rs. 7000/- from Rs. 6,000/- and Rs. 4500/- w.e.f. 13.06.2017 respectively for

निदेशक मंडल में परिवर्तन

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

- (i) श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आईएएस के रथान पर दिनांक 11.01.2019 को भारत सरकार द्वारा बोर्ड में श्री डी.वी. प्रसाद, आईएएस को नामित किया गया है।
- (ii) श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ, आईएएस के रथान पर दिनांक 08.05.2018 को भारत सरकार द्वारा बोर्ड में श्री ई. के.माझी, आईएएस, अतिरिक्त सचिव (संग्रह) को नामित किया गया।
- (iii) श्री जे.एस. कौशल, निदेशक (कार्मिक) जिनके पास प्रबंध निदेशक का भी चार्ज था, के रथान पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2018 को श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यग्रहण करने पर बोर्ड में समिलित हुए।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए :-

(क) जो निदेशक कार्यमुक्त हुए :

नाम	कार्यमुक्ति की तिथि	श्रेणी
श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आईएएस	30.11.2018	सरकारी नामित निदेशक
श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ, आईएएस	13.04.2018	सरकारी नामित निदेशक
श्री जे.एस.कौशल	02.06.2018	प्रकार्यात्मक निदेशक

(ख) जिन निदेशकों ने कार्यभार ग्रहण किया:

नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	श्रेणी
श्री डी.वी.प्रसाद, आईएएस	11.01.2019	सरकारी नामित निदेशक
श्री ई.के.माझी, आईएएस	08.05.2018	सरकारी नामित निदेशक
श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	18.06.2018	प्रकार्यात्मक निदेशक

3 निदेशकों का पारिश्रमिक

केन्द्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसमें प्रबंध निदेशक तथा 3 प्रकार्यात्मक निदेशक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनके संबंधित वेतनमानों एवं परिलक्षियों पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रबंध निदेशक तथा प्रकार्यात्मक निदेशक पांच वर्ष अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख अथवा अगले आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए नियुक्त किए जाते हैं। गैर सरकारी, अंशकालिक, स्वतंत्र निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं अथवा संबंधित अंशधारियों की श्रेणी (क्रमशः सहकारी समितियां, बीमा कंपनियां इत्यादि एवं अन्य अनुसूचित बैंक) द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की उप समितियों अर्थात् कार्यकारी समिति, लेखा परीक्षा समिति, वित्तीय रथायी

attending each meeting of the Board and the Sub-Committees of the Board (i.e Executive Committee, Audit Committee, Standing Committee on Finance, Remuneration Committee, Committee on Corporate Social Responsibility & Sustainability and Board level Risk Management Committee) respectively.

The details of the remuneration paid to the Directors during 2018-19 are given below:

(i) NON OFFICIAL DIRECTORS (Independent):

Name	Designation	Sitting fees (Rs.)
Sh Virendra Singh	Director	69,000/-
Sh K.V. Pradeep Kumar	Director	1,54,000/-
Sh.Sharda Prasad, IAS(Retd.)	Director	1,26,000/-

(ii) PART - TIME DIRECTORS (Nominee and Independent):

Name	Designation	Sitting fees (Rs.)
Sh. Yogendra Tripathi, IAS	Director (Nominee)	NIL
Sh.Suresh Kumar Vashishth,IAS	Director (Nominee)	NIL
Sh. Adikesavan S.	Director (Independent)	NIL

(iii) FUNCTIONAL DIRECTORS:

Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors

S. No	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD				(Rs. in Lakh)
	Sh.Arun Kumar Shrivastava, MD	Sh.Savari muthu Charles, Director (Finance)	Sh.Shrinivas C. Mudgerikar, Director (M&CP)	Sh.J.S.Kaushal, Director (Personnel)		
	Joined CWC on 18.06.2018 as Managing Director				Repatriated to parent organisation (IOCL) on 31.05.2018	
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	31.18	43.27	40.74	10.96	126.15
(b)	Value of perquisites u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961	2.37	0.76	4.92	0.74	8.79
(c)	Profits in lieu of salary under section 17 (3) of the Income-tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gross Salary Total (a+b+c)	33.55	44.03	45.66	11.70	134.94

समिति, पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुरक्षित समिति तथा निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबन्धन समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला सिटिंग शुल्क दिनांक 13.06.2017 से 6000/-रु. एवं 4500/-रु. से बढ़ाकर क्रमशः 8,000/-रु. एवं 7000/-रु. कर दिया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) :

नाम	पदनाम	सिटिंग शुल्क(रु.)
श्री वीरेन्द्र सिंह	निदेशक	69,000/-
श्री के.वी.प्रदीप कुमार	निदेशक	1,54,000/-
श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त)	निदेशक	1,26,000/-

(ii) अंशकालिक निदेशक(नामिती एवं स्वतंत्र) :

नाम	पदनाम	सिटिंग शुल्क (रु.)
श्री योगेन्द्र त्रिपाठी,आईएएस	निदेशक (नामिती)	शून्य
श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ, आईएएस	निदेशक (नामिती)	शून्य
श्री अदीकेशवान एस.	निदेशक (स्वतंत्र)	शून्य

(iii) प्रकार्यात्मक निदेशक:

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक नाम				राशि लाख रु. में
	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक	श्री सावरी मुथू चार्ल्स, निदेशक(वित्त)	श्री श्रीनिवास सी. मुदगेरिकर, निदेशक(एमसीपी)	श्री जे.एस. कौशल निदेशक (कार्मिक)		
	दिनांक 18.06. 2018 को प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यग्रहण				दिनांक 31. 05.2018 को मूल संगठन में प्रत्यावर्तित	
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन	31.18	43.27	40.74	10.96	126.15
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलक्षियाँ	2.37	0.76	4.92	0.74	8.79
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्कल कुल वेतन (क+ख+ग)	33.55	44.03	45.66	11.70	134.94

4. BOARD MEETINGS:

The meeting of the Board of Directors are generally held at least once in a quarter at the Corporate Office of the Corporation or at place decided by the Board of Directors and are scheduled well in advance. The meetings of the Board of Directors are governed by a structured agenda and any member of the Board is free to recommend inclusion of any subject matter in the agenda for deliberations. Detailed agenda papers are circulated well in advance to facilitate the Directors to take considered decisions.

The Attendance of Directors at the Board meetings held during the year under report and at the 56th Annual General Meeting held on the 29th September, 2018 was as under:

Name of Director	Category	28.06.18	09.08.18	28.08.18	28.09.18	27.11.18	08.02.19	13.03.19	No. of Board meeting attended	Whether present during the AGM on 29.09.2018
Sh. Yogendra Tripathi, IAS Chairman, CWC, (add. Charge)	Nominated Director	✓ J	✓	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	5/5	Yes
Sh. E.K. Majhi, IAS	Nominee Director	X	X	✓	X	✓	✓	✓	4/7	NO
Sh. Virendra Singh	Independent Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	Yes
Sh. K.V. Pradeep Kurnar	Independent Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	Yes
Sh. S.Charles, Director (Finance)	Functional Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	Yes
Sh. S.C. Mudgerikar Director (M&CP)	Functional Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	6/7	Yes
Sh. Arun Kumar Shrivastava Managing Director	Functional Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	Yes
Sh. Ajay Vyas	Independent Director	✓	X	X	V.C.	✓	X	✓	4/7	X
Sh. Adikesavan S.	Independent Director	X	X	V.C.	V.C.	✓	V.C.	X	4/7	No
Sh. Sharda Prasad	Impendent Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	yes
Sh.D.V Prasad, IAS, Chairman	Nominee Director	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	2/2	NA

- ✓ - Meeting attended
- NA - Not applicable (not in position)
- X - Meeting not attended
- VC - Video conferencing

4. निदेशक मंडल की बैठकें:

सामान्यतः निदेशक मंडल की बैठक निगम के निगमित कार्यालय या निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होती है तथा इसकी तारीख तथा समय पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। निदेशक मंडल की बैठकें संरचित कार्यसूची के आधार पर होती हैं तथा निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य चर्चा हेतु कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने के लिए सिफारिश करने हेतु स्वतंत्र है। विस्तृत कार्यसूची के कागजात पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि निदेशक मंडल के सदस्य इन पर विचार कर निर्णय ले सकें।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों तथा 29 सितंबर, 2018 को हुई 56वीं वार्षिक साधारण बैठक में
निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	श्रेणी	28.06.18	09.08.18	28.08.18	28.09.18	27.11.18	08.02.19	13.03.19	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की सं.	दिनांक 29.09.2018 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति
श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आईएएस, अध्यक्ष, केमनि (अतिरिक्त प्रभार)	नामित निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	5/5	जी हैं
श्री इ.के.माझी, आईएएस	नामित निदेशक	X	X	✓	X	✓	✓	✓	4/7	जी नहीं
श्री वीरेन्द्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हैं
श्री के.वी. प्रदीप कुमार	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हैं
श्री एस चाल्स निदेशक(वित्त)	प्रकार्यात्मक निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हैं
श्री एस.सी. मुदगेरीकर, निदेशक(एमसीपी)	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	6/7	जी हैं
श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक	प्रकार्यात्मक निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हैं
श्री अजय व्यास	स्वतंत्र निदेशक	✓	X	X	वी सी	✓	X	✓	4/7	X
श्री आदीकेसवन एस.	स्वतंत्र निदेशक	X	X	वी सी	वी सी	✓	वी सी	X	4/7	जी नहीं
श्री शारदा प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हैं
श्री डी.वी. प्रसाद, आईएएस, अध्यक्ष	नामित निदेशक	लागू नहीं	✓	✓	2/2	लागू नहीं				

✓ बैठक में उपस्थित

एनए लागू नहीं

X बैठक में भाग नहीं लिया

VC विडियो कॉनफ्रॉन्टिंग

1. In addition to above two Board Meeting was conducted by circulation on 16.04.2018 & 12.12.2018 wherein an agenda was got approved by majority decision keeping in view of the urgency on the matter.

5. COMMITTEES OF THE BOARD:-

The Board of Directors has constituted the following committees with their distinct role, authority and accountability:

- (a) Executive Committee
- (b) Audit Committee
- (c) Standing Committee on Finance
- (d) Remuneration Committee
- (e) Committee on Corporate Social Responsibility & Sustainability
- (f) Committee on Risk Management
- (g) Committee on Amendments in Recruitment Rules (RRs) across all cadres in the Corporation.

(a) Executive Committee

The Executive Committee (EC) constituted under Section 12 of the Warehousing Corporations Act, 1962 consists of the part time Chairman, Managing Director and two members elected by the Board from among the Directors. During the year 2018-19, the EC met 04 times as per details given below:-

S. No.	Date of Meeting	Members present	Chairman
1.	14.06.2018	Sh. S.C.Mudgerikar Sh. K.V.Pradeep Kumar	Sh. E.K.Majhi, IAS
2.	13.09.2018	Sh. E.K.Majhi, IAS Sh. K.V.Pradeep Kumar Sh. Arun Kumar Shrivastava	Sh. Yogendra Tripathi, IAS
3.	08.02.2019	Sh. E.K.Majhi, IAS Sh. K.V. Pradeep Kumar Sh. Arun Kumar Shrivastava	Sh. D.V.Prasad, IAS
4.	13.03.2019	Sh. E.K.Majhi, IAS Sh. K.V. Pradeep Kumar Sh. Arun Kumar Shrivastava	Sh. D.V.Prasad, IAS

The Functional Directors also attended the meetings of the EC as invitees to assist during the deliberations.

(b) Audit Committee

The Audit Committee constituted by the Board of Directors comprises of one part time nominee Director and two Independent Directors as its members with one of the Independent Directors as the Chairman of the Audit Committee. Subsequently one more Independent Director was nominated in the committee

उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिनांक 16.04.2018 व 12.12.2018 को बोर्ड की दो बैठक संचालन द्वारा आयोजित हुई जिसमें मामले की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुमत से एजेंडा को अनुमोदित किया गया।

5. निदेशक मंडल की समितियां :

निदेशक मंडल ने अपनी सुरक्षा भूमिका, जवाबदेही तथा प्राधिकार के साथ निम्नलिखित समितियां गठित की हैं :

- (क) कार्यकारी समिति
- (ख) लेखा परीक्षा समिति
- (ग) वित्त रथायी समिति
- (घ) पारिश्रमिक समिति
- (ङ) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुरक्षितता समिति
- (च) जोखिम प्रबन्धन समिति
- (छ) निगम में सभी संवर्गों के भर्ती नियमों (आर.आर.) में संशोधन के लिए समिति।

(क) कार्यकारी समिति

वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 की धारा-12 के अधीन कार्यकारी समिति (ईसी) गठित की गई जिसमें अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों में से निर्वाचित दो सदस्य होते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यकारी समिति की 04 बैठकें हुईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	14.06.2018	श्री एस.सी. मुदगेरीकर, श्री के.वी. प्रदीप कुमार	श्री इ.के.माझी, आईएएस
2	13.09.2018	श्री इ.के.माझी, आईएएस श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आई.ए.एस.
3	08.02.2019	श्री इ.के.माझी, आईएएस श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	श्री डी.वी.प्रसाद, आई.ए.एस.
4	13.03.2019	श्री इ.के.माझी, आईएएस श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	श्री डी.वी.प्रसाद, आई.ए.एस.

प्रकार्यात्मक निदेशकों ने भी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारी समिति की बैठकों में सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

(ख) लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मण्डल द्वारा लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें एक अंशकालिक नामिती निदेशक एवं तीन स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। एक स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तत्पश्चात् एक और स्वतंत्र निदेशक को समिति में नामित किया गया जिसके फलस्वरूप दिनांक 28.06.2018 से समिति में स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या तीन हो गई हैं। लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में लेखा

from 28.06.2018. The terms of reference of the Audit Committee include overseeing the audit function, reviewing critical findings, ensuring compliance with accounting standards and concurring financial statements before being submitted to the Board. During the year 2018-19, the Audit Committee had six meetings as given below:-

S. No.	Date of meeting	Members present	Chairman
1	06.06.2018	Sh. K.V. Pradeep Kumar	Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
2	22.08.2018	Sh. K.V. Pradeep Kumar	Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
3	28.08.2018	Sh. E.K.Majhi, IAS Sh. K.V. Pradeep Kumar Sh. Adikesavan S.	Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
4	28.09.2019	Sh. K.V. Pradeep Kumar Sh. Adikesavan S. (through VC)	Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
5	27.11.2018	Sh.E.K.Majhi, IAS Sh. K.V. Pradeep Kumar Sh. Adikesavan S.	Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
6	13.03.2019	Sh.K.V.Pradeep Kumar	Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS

Director (Finance) attended six meetings i.e upto 13.03.2019 and Managing Director has attended one meeting held on 06.06.2018 as special invitees to assist the Audit Committee during its deliberations.

(c) Standing Committee on Finance:

The Standing Committee on Finance (**SCF**) constituted by the Board, comprises of one Nominee Independent Director and two Independent Directors as members with nominee Independent Director as the Chairman of SCF. One meeting of the SCF was called during the year. The details of the meeting of the SCF are as under:

S. No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1	06.06.2018	Sh. K.V. Pradeep Kumar	Sh. Sharda Prasad Rtd. IAS

The Joint Secretary (Storage) attended the meeting on 06.06.2018 as Special Invitee and Director(M&CP) & Director (Finance) attended the meeting on 06.06.2018 as Permanent Special Invitees to assist the S.C.F. in its deliberations.

परीक्षा कार्य पर निगरानी रखना, महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करना, लेखा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों को सहमति देना शामिल है। वर्ष 2018-19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें हुईं जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	06.06.2018	श्री के.वी. प्रदीप कुमार	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस
2	22.08.2018	श्री के.वी. प्रदीप कुमार	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस
3	28.08.2018	श्री ई.के.माझी, आईएएस श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अदीकेसवन एस.	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस,
4	28.09.2019	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अदीकेसवन एस. (वी.सी. के माध्यम से)	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस,
5	27.11.2018	श्री ई.के.माझी, आईएएस श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अदीकेसवन एस.	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस,
6	13.03.2019	श्री के.वी. प्रदीप कुमार	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस,

निदेशक (वित्त) ने 13.03.2019 तक छः बैठकों में भाग लिया और प्रबंध निदेशक ने 06.06.2018 को लेखा परीक्षा समिति की एक बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में चर्चा में भाग लिया।

(ग) वित्त स्थायी समिति

निदेशक मण्डल द्वारा वित्त स्थायी समिति (वि.स्थायी.स.) का गठन किया गया जिसमें एक नामिती स्वतंत्र निदेशक एवं दो स्वतंत्र निदेशक सदस्यों के रूप में शामिल हैं जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक वित्तीय स्थायी समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष के दौरान वित्त स्थायी समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	06.06.2018	श्री के.वी. प्रदीप कुमार	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस

संयुक्त सचिव (संग्रह) ने दिनांक 06.06.2018 को आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लिया तथा निदेशक (एमसीपी) एवं निदेशक (वित्त) ने स्थायी विशेष आमंत्रिती के रूप में एससीएफ की सहायतार्थ चर्चा में भाग लिया।

(d) Remuneration Committee

The Remuneration Committee (**RC**) of the Board, comprises of three Independent Directors and one part-time Nominee Director as members with an Independent Director as the Chairman. During the year 2018-19. During the year, one meeting of the Remuneration committee was held. The details of the meeting of the Remuneration Committee are as under:

S No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1	08.02.2019	Sh.Adikesavan S. (through VC)	Sh.K.V.Pradeep Kumar

(e) Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability

The Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability comprises of two Independent Directors, Director (Personnel) with one nominee Independent Director as the Chairman. During the year 2018-19, one meeting of the Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee was held as detailed below:-

S No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1	13.03.2019	Sh. Arun Kumar Shrivastava.	Sh. Sharda Prasad Rtd. IAS

(f) Committee on Risk Management

The Committee on Risk Management comprises of three Independent Directors as members. Out of them one and Independent Director as the Chairman.

During the year 2018-19, two meetings of the Committee on Risk Management were held as detailed below:

S1. No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1	28.06.2018	Sh K.V. Pradeep Kumar	Sh. Virendra Singh
2.	08.02.2019	Sh.Virendra Singh Sh.K.V.Pradeep Kumar	Sh.Adikesavan S.(through VC)

The Managing Director & Director (Finance) attended the meeting on 28.06.2018 as special invitees to assist during the deliberations.

(g) Committee on Amendment in Recruitment Rules (RRs).

During the year 2018-19, two meetings of the Committee on Amendments in Recruitment Rules (RRs) was held as detailed below:

(घ) पारिश्रमिक समिति

निदेशक मण्डल द्वारा पारिश्रमिक समिति (आरसी) गठित की गई जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक तथा एक अंशकालिक नामिती निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा उनमें से एक स्वतंत्र निदेशक पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई। पारिश्रमिक समिति की बैठक के विवरण नीचे दिये गए हैं :-

क्रम सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	08.02.2019	श्री अदीकेसवन एस. (वी.सी के माध्यम से)	श्री के.वी प्रदीप कुमार

(ई) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति में दो स्वतंत्र निदेशकतथा निदेशक(कार्मिक) सहित एक स्वतंत्र नामिती निदेशक अध्यक्ष के रूप में होता है। वर्ष 2018-19 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति की एक बैठक आयोजित हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	13.03.2019	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएस

(च) जोखिम प्रबन्धन समिति

जोखिम प्रबन्ध समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में होते हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक समिति का अध्यक्ष होता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान जोखिम प्रबन्धन समिति की दो बैठक हुई थीं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	28.06.2018	श्री के.वी.प्रदीप कुमार	श्री वीरेन्द्र सिंह
2	08.02.2019	श्री वीरेन्द्र सिंह श्री के.वी.प्रदीप कुमार	श्री अदीकेसवन एस. (वी.सी के माध्यम से)

प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) ने दिनांक 28.06.2018 को विशेष आमंत्रिती के रूप में चर्चा के दौरान बैठक में भाग लिया।

(छ) भर्ती नियम (आर.आर.) में संशोधन के लिए समिति ।

वर्ष 2018-19 के दौरान भर्ती नियमों (आर.आर.) में संशोधन के लिए समिति की दो बैठकें हुईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

S No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1	27.11.2018	(1) JS(Storage) attended by Director(Storage) Sh.N.K.Kashmira (2)Sh.Virendra Singh (3)Director(Pers.), CWC attended by Sh.Arun Kumar Shrivastava	Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
2.	08.03.2019	(1) Sh.Arun Kumar Shrivastava (2) Sh.E.K.Majhi	Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS

6. ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meetings of the Corporation are held at the Corporate Office of the Corporation. The details of such meetings held during the past three financial years are as under:

AGM	Date and Time	Special Resolution passed
54 th AGM	24.09.2016 – 11.30 AM	Nil
55 th AGM	23.09.2017 – 11.30 AM	Nil
56 th AGM	29.09.2018- 11.30 AM	Nil

7. CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board members and senior management personnel of the Corporation. The Code is hosted on the website of the Corporation. All the Board members and senior management personnel confirmed compliance with the Code.

8. WHISTLE BLOWER POLICY

The Whistle Blower Policy has been in place in the Corporation since June, 2004.

9. SUBSIDIARY COMPANY

The CWC has formed a 100% owned subsidiary company namely Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC) for development and operation of Railside Warehousing Complexes (RWCs). CRWC Ltd. was incorporated on 10th July, 2007 and received certificate for commencement of business on 24th July, 2007. CWC has subscribed Rs. 40.56 crore as share capital of CRWC.

As per Chapter 6 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), issued by Department of Public Enterprises on 4th

क्रम सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	27.11.2018	1. संयुक्त सचिव(संग्रह), के रथान पर निदेशक (संग्रह) श्री एन.के. कश्मीरा बैठक में उपस्थित हुए 2. श्री वीरेन्द्र सिंह 3. निदेशक (कार्मिक), केभनि के रूप में श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव बैठक में उपस्थित हुए	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस
2	08.03.2019	1. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव 2. श्री ई.के. माझी	श्री शारदा प्रसाद, पूर्व आईएएस

6. वार्षिक साधारण बैठक

निगम की वार्षिक साधारण बैठकें निगमित कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। गत 3 वित्तीय वर्षों में हुई इन बैठकों का विवरण इस प्रकार है:-

वा.सा.बैठक	तिथि एवं समय	विशेष संकल्प पारित किया गया
54वीं वा.सा. बैठक	24.09.2016— 11.30 पूर्वाह्न	शून्य
55वीं वा.सा. बैठक	23.09.2017— 11.30 पूर्वाह्न	शून्य
55वीं वा.सा. बैठक	29.09.2018— 11.30 पूर्वाह्न	शून्य

7. आचार संहिता

निदेशक मण्डल ने अपने सभी सदस्यों तथा निगम के वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। यह आचार संहिता निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

8. पर्दाफाश की नीति

पर्दाफाश नीति जून, 2004 से केन्द्रीय भण्डारण निगम में अपनाई गई है।

9. सहायक कम्पनियां

केन्द्रीय भण्डारण निगम ने रेलसाइड वेअरहाउसिंग कॉम्पलेक्सों (सीआरडब्ल्यूसी) के प्रचालन और प्रगति के लिए सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) नामक 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई। सीआरडब्ल्यूसी लि. 10 जुलाई, 2007 को बनाई गई और 24 जुलाई, 2007 से इसने कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। केन्द्रीय भण्डारण निगम ने सीआरडब्ल्यूसी को 40.56 करोड़ रुपए का अंशदान शेयर पूंजी के रूप में दिया।

04 मई, 2010 को लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा.निर्देशों के चेप्टर 6 के अनुसार केवल वे सहायक कंपनियाँ ही सहायक कंपनियाँ मानी जाएंगी जिनका टर्नओवर या निवल पूंजी तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में उस कंपनी के क्रमशः टर्नओवर या निवल पूंजी के

May, 2010, only those subsidiaries, whose turnover or net worth is not less than 20% of the turnover or net worth respectively of the holding company in the immediate preceding accounting year may be treated as subsidiary companies. CRWC Ltd., the subsidiary of CWC does not come under the ambit of this definition of subsidiary company. Hence, it is not applicable to CWC.

10. DISCLOSURES

- (i) During the year, there were no transactions of material nature with the Directors or the management or their relatives that had potential conflict with the interest of the Corporation.
- (ii) The details of related party disclosures have been covered as part of notes to accounts.
- (iii) The Corporation follows Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- (iv) None of the Independent Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Corporation during the financial year under report.
- (v) The Board periodically reviews Compliance Reports of all the laws applicable to the Corporation. During the last three years, there has been no instance of penalty imposed on the Corporation by any statutory authority owing to non-compliance under applicable laws.
- (vi) The Corporation has taken measures to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE). In accordance with the guidelines, Corporation has evolved a Code of Business Conduct and Ethics for its Board members and senior management personnel.
- (vii) No item of expenditure has been debited to books of accounts, which is not for the purpose of business. No expenses, which are personal in nature, have been incurred for the Board of Directors and top management except which are contractual obligations as per their terms of appointment.
- (viii) The Risk Management Policy of the Corporation has been approved by the Board. The stocks stored at the Warehouses, including in ICDs/CFSs, are adequately insured against all risks such as fire, flood, theft, burglary, riots, strikes, civil commotion, etc. Besides, in order to ensure safe storage and preservation, as a risk assessment and minimization measure, the Corporation has in place a system of periodic inspection, audit and preventive check by the Vigilance Division.

11. AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance during the year. The Compliance Certificate on Corporate Governance issued by the auditors of the Corporation is given at the end of this report.

20% से कम न हो। निगम की सहायक कंपनी सीआरडब्ल्यूसी लि. सहायक कंपनी की इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। अतः यह केन्द्रीय भंडारण निगम पर लागू नहीं है।

10. प्रकटन

- (i) वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा प्रबन्धन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ लेन-देन का कोई मामला नहीं है जो व्यापक रूप से निगम के हितों के विरुद्ध हो।
- (ii) संबंधित पार्टी प्रकटनों के विवरणों को लेखों की टिप्पणी के भाग रूप में कवर किया गया है।
- (iii) निगम ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुसरण किया है (आईसीएआई)
- (iv) रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान निगम के साथ किसी भी स्वतंत्र निदेशक का आर्थिक अथवा लेन-देन का कोई संबंध नहीं है।
- (v) निदेशक मंडल निगम पर लागू होने वाले सभी कानूनों की अनुपालनात्मक रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन न करने पर कोई दण्ड लगाया गया हो।
- (vi) निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उपाय किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, निगम ने निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए व्यापार कदाचार कोड एवं नीतिशास्त्र तैयार किया है।
- (vii) व्यय के उस किसी भी मद को लेखा-खातों में 'डेबिट' नहीं किया गया है जो कारोबार के उद्देश्य के लिए नहीं है। निदेशक मण्डल के निदेशकों एवं उच्च प्रबन्धन के लिए उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार संविदागत बाध्यताओं को छोड़कर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया है, जो निजी प्रकृति का हो।
- (viii) निदेशक मंडल द्वारा निगम की जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। आईसीडी/सीएफएस सहित वेअरहाउसों में भण्डारित स्टॉक सभी प्रकार के जोखिम जैसे आग, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, दंगे, हड़ताल एवं उपद्रव इत्यादि के लिए पर्याप्त रूप से बीमाकृत होता है। इसके अतिरिक्त जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतम उपाय के रूप में सुरक्षित भण्डारण एवं परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निगम के सतर्कता विभाग द्वारा आवधिक निरीक्षण, लेखा परीक्षा एवं निवारक जांच की पद्धति मौजूद है।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

निगम द्वारा वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया गया। निगम के लेखा परीक्षकों द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

12. SHAREHOLDERS' INFORMATION

Means of communication: The annual results of the Corporation are announced within six months of the end of financial year, and are also hosted on the website of the Corporation, www.cewacor.nic.in.

Annual General Meeting: The 57th Annual General Meeting of the Corporation is scheduled to be held on the 28th September, 2019 at Corporate Office, New Delhi.

Dates of Book Closure: The Share Transfer Books and Register of Members shall remain closed from 31st August, 2019 to 28th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and declaration of dividend at the Annual General Meeting.

Dividend Payment: The details of the dividend paid (excluding dividend distribution tax) during the last three years are as under:

Year	Amount of Dividend (Rs. In Crore)	Percentage on the paid-up capital
2015-16	59.82	88%
2016-17	96.53	142%
2017-18	21.75	32%
2018-19 (Additional Dividend for financial year 2017-18)	10.12	14.89%
2018-19 (Interim Dividend)	23.80	35%

Share Transfer System: The shares of the Central Warehousing Corporation are not transferable except to the specified classes of shareholders in accordance with the regulations made under the Warehousing Corporations Act, 1962. The shareholding of various category of shareholders as on 31.3.2019 was as follows:

Category	No. of shares held	Shareholding Percentage of total paid up capital
Central Government	3,74,250	55.02 %
State Bank of India	1,77,140	21.75 %
Other Scheduled Banks	1,40,843	15.99%
Cooperative Societies	1,487	0.21 %
Insurance Companies	51,454	7.02 %
Others	76	0.01%
Total	7,45,250	100.00 %

12. अंशधारियों के संबंध में सूचना

सूचना का साधन: निगम के वार्षिक परिणाम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के अन्दर घोषित किए जाते हैं तथा इन्हें निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर भी उपलब्ध कराया जाता है।

वार्षिक साधारण बैठक: निगम की 57 वीं वार्षिक साधारण बैठक— 28 सितम्बर, 2019 को निर्गमित कार्यालय, नई दिल्ली में होनी निश्चित हुई है।

ख्राताबन्दी की तारीखें: वार्षिक साधारण बैठक एवं इस बैठक में लाभांश घोषित करने के उद्देश्य से सदस्यों की शेयर हस्तांतरण बहियां एवं रजिस्टर 31 अगस्त, 2019 से 28 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बन्द रहेगा।

लाभांश का भुगतान : पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) नीचे दिया गया है:-

वर्ष	लाभांश राशि (करोड़ रु. में)	प्रदत्त पूँजी पर प्रतिशत
2015–16	59.82	88%
2016–17	96.53	142%
2017–18	21.75	32%
2018–19 (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अतिरिक्त लाभांश)	10.12	14.89%
2018–19 (अंतिम लाभांश)	23.80	35%


अंश हस्तांतरण प्रणाली: वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम के शेयर अंशधारियों की विशिष्ट श्रेणी के अलावा हस्तांतरित नहीं होते। 31.03.2019 को अंशधारियों की विभिन्न श्रेणियों की शेयर धारिता इस प्रकार थी :-

श्रेणी	अंशों की संख्या	कुल प्रदत्त पूँजी का शेयर धारिता प्रतिशत
केन्द्र सरकार	3,74,250	55.02%
भारतीय स्टेट बैंक	1,77,140	21.75%
अन्य अधिसूचित बैंक	1,40,843	15.99%
सहकारी समितियाँ	1,487	0.21%
बीमा कम्पनियाँ	51,454	7.02%
अन्य	76	0.01%
कुल	7,45,250	100%

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING AS ON 31.03.2019.

Sl. No.	Name of city	No. of Shareholders	No of Shares	% of total
1.	Andhra Pradesh	43	397	0.053
2.	Assam	05	19	0.003
3.	Bihar	30	129	0.0173
4.	Gujarat & Maharashtra	44	287416	38.57
5.	Kerala	32	62	0.008
6.	Karnataka	97	139	0.018
7.	Madhya Pradesh	14	131	0.018
8.	Orissa	10	49	0.006
9.	Punjab & Haryana	44	1670	0.22
10.	Rajasthan	21	129	0.02
11.	Tamil Nadu	121	22608	3.03
12.	Uttar Pradesh	106	339	0.05
13.	West Bengal	10	32808	4.40
14.	Himachal Pradesh	19	48	0.006
15.	Delhi	03	399300	53.58
16.	Manipur	01	01	0.0001
17.	Tripura	01	01	0.0001
UNION TERRITORIES				
a.	Pondicherry	04	04	0.0005
	Total	606	7,45,250	100

For and on behalf of the Board of Directors



Secretary

Address for communication:

The Secretary,
 Central Warehousing Corporation
 (A Government of India Undertaking)
 4/1, Siri Institutional Area,
 August Kranti Marg, Hauz Khas,
 New Delhi – 110016.
 Email:- secycwca@cewacor.nic.in

दिनांक 31.03.2019 को आधारिता का भौगोलिक विवरण


क्र.सं.	शहर का नाम	अंशधारियों की संख्या	अंशों की संख्या	कुल का %
1	आन्ध्र प्रदेश	43	397	0.053
2	आसाम	05	19	0.003
3	बिहार	30	129	0.0173
4	गुजरात एवं महाराष्ट्र	44	287416	38.57
5	केरल	32	62	0.008
6	कर्नाटक	97	139	0.018
7	मध्य प्रदेश	14	131	0.018
8	ओडिशा	10	49	0.006
9	पंजाब एवं हरियाणा	44	1670	0.22
10	राजस्थान	21	129	0.02
11	तमिलनाडु	121	22608	3.03
12	उत्तर प्रदेश	106	339	0.05
13	पश्चिमी बंगाल	10	32808	4.40
14	हिमाचल प्रदेश	19	48	0.006
15	दिल्ली	03	399300	53.58
16	मणिपुर	01	01	0.0001
17	त्रिपुरा	01	01	0.0001
केन्द्र शासित प्रदेश				
क	पाञ्जियरी	04	04	0.0005
	कुल	606	7,45,250	100

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
सचिव,

पत्राचार का पता:

सचिव,

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगरत ब्रान्च मार्ग, हौजखास,
नई दिल्ली-110 016
ईमेल: secycwc@nic.in





केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपकरण)
Central Warehousing Corporation
(A Govt.of India Undertaking)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर
अनुपालन प्रमाण पत्र

**Compliance Certificate on
Corporate Governance**

62वीं वार्षिक रिपोर्ट
62nd Annual Report
2018-19

Ramesh C Agrawal & Co.

Chartered Accountants

CA

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Shareholders of
Central Warehousing Corporation

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Warehousing Corporation for the year ended 31st March, 2019 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (Guidelines), as issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination as carried out with the guidance Note of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India, was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines subject to the following:-

During the year 2018-19, the corporation did not have optimum number of non-official directors on its Board of Directors as per the clause (a) of sub section (1) of section 7 of the Warehousing Corporation Act, 1962 and Rule 3(ii) of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963.

During the year 2018-19 Sh. Arun Kumar Shrivastava, Managing Director held the additional charge of Director(Pers.) w.e.f. 18.06.2018 which continue till the end of the financial year.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Corporation.

For Ramesh C Agrawal & Co.

Chartered Accountants
FRN No. 001770C

Saranya Agrawal
(Partner)

M. No. 416438

Place: New Delhi

Date:- 20th August, 2019



रमेश सी अग्रवाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र

सेवा में,

सभी अंशधारी
केंद्रीय भंडारण निगम

हमने केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दिशा-निर्देश) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा-निर्देशों में अनुबंधित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबन्धन का होता है। हमारी जांच इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार निष्पादित की गई जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न कोई लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरण पर किसी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की उपरोलिखित दिशा-निर्देशों में अनुबंधित शर्तों का निम्न के अतिरिक्त अनुपालन किया है:-


वर्ष 2018-19 के दौरान भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप धारा (i) के खंड (क) एवं केंद्रीय भंडारण निगम नियम, 1963 के नियम 3(ii) के अनुसार निगम के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों की इष्टतम संख्या नहीं थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान श्री अरुण कुमार श्रीवास्त्व, प्रबंध निदेशक को दिनांक 18.06.2018 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया।

हमारा आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन न तो निगम के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उसके कार्यकौशल या प्रभावकारिता का आश्वासन है जिसके अनुसार प्रबंधन ने निगम के कार्य किए हैं।

कृते रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन-0017770 सी

सौम्य अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता नं. 416438
राथान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 अगस्त, 2019






केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Govt.of India Undertaking)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

2018-19

62वीं वार्षिक रिपोर्ट

2018-19



रमेश सी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सभी अंशधारी
केन्द्रीय भंडारण निगम

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने मैसर्स केन्द्रीय भंडारण निगम ("निगम") के सामान्य निधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2019 के तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय में दिए गए वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को निगम की वित्तीय स्थिति तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह विवरण की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व में भी उल्लेखित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित हैं, के अनुसार इकाई के लिए स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त हुए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा जिन पर प्रशासन का प्रभार है, उनका उत्तरदायित्व

प्रबंधन उक्त लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा इनके सही प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी है तथा प्रबंधन के रूप में ऐसा आंतरिक नियंत्रण निर्धारण करना आवश्यक है जिससे वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय धोखा या त्रुटि किसी भी कारण से होने वाली गलत जानकारी से बचा जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन, सतत गोइंग कंसर्न के लिए निगम की सक्षमता का निर्धारण करने, प्रकटन, जो भी लागू हो, गोइंग कंसर्न संबंधित मामलों और

लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को बंद या उसके प्रचालनों को समाप्त न करना चाहता हो या उसके लिए कोई वास्तविक विकल्प न हों।

जिनके पास प्रशासन का प्रभार है वे निगम के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण धोखा या त्रुटि किसी भी कारण से होने वाली जानकारी से पूरी तरह मुक्त है तथा ऑडिट रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय भी शामिल है। यथोचित आश्वासन उच्चस्तरीय है किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदण्डों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा ही गलत जानकारी यदि कोई हो, का पता लगा सके। धोखा, गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और यह विचारणीय सामग्री हो सकती है, यदि यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हो। यह सामान्यतः इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित भी कर सकते हैं।

मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- (क) 3385.17 लाख रु. के 45 भूमि साइटों के लीज़ डीड/टाइटल डीड के संबंध में, जो अभी किया जाना है (अनुसूची-II की टिप्पणी सं.4)।
- (ख) अंतिम वसूली की अनिश्चितता से निगम की 57992.30 लाख रु. की राशि का विवादित दावा होने के कारण राजस्व की पहचान न होने के संबंध में (अनुसूची-XXXII की टिप्पणी सं. 4(ख))।
- (ग) कुछ पार्टियों से शेष की पुष्टि न होने से लेखों पर प्रभाव के संबंध में (अनुसूची XXXII की टिप्पणी सं. 22)।

कृते रमेश सी. अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट

एफआरएन नं. 001770सी

(सौम्य अग्रवाल)

(पार्टनर)

एम.नं.-416438

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 26 अगस्त, 2019

केन्द्रीय भण्डारण निगम


(भारत सरकार का उपक्रम)



31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलना—पत्र तथा लाभ हानि लेखा

सामान्य निधि

62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018–19



31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र

(सामान्य निधि)

पूँजी एवं देयताएँ	अनुसूची के अनुसार	31.03.2018 को रु.	31.03.2017 को रु.
अशा पूँजी		680,210,000	680,210,000
आरक्षित पूँजी			
-धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि	IV	19,654,238,980	18,565,098,108
-अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित	V	2,720,725,679	2,519,861,695
- अन्य आरक्षित	VI		
-आरक्षित पूँजी			45,954
-हितकारी निधि के लिए आरक्षित			3,187,533
-अनुसंधान एवं विकास निधि के लिए आरक्षित		16,360,523	16,360,523
			28,994,266
कर्मचारी लाभ बाध्यता के लिए आरक्षित	VII		
-सेवानिवृत्ति के पश्चात विकित्सा लाभ बाध्यता के लिए आरक्षित निधि		625,669,608	2,097,339,182
-छुट्टी लाभ बाध्यता		1,291,044,809	1,916,714,417
			1,408,589,572
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		102,900,000	201,002,028
- बकाया देयताएँ एवं प्रावधान			
- बकाया देयताएँ	VIII	5,301,069,458	5,236,892,209
-वेतन और भर्तों के लिए प्रावधान	IX	1,045,384,806	1,250,229,577
आरक्षित कर देयता (निहल)		547,267,201	315,130,595
आयकर के लिए प्रावधान		163,836,157	315,953,568
अदायाकृत लाभांश		435,022	55,895
कुल		32,149,142,243	32,622,590,182

इस तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रमेश सी अग्रवाल एण्ड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउटेंट्स
 एफआरएन- 001770सी

(सौम्य अग्रवाल)

पार्टनर

सदस्यता सं. 416438

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 26 अगस्त, 2019

केन्द्रीय भंडारण नियम

62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र
(सामान्य निधि)

पूरी एवं देयताएँ	अनुसूची के अनुसार	31.03.2018 को	31.03.2017 को
		रु.	रु.
स्थायी परिसम्पत्ति	II	14,883,415,732	14,229,265,229
निवेश (लागत पर)	III		
- राज्य वेरहाइसिंग कॉर्पोरेशन		617,938,400	617,938,400
- अन्य		<u>488,889,773</u>	<u>488,889,773</u>
=			
निवेशों पर उपार्जित आय	X	35,432,640	35,775,685
सेवानियुक्ति पश्चात विकित्सा लाभ आरक्षित निधि निवेश		625,669,608	2,097,339,182
छुट्टी लाभ आरक्षित निधि निवेश		1,291,044,809	1,408,589,572
चालू परिसम्पत्तियाँ			
- स्टोर एवं स्टेयर्स	XI	60,738,978	60,487,210
- भंडारण एवं अन्य शुल्क उपार्जित		<u>624,955,019</u>	<u>552,342,690</u>
/			
- विविध देनदार	XII	3,097,435,888	4,093,099,219
प्राप्त माना		2,447,733,484	2,191,014,612
संदिग्ध माना	XIII		
-ऋण एवं अधिम		224,351,361	711,443,401
प्राप्त माना	XIV		
-अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		2,138,232,508	1,964,950,532
प्राप्त माना		<u>237,559,555</u>	<u>293,131,454</u>
संदिग्ध माना			
नकद एवं बैंक शेष	XV	5,364,916,664	3,865,329,834
अपरिशोधित व्यय	XVI	10,827,824	12,993,389
महत्वपूर्ण लेखाकान नीतियाँ	XXXI		
लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ	XXXII		
कुल		32,149,142,243	32,622,590,182

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न भाग हैं

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(एस. चालू)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवारतव)
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

(सामान्य निधि)

व्यय	अनुसूची के अनुसार	इस वर्ष (31.03.2019)	गत वर्ष (31.03.2018)
देशभाउसिंग लाइसेंस कीस		7,013,923	7,389,594
रसायनों, कवर्स और डेनेज का उपयोग	XVII	125,164,599	128,249,528
वेतन तथा भत्ते (प्रावधान सहित)	XVIII	5,144,878,932	5,562,151,850
यात्रा भत्ते इत्यादि	XIX	64,081,875	55,609,296
स्थापना (अन्य)		981,494,447	934,166,079
मजदूरी		164,185,763	142,029,333
मरम्मत एवं रख-रखाव	XX	300,665,861	394,995,249
किराया, दरे तथा कर	XXI	580,135,524	686,222,398
दीमा		236,722,391	230,554,577
मुद्रण तथा लेखन सामग्री		23,104,321	20,682,068
विविध खर्च	XXII	746,886,600	792,808,576
विपणन सुसाध्य खर्च		3,731,951,176	4,146,163,375
कंटेनर रेल परिवहन(सीआरटी) परिवालन खर्च बैंक प्रभार		156,533,082	461,281,419
व्याज (खर्च)	XXIII	799,019	534,631
सी.एस.आर. एवं सुधिर विकास व्यय		10,370,274	43,998,699
निदेशकों का पारिश्रमिक (शुल्क, यात्रा भत्ते इत्यादि)		40,265,213	52,808,980
लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं खर्च		1,580,512	1,594,925
परिसंपत्तियों की विक्री पर हानि/बद्टे खाते डाली परिसंपत्तियों अशोध ऋण बद्टे खाते में	XXIV	7,797,149	9,114,620
मूल्यवास/परिशोधन		14,198,591	31,998,005
अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षण		8,694,323	600,864
दर्व के लिए लाभ		869,008,178	1,337,500,488
कुल		589,462,819	461,175,338
वर्ष के लिए लाभ		13,804,994,572	15,501,629,892
घटाया : पूर्व अवधि समायोजन (नियल)		2,241,239,169	327,740,948
कर पूर्व लाभ		16,046,233,741	15,829,370,840
घटाया : कर व्यय	XXV	2,241,239,169	327,740,948
कर के बाद लाभ अधोनीत		(12,956,035)	51,587,895
प्रति अंश अर्जन		2,254,195,204	276,153,053
मूल	XXVI	618,142,927	(42,600,224)
मिश्रित		1,636,052,277	318,753,277
इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते रमेश सी अग्रवाल एण्ड कंपनी		2,405.22	468.61
चार्टर्ड एकाउटेंट्स एफआरएन- 001770सी		2,405.22	468.61
(सौम्य अग्रवाल) पाठ्यन एम.एन. 416438			

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 26 अगस्त, 2019

केन्द्रीय भंडारण निगम

62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19



31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा
(सामान्य निधि)

आय	अनुसूची के अनुसार	इस वर्ष (31.03.2019)	गत वर्ष (31.03.2018)
		₹	₹
वेअरहाउसिंग प्रभार (आय)	XXVII	9,522,455,053	8,400,177,136
विषयन सुसाध्य आय		4,368,434,529	4,936,403,931
कटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) परिचालन से आय		169,068,136	526,778,126
रणनीतिक भागीदारी के अन्तर्गत सीएफएस/आईसीडी से आय		579,997,482	612,438,770
पैस्ट नियन्त्रण सेवाओं से आय		170,801,278	162,389,273
व्याज (आय)	XXVIII	529,217,954	624,768,281
लाभांश आय	XXIX	252,942,703	159,763,997
विविध प्राप्तियाँ	XXX	398,188,371	386,615,624
अधिक देयता, प्रावधान एवं मूल्यहास पुराकित		12,552,514	19,473,371
परिसम्पत्तियों की विक्री से लाभ		42,575,721	562,331
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XXXI		
लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ	XXXII		
कुल		16,046,233,741	15,829,370,840

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न भाग हैं
निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(एस. चाल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विनियोजन सेखा
(सामान्य निधि)

विवरण	इस वर्ष	गत वर्ष
	₹.	₹.
को विनियोजन:		
धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि	1,060,044,757	
अन्य निधि		
i) हितकारी निधि के लिए आरक्षित	20,060,523	3,187,533
ii) सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए आरक्षित निधि (आय कर देयता पर निवल ब्याज)	89,828,958	90,582,451
iii) छुट्टी लाभ के लिए आरक्षित निधि (आय कर देयता पर निवल ब्याज)	63,095,685	74,196,897
वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त लाभांश का भुगतान	101,231,292	
वर्ष के लिए अन्तरिम लाभांश का भुगतान	237,914,670	217,521,984
वितरित लागों पर कर	63,876,392	31,896,765
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		
कुल	1,636,052,277	417,385,630

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रमेश सी अग्रवाल एण्ड कम्पनी
चार्टड एकाउंटेंट्स
एफआरएन- 001770सी

(सौम्य अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्य संखा 416438

स्थान: | नई दिल्ली
दिनांक: 26 अगस्त, 2019

31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विनियोजन लेखा
(सामान्य निधि)

विवरण	इस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
द्वारा पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	-	72,446
कर में कमी पश्चात् लाभ	1,636,052,277	318,753,277
धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि से अंतरण	-	97,393,673
अनुरंधान एवं विकास निधि के लिए आरक्षित से अंतरण	-	1,166,234
वृल	1,636,052,277	417,385,630

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से


(एस. चाल्हा)
निदेशक (पिल्ट)

(अरुण कुमार श्रीयास्तव)
प्रबंध निदेशक

2018-2019

लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(सामान्य निधि)



अनुसूची- 'I' -- अंश पूँजी

		इस वर्ष (रु.)	गत वर्ष (रु.)
क)	प्राधिकृत		
	प्रत्येक 1000/- रु. 1000000 अंश	<u>100,00,00,000</u>	<u>100,00,00,000</u>
ख)	निर्गमित		
	745250 अंश प्रत्येक 1000/- रु.	<u>≈ 74,52,50,000</u>	<u>74,52,50,000</u>
ग)	अभिदत्त		
	745250 अंश प्रत्येक 1000/- रु.	<u>74,52,50,000</u>	<u>74,52,50,000</u>
घ)	मांगी गई एवं प्रदत्त		
i	663950 अंश प्रत्येक 1000/- रु. पूर्ण आमंत्रित एवं प्रदत्त	663,950,000	66,39,50,000
ii	81300 अंश प्रत्येक 1000/-रु., प्रति अंश 200 रु मांगी गई एवं प्रदत्त	16,260,000	1,62,60,000
	कुल	680,210,000	68,02,10,000

क्र. सं.	अंशधारी	अंशों की संख्या	निर्गमित एवं अभिदत्त		मांगी गई एवं प्रदत्त रु.
			रु.	रु.	
1	केन्द्र सरकार	374,250	374,250,000		374,250,000
2	भारतीय स्टेट बैंक	177,140	177,140,000		147,940,000
3	अन्य अनुसूचित बैंक	140,843	140,843,000		108,704,600
4	सहकारी समितियाँ	1,045	1,045,000		1,026,600
5	भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बीमा कंपनियाँ	51,454	51,454,000		47,774,000
6	कृषि उत्पाद का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएँ	71	71,000		71,000
7	कृषि उत्पाद आदि का व्यापार करने वाली कंपनियाँ	5	5,000		5,000
	कुल	744,808	744,808,000		679,771,200
8	सहकारी समितियाँ (अयोग्य अंशधारी) अनुज्ञेय श्रेणी के अंशधारियों को लम्बित हस्तांतरण (टिप्पणी सं. (i) देखें)	442	442,000		438,800
		745,250	745,250,000		680,210,000
	गत वर्ष	7,45,250	745,250,000		680,210,000

टिप्पणी :

(i) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जो वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 2 (घ) के अनुसार अंशधारी रहने के योग्य नहीं हैं, को अनुज्ञेय श्रेणी के अधीन अंशधारियों के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। अनुज्ञेय श्रेणी के अंशधारियों को इन अयोग्य अंशधारियों के अंशों का हस्तांतरण लंबित कम सं. 8 यानि सहकारी समितियाँ (अयोग्य अंशधारी) के अधीन दर्शाया गया है। वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स नियम, 1963 के नियम 26 (3) के अनुसार ऐसे अंशों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता।

अनुमूली - 11 स्थायी परिसंपत्तियाँ

लागत

क्र.सं.	विवरण	01.04.2018 को सकल राशि	वर्ष के होरान जोखी गई	वर्ष के दोरान कटौती/समायोजन	31.03.2019 को सकल राशि
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण					
		₹	₹	₹	₹
1	भूमि (पूर्ण स्थायित्व)	680,920,234	396,994,635	(18,802)	1,077,896,067
2	भूमि (पट्टे पर)	2,812,430,704	298,487,992	945,840	3,111,864,536
3(अ)	छत (ब्री-कोडिड गॉलवेल्यूम स्टील शीट)	174,411,119	158,219,116	(60,224)	332,570,011
3(ब)	फर्श (सीमेट कंपनी)	46,089,251	35,707,310	-	81,798,561
3(ग)	सड़क (सीमेट कंपनी)	203,935,027	150,089,669	-	354,024,696
3(घ)	पेपरहाउस एवं गोदाम और सहायक	12,126,055,764	398,083,854	(88,920,984)	12,435,218,634
4	कंटेनर यार्ड	1,062,604,243	32,058	(1)	1,062,636,300
5	विद्युत इरटालेशन	562,543,780	30,245,089	(365,537)	592,423,332
6	जल इंस्टालेशन	42,344,927	480,762	(53,340)	42,772,349
7	प्लाट एवं मशीनरी	1,179,290	-	-	1,179,290
8	कार्यालय बिल्डिंग	256,035,990	46,608	-	256,082,598
9	आवासीय प्लैट्स	187,991,211	-	-	187,991,211
10	कर्मचार	192,923,397	6,605,104	(1,187,990)	198,340,511
11	कार्यालय उपकरण	50,422,790	28,343,879	957,316	79,723,985
12	मोमाइल फोन	4,588,248	7,312,567	(499,623)	11,401,192
13	याहन	19,078,421	1,755,326	(1,169,972)	19,663,775
14	प्रयोगशाला उपकरण	17,440,914	2,032,998	(290,102)	19,183,810
15	पीड़क जन्मनाशक उपकरण	31,740,492	3,195,651	(953,867)	33,982,276
16	निर्माण उपकरण	674,195	25,193	-	699,388
17	अन्य उपकरण	522,699,291	118,351,483	(11,129,421)	629,921,353
18	लकड़ी के ब्लैट्स	32,234,069	-	4,782,143	37,016,212
19	रेक्स	15,650,702	151,042	5	15,801,749
20	टिन ट्रै	223,032	-	-	223,032
21	रेतये साइडिंग्स	42,970,865	-	-	42,970,865
22	कम्प्यूटर्स एवं लैपटॉप	148,084,367	38,964,791	(5,338,378)	181,710,780
23	एचबीएल शीट	69,477,957	-	(12,330,856)	57,147,101
24	पीसीसी ब्लॉक्स	1,461,360	-	-	1,461,360
25	पोली प्लैट्स	23,632,541	-	(211,310)	23,421,231
26	परिवर्तनीय स्लिप्स	11,130,131	-	-	11,130,131
27	अपरिवर्तनीय स्लिप्स	23,052,942	-	(771,682)	22,281,260
28	कार्य प्रगति पर	320,966,756	521,744,798	(597,403,082)	245,308,472
29	हरतात उपकरण	14,441,893	12,042,883	(11,758,161)	14,728,615
	उप-योग	19,699,435,903	2,208,912,808	(725,778,028)	21,182,570,683
	अनुरूप परिसंपत्तियाँ :				
30	कंटेनर ट्रैन घलाने के लिए पंजीकरण शुल्क	500,000,000	-	-	500,000,000
31	भूमि के उपयोग का अधिकार	1,554,750	-	-	1,554,750
32	संस्पटवर्यर	21,152,223	4,366,810	(860,148)	24,658,885
33	ग्राइडेट फेट टर्मिनल के लिए साइसेस	10,565,278	-	-	10,565,278
	उप-योग	533,272,251	4,366,810	(860,148)	536,778,913
	कुल	20,232,708,154	2,213,279,618	(726,638,176)	21,719,349,596
	गत वर्ष	18,639,081,724	2,099,250,283	(505,623,853)	20,232,708,154
	कोन्सीय भंडारण नियम			62वीं वार्षिक स्प्रिंग 2018-2019	

अनुसूची - ॥ स्थायी परिसंपत्तियाँ

विवरण	मूल्यांकन/लीबान/परिशोधन			अग्रीत राशि/डब्ल्यूडी		
	01.04.2018 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दोसरा मूल्यांकन/ समाप्तियाँ	31.03.2019 तक	31.03.2019 को	31.03.2018 को
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	₹	₹	₹	₹	₹	₹
भूमि (पूर्ण संपत्ति)					1,077,896,067	680,920,234
भूमि (एटेंटेड या)	710,461,187	120,242,951	1,074,148	831,778,286	2,280,086,250	2,101,969,517
छत (श्री-काटिड गोलवेत्त्यूम स्टील शीट)	2,400,294	9,402,322	86,681	11,889,297	320,680,714	172,010,825
फर्श (सीमेट कार्पोरेट)	895,983	2,617,560	(57,370)	3,456,173	78,340,388	45,193,268
सुडक (सीमेट कार्पोरेट)	2,646,141	10,331,882	1	12,978,024	341,046,672	201,288,886
ऐअरहाउस एवं गोदाम और सहायक	3,102,433,034	519,858,295	(16,512,552)	3,605,778,777	8,829,439,857	9,023,622,730
कर्डेन बार्ड	386,620,225	46,812,134	-	433,432,359	629,203,941	675,984,018
विद्युत इस्ट्रांजेशन	433,272,491	47,598,305	(347,260)	480,523,536	111,899,796	129,271,289
जल इस्ट्रांजेशन	38,349,218	1,260,013	(47,876)	39,561,555	3,210,794	3,995,709
प्लाट एवं मरीनरी	1,120,463	-	-	1,120,463	58,827	58,827
कार्यालय बिल्डिंग	45,047,548	4,022,595	-	49,070,143	207,012,455	210,988,442
आवासीय परेटेस	64,927,955	2,952,949	(1)	67,880,903	120,110,308	123,063,256
कर्मचार	161,942,014	8,823,848	(1,211,201)	169,554,661	28,785,850	30,981,383
कार्यालय उपकरण	36,507,787	10,195,017	863,070	47,565,874	32,158,111	13,915,003
मोबाइल फोन	2,471,607	4,042,336	(353,966)	6,159,977	5,241,215	2,116,641
याहन	15,666,413	727,761	(1,010,226)	15,383,948	4,279,827	3,412,008
प्रयोगशाला उपकरण	14,276,258	1,533,689	(270,066)	15,539,881	3,643,929	3,164,656
पीड़क जन्मनाशक उपकरण	28,577,070	1,495,985	(856,811)	29,216,444	4,765,832	3,163,422
नियोग उपकरण	563,132	40,808	-	603,940	95,448	111,063
अन्य उपकरण	334,767,820	30,283,616	(10,140,632)	354,910,804	275,010,549	187,931,471
लकड़ी के क्रेटर्स	31,917,670	6,580	4,782,494	36,706,744	309,468	316,399
ईच्स	13,719,736	373,356	(20)	14,093,072	1,708,677	1,930,966
टिन द्रे	215,008	-	-	215,008	8,024	8,024
रेलवे सुइडिंग्स	18,262,877	1,740,410	1	20,003,288	22,967,577	24,707,988
कम्प्यूटर्स एवं लेपटॉप	122,107,936	20,437,705	(4,695,089)	137,850,552	43,860,228	25,976,431
एचबीएल शीट	64,061,015	1,834,715	(11,897,349)	53,998,381	3,146,720	5,416,942
पीसीसी ब्लॉक्स	1,313,910	-	-	1,313,910	147,450	147,450
पोली पैलेट्स	20,203,394	531,174	(211,084)	20,523,484	2,897,747	3,429,147
परिवर्तनीय स्थिथ्स	3,452,478	503,071	(1)	3,955,548	7,174,583	7,677,653
अपरिवर्तनीय स्थिथ्स	21,885,163	-	(717,966)	21,167,197	1,114,063	1,167,779
	5,680,085,827	847,669,077	(41,522,675)	6,486,232,229	14,436,303,367	13,683,941,427
कार्य प्रगति पर	400,968	-	(400,968)	-	245,308,472	320,565,788
हवातात उपकरण	743,135	-	-	743,135	13,983,480	13,698,758
उप-योग	5,681,229,930	847,669,077	(41,923,643)	6,486,975,364	14,695,595,319	14,018,205,973
अमृत परिसंपत्तियाँ :						
कर्डेन ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण गुलक	300,000,000	25,000,000	-	325,000,000	175,000,000	200,000,000
भूमि के उपयोग का अधिकार	1,433,295	-	(1)	1,433,294	121,456	121,455
संस्करण	19,723,172	1,549,125	(860,147)	20,412,150	4,248,735	1,429,051
प्राइट कंप टर्मिनल के लिए लाइसेंस	1,056,528	1,056,528	-	2,113,056	8,452,222	9,508,750
उप-योग	322,212,995	27,605,653	(860,148)	348,958,500	187,820,413	211,059,256
कुल	6,003,442,925	875,274,730	(42,783,791)	6,835,933,864	14,883,415,732	14,229,265,229
ग्रस वर्ष	4,797,232,271	1,343,132,848	(136,922,194)	6,003,442,925	14,229,265,229	13,841,849,453
कार्यीय भंडारण नियम					62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019	

अनुसूची - ।। पर टिप्पणी: स्थायी परिसंपत्तियां

- 1) वेअरहाउसों और गोदामों की अनुषंगी में वेअरहाउस परिसर के सभी अनुषंगी सिविल कार्य जैसे बिटुमिनस रोड कार्यालय ब्लॉक, लेबर शेड, फैसिंग, चार दीवारी, वेमेट कैबिन, लैवेटरी ब्लॉक, सेनेटरी बॉक्स, वर्षा जल संचयन, तार की जाली, स्टील दरवाजे शामिल हैं।
- 2) क छत (प्री-कोटेड गॉलवेल्यूम स्टील शीट), फर्श (सीमेट कंकीट) और रोड (सीमेट कंकीट) की उपयोगी अवधि वेअरहाउस और गोदाम के उपयोगी अवधि से अलग है और इसे अलग-अलग पूँजीकृत तथा मूल्यांकित किए गए हैं। वेअरहाउस और गोदाम की उपयोगी अवधि पूँजी होने पर स्थिति के अनुसार मरम्मत या बदला जाता है। अन्य अतिरिक्त वेअरहाउस एवं गोदाम और उसकी अनुषंगी उसकी उपयोगी अवधि अन्धौरे जो 30 वर्ष के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
- ख जब भी नई सड़क (सीमेट कंकीट), वेअरहाउसों की छत (प्री-कोटेड गॉलवेल्यूम स्टील शीट) तथा फर्श (सीमेट कंकीट) का निर्माण किया गया है। पुराने बिटुमिनस एसी छत और फर्श के हासित मूल्य की खातों से मान्यता रद्द कर दी गई है। वर्ष 2018-19 में हल्टइंगई परिसंपत्तियों का हासित मूल्य 108.06 लाख रु. था। पुरानी रोड, छत की मान्यता रद्द करने के उद्देश्य से वेअरहाउसों और गोदाम की कुल लागत के कमश 11.6%, 5%, 5.06 % के रूप में लागत रखी गई है।
- 3) वर्ष 2018-19 के दौरान ककनघरी, सीडल्यू कन्नौर और अदिलाबाद में कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए वेअरहाउसिंग सुविधाओं की स्थापना एवं प्रचालन के लिए 1102.97 लाख रु. की पूँजी खर्च की गई जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एडी के अनुसार कटौती की अनुमति है। इसे वेअरहाउसों एवं गोदामों के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।
- 4) भूमि (फ्रीहोल्ड एवं पटटे पर): 415 स्थानों पर निगम ने कब्जा लिया है। 45 स्थानों जिनमें (क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद-5 बैंगलुरु-2, भुवनेश्वर-13, भौपाल-3, चंडीगढ़-3, कोलकाता-2, दिल्ली-2, गुवाहाटी-1, हैदराबाद-1, लखनऊ-3, मुम्बई-3, पटना-8) के अधिकार विलेख जिनका मूल्य 3385.17 लाख रु. है, अभी निष्पादित होने हैं। इन स्थानों की लेखांकन नीति सं. 11 के अनुसार स्टाम्प डियूटी देयता के लिए प्रावधान किया गया है।
- 5) निगम के पास 19 लीज होल्ड भूमि के संबंध में, लीज अवधि समाप्त हो गई है। इन भूखण्डों के लिए लीज के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। देय प्रीमियम नवीनीकरण की अनुपलब्धता को देखते हुए उपलब्ध सूचना के आधार पर लीज किराए हेतु देयता को लेखांकद्वारा किया गया है।
- 6) निगम को खबरी और शिमला में सा.वि.प्र. (पीडीएस) गतिविधि के लिए गोदाम निर्माण हेतु उपयोग अधिकार आधार पर वन भूमि आवंटित की गई थी। इन भूखण्डों पर वन विभाग का रवानित्य है तथा कब्जा निगम के पास है। इन भूखण्डों की लागत को भूमि उपयोग अधिकार के रूप में अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।
- 7) कृषि विभाग, विहार सरकार ने प्रयोग के आधार पर खाद्यान्न के लिए भंडारण हेतु आधारभूत ढांचा बनाने के लिए मुंगेर, खगरिया और बैतिया में भूमि आवंटित की है। इस भूमि का स्वामित्व कृषि विभाग, विहार सरकार के पास है और कब्जा निगम के पास है। चूंकि इन भूखण्डों को निःशुल्क आवंटित किया गया है अतः इन्हें अमूर्त सम्पत्तियों में नहीं दर्शाया गया है।
- 8) पटना क्षेत्र में मधेपुरा, की भूमि का टाईटल निजी पार्टी के पास है लेकिन इसका कब्जा निगम के पास है।
- 9) निगम ने वर्ष 1998-99 में बोकदवीरा, नवी मुम्बई में 86 फ्लैट खरीदे थे जिसकी लागत 933.02 लाख रु. है। चूंकि ये फ्लैट आज की तारीख तक खाली है तथा निगम दरों एवं करों, रख रखाव, सुरक्षा पर व्यय कर रहा है। अतः इन्हें बेचने का निर्णय लिया गया है। अनुमानित बिक्री मूल्य, खरीद की लागत से ज्यादा है, अतः फ्लैटों के मूल्य में कोई क्षीणता नहीं है।
- 10) निगम द्वारा लैंड कर्स्टम स्टेशन, पैट्रियम बंगाल) की भूमि और उस पर विकसित अचल सम्पत्ति दिनांक 31 जनवरी, 2016 को लैंड पोर्ट अध्यौरिटी ऑफ इंडिया (एमपीएआई) को स्थानान्तरित कर दी गई थी। दिनांक 15.06.2016 को एलपीएआई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार अंकित मूल्य पर निगम द्वारा एलपीएआई की भूमि स्थानान्तरित की जानी थी और जीएफआर नियमों के अनुसार उस पर विकसित परिसंपत्तियों को मूल्यांकन के आधार पर स्थानान्तरित किया जाना था। परिसम्पत्तियों को लेखा बहियों से निकाल दिया गया है। एलपीएआई से 108.50 लाख रु. की भूमि का अंकित मूल्य प्राप्त हो गया है। एलपीएआई ने उपरोक्त भूमि की अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भेजा था जिसका दिनांक 08.12.2017 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 1026.87 लाख रु. मूल्य आंका गया। निगम द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है। संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट लंबित है। इन परिसंपत्तियों की डब्ल्यूडीवी को एलपीएआई से वसूली योग्य दर्शाया जा रहा है। सीपीडब्ल्यूडी से संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
- 11) सै.वे. मुन्द्रा की लीज होल्ड भूमि जो निगम के कब्जे में है, पट्टाकर्ता ने भूमि के कब्जे का विवाद दाखिल किया है। के.भ.नि. ने माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात, में अपील दायर की है और मामला विवाराधीन है।
- 12) थलासेरी में 3.71 एकड़ लीज होल्ड भूमि का आवंटन जिसका मूल्य 80.84 लाख रु. है, विवादों में है क्योंकि मैसर्स किन्फा ने भूमि का आवंटन रद्द कर दिया है। मैसर्स किन्फा द्वारा रिकण्ड की गई 50.55 लाख रु. की राशि को निगम ने स्वीकार नहीं किया है और उहाँ वापिस कर दिया है।
- 13) 13431.33 लाख रु. (गत वर्ष 3881.20 लाख रु.) की मूल्यांकन राशि में 56.32 लाख रु. (नेट डेबिट) (गत वर्ष 1.33 लाख रु.) (नेट डेबिट) का पूर्व अवधि मूल्यांकन तथा क्षीणता हानि शून्य (गत वर्ष 189.69 लाख रु.) शामिल है।

अनुसूची-III' निवेश (लागत पर)

(क) राज्य भंडारण निगम (एसोसिएट) में निवेश (वैअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 19 (2) के अंतर्गत निवेश)	इविटी अंशों की संख्या (अनुद्वत) (अंकित मूल्य 100 रु.)	राशि(रु.)		
क्र. सं.	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1 आन्ध्र प्रदेश, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन,	261,502	261,502	26,150,200	26,150,200
2 असम, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	547,000	547,000	54,700,000	54,700,000
3 बिहार, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	320,994	320,994	32,099,400	32,099,400
4 छत्तीसगढ़, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	201,920	201,920	20,192,000	20,192,000
5 गुजरात, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	200,000	200,000	20,000,000	20,000,000
6 हरियाणा, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	292,037	292,037	29,203,700	29,203,700
7 कर्नाटक, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	390,000	390,000	39,000,000	39,000,000
8 केरल, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	575,000	575,000	57,500,000	57,500,000
9 मध्य प्रदेश, देहराऊड़ी एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन	378,080	378,080	37,808,000	37,808,000
10 महाराष्ट्र, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन (24240 दोनों शेयर सहित)	435,560	435,560	41,132,000	41,132,000
11 मेघालय, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	122,562	122,562	12,256,200	12,256,200
12 ओडिशा, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	180,000	180,000	18,000,000	18,000,000
13 पञ्चाब, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	400,000	400,000	40,000,000	40,000,000
14 राजस्थान, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	392,630	392,630	39,263,000	39,263,000
15 तमिलनाडु, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	380,500	380,500	38,050,000	38,050,000
16 तेलंगाना, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	186,889	186,889	18,688,900	18,688,900
17 उत्तर प्रदेश, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	539,770	539,770	53,977,000	53,977,000
18 उत्तराखण्ड, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	18,480	18,480	1,848,000	1,848,000
19 पश्चिमी बंगाल, राज्य वैअरहाउसिंग कारपोरेशन	380,700	380,700	38,070,000	38,070,000
	कुल (क)	6,203,624	6,203,624	617,938,400
(छ) अन्य निवेश				617,938,400
1 सम्पादिती में निवेश (दीर्घावधि) (गैर उद्धृत)				
मैन्ड्रल रेलस्टेइल वैअरहाउस कंपनी लि. (सहायक)			405,599,900	405,599,900
अनुद्वत 4,05,59,900 अंश प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- -रु.				
2 अन्य (दीर्घावधि/ वर्तमान) #				83,289,873
क नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचैंज ऑफ इंडिया लि. (एसोसिएट) (अनुद्वत) 56,78,347 शेयर प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- -रु. (जिसमें 13,00,000 शेयर जिनकी 5/- -रु. प्रति शेयर के प्रीनियम पर खरीद तथा 17,78,347 शेयर जिनकी 11.25/- -रु. प्रति शेयर के प्रीनियम पर खरीद ताकि नहीं है।				
उ इंडिया कमोडिटी एक्सचैंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) के अनुद्वत 58,98,3956 शेयरों, जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 5 रु. प्रति शेयर है, को एनएमसीई में शेयर के बदले अनुमति दी है व्यांकिं एनएमसीई का विलय आईसीईएक्स के साथ हो गया है।				
दीर्घ अवधि निवेश (5% शेयरधारकों आईसीईएक्स 2,66,75,373 अर्थात् 5 रु. याते अंकित मूल्य शेयरों की संख्या)		के	37,680,451	
वर्तमान निवेश (6.05% शेयरधारकों आईसीईएक्स 3,22,88,583 अर्थात् 5 रु. याते अंकित मूल्य शेयरों की संख्या)		के	45,609,422	
कुल योग (क) + (छ)			1,106,828,173	1,106,828,173

टिप्पणी :-

1 \$ निगम ने क्षय प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एमपीएसडब्ल्यूसी) में 480 लाख रु. का निवेश किया जो क्षय प्रदेश वैअरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन (एमपीएसडब्ल्यूसी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी) के रूप में विभाजन हो गया। इसके अतिरिक्त इन दोनों राज्य भंडारण निगमों में प्रत्येक को 50 लाख रु. की इविटी दी गई। विभाजन से पूर्व दो गड्ढे इविटी शेयर पूर्णी को एमपीएसडब्ल्यूसी द्वारा 2011-12 तक ऋण एवं 2012-13 से पूरी के रूप में माना जा रहा है। जिन्हे निगम इससे सहमत नहीं है याकी इविटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उपरोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एमपीएसडब्ल्यूसी की प्रदर्श अंश पूर्णी को विभाजित किया जाना चाहिए। एमपीएसडब्ल्यूसी को (68.35 प्रतिशत) तथा सीएसडब्ल्यूसी को (31.65 प्रतिशत) तथा इविटी का 20 प्रतिशत की दर से लाभांश देने के बावजूद में संघर्ष में 06.03.2014 के पत्र सं. 7-01/2013-एसजी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। मामले का अभी भी हल नहीं हुआ है।

2 भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य भंडारण निगमों में किया गया निवेश हस्तांतरणीय नहीं है।

3 # निगम ने नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीई) की इविटी में 832,90 लाख रुपए का निवेश किया था। इसके नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीई) का इंडिया कमोडिटी एक्सचैंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) के साथ 07.09.2018 को विलय हो गया। अतः आईसीईएक्स ने एनएमसीई में शेयर आवंटित किए हैं। निगम को आईसीईएक्स की इविटी में 11.05% शेयर है। एसीईसी यिनियम, 2018 के विनियम 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचैंज में प्रदर्श इविटी शेयर पूर्णी का 5% से अधिक नहीं रख सकता है। सेवा के दिनांक 26 नवंबर, 2015 के परिवर्त के अनुसार, निगम ने आईसीईएक्स को अपनी इविटी लोक नमूने के कदम उठाए हैं ताकि इसे नियांत्रित सीमा के भीतर लाया जा सके। इस विनियम का अनुपालन 5 मई, 2019 तक किया जाना था। निगम द्वारा आईसीईएक्स में रखी गई अतिरिक्त इविटी को कम करने में हुई देरी के कारण से वी ने महादान के अधिकारी और निगम द्वारा नियांत्रित सीमा से अधिक रखे गए शेयरों के लाभांश के भुगतान पर 5 मई, 2019 से नी महीने की अवधि यानी 4 फरवरी, 2020 तक 5% की नियांत्रित सीमा में शेयरों को कम किए जाने तक प्रतिवर्ष लगा दिया।

क्र.सं	लेखा शीर्ष		इत्तर्व	गत वर्ष
अनुसूची-IV: धारा 30(1) के अधीन आरक्षित निधि				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	18,565,098,108		
जोड़ा: अदायाकृत लाभांश (7 वर्षों से अधिक पुराना)	55,895			
जोड़ा: आरक्षित निधि से स्थानान्तरण	45,954			
जोड़ा: आरक्षित एवं विकास निधि से स्थानान्तरण	28,994,266			
जोड़ा: पी एण्ड एल विनियोग खाते से स्थानान्तरण	1,060,044,757	19,654,238,980	18,565,098,108	
अनुसूची-V: अत्यधिक संविधान द्रष्टव्य के लिए आरक्षित				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,519,861,695		
जोड़ा: अतिरिक्त प्रावधान किया गया	589,462,819			
घटाया: आरक्षित पर बढ़ते खाते में अशोध्य ऋण	388,598,835	2,720,725,679	2,519,861,695	
अनुसूची-VI: अन्य आरक्षित				
1 आरक्षित पूँजी				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	45,954		
घटाया: धारा 30(1) के अधीन आरक्षित निधि से स्थानान्तरण	45,954		45,954	
2 हितकारी निधि के लिए आरक्षित				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,187,533		
जोड़ा: पी एण्ड एल विनियोग खाते से स्थानान्तरण	20,060,523			
घटाया: हितकारी निधि द्रष्टव्य को किया गया भुगतान	6,887,533	16,360,523	3,187,533	
3 अनुसंधान एवं विकास निधि के लिए आरक्षित				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	28,994,266		
घटाया: धारा 30(1) के अधीन आरक्षित निधि से स्थानान्तरण	28,994,266		28,994,266	
अनुसूची-VII: कर्मचारी लाभांश के लिए आरक्षित निधि				
1 सेवानिवृत्त परवाना विकितसा लाभ निधि				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,097,339,182		
जोड़ा: विहित नियेश पर व्याज	89,828,958			
जोड़ा: वर्ष के दौरान सुजित आरक्षित	73,804,699			
जोड़ा: सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त योगदान	2,487,332			
घटाया: वर्ष के दौरान किया गया भुगतान (पीआरएम्बी द्रष्टव्य को किया गया 15000 लाख रु. का भुगतान शामिल है)	1,637,790,563	625,669,608	2,097,339,182	
2 छुट्टी लाभ निधि				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,408,589,572		
जोड़ा विहित नियेश पर व्याज	63,095,685			
जोड़ा: वर्ष के दौरान सुजित आरक्षित	193,016,394			
घटाया: वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	373,656,842	1,291,044,809	1,408,589,572	
अनुसूची-VIII: वेतन देयताएं				
1 पुठकर ऋणाता (एमएफ एवं परियोजनाओं सहित)	1,780,990,593	2,256,264,660		
2 अन्य देयताएं	1,492,963,655	1,228,600,878		
3 प्रतिदेय जमा	263,298,492	265,094,575		
4 व्यय के लिए देयताएं	1,140,186,979	862,239,330		
5 खर्च के लिए जावधान	497,632,748	346,899,860		
6 जमा कार्य (अन्य)	16,876,340	5,611,554		
7 रट्टैम्प लघूटी के लिए देयता	78,794,470	63,073,795		
8 वेतन संशोधन के लिए देयता			209,107,557	
9 विशेष स्वयंचिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए देयताएं	30,326,181			
	कुल			
		5,301,069,458	5,236,892,209	

क्र. सं	लेखा शीर्ष			इति वर्ष		गत वर्ष
	अनुसूची-IX: वेतन एवं बत्ते हेतु प्रावधान					
1	उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार			14,500,000		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान			12,498,839		
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान			10,998,839	16,000,000	14,500,000
2	निधादन संबंधित वेतन					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार					
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान			84,830,006	84,830,006	
3	ग्रेचुटी					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार			860,569,067		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान			64,071,566		
	घटाया : कर्मचारी ग्रेचुटी द्रस्ट को भुगतान			860,600,000	64,040,633	860,569,067
4	एलटीसी					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार			25,841,545		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान			15,981,857		
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान			12,110,702	29,712,700	25,841,545
5	वेतन संशोधन प्रावधान					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार			349,318,965		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान			501,482,502		
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान				850,801,467	349,318,965
	कुल				1,045,384,806	1,250,229,577
	अनुसूची-X: निवेश पर प्रोद्धत आय					
	प्राप्त माना					
1	राज्य भण्डारण नियमों में निवेश से					
	प्राप्त माना					60,056
	संदिध माना			35,432,640	35,432,640	35,715,629
	कुल				35,432,640	35,775,685
	अनुसूची-XI: स्टोर्स एवं स्पेयर्स					
1	स्टोर एवं स्पेयर्स (प्रबंधन द्वारा प्रभागित अनुसार)					
	रसायन एवं प्रौद्योगिकी (निम्न वेटेज औसत लागत पर या नियल वसूली योग्य मूल्य)			40,210,279		38,475,254
	अन्य हल्तागत खेती (निम्न लागत मूल्य पर (एफआईएफओ) एवं नियल वसूली योग्य मूल्य)			19,394,569		21,371,531
	मार्ग में माल			1,134,130	60,738,978	640,425
	कुल				60,738,978	60,487,210
	अनुसूची-XII: फुटकर देनदार					
1	फुटकर देनदार (वैअरहाउसिंग प्रभार)					
	प्राप्त माना			2,586,215,786		3,452,324,308
	संदिध माना			2,298,267,262	4,884,483,048	2,026,774,536
2	फुटकर देनदार (विषयन सुसाध्य प्रभार एवं अन्य)					
	प्राप्त माना			511,220,102		640,774,911
	संदिध माना			149,466,222	660,686,324	164,240,076
	कुल				5,545,169,372	6,284,113,831
	केन्द्रीय भण्डारण नियम					

क्र. सं	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची-XIII: क्रण पर अधिगम				
1	सेन्ट्रल रेलसाइड बैंकरहाउस कंपनी लि. (सीआरडब्ल्यूटी) को क्रण (प्रतिमूल)			
	प्राप्त माना		113,869,880	241,696,388
2	नकदी या वस्तु या मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अन्य अधिगम			
	प्राप्त माना			
	क) स्टाफ को अधिगम	11,425,042		10,868,008
	ख) पूँजी अधिगम	4,910,781		93,818,693
	ग) अन्य अधिगम	94,145,658	110,481,481	365,060,312
	कुल		224,351,361	711,443,401
अनुसूची-XIV: अन्य चालू प्रतिसापितायाँ				
1	जगा एवं अन्य पर प्रोद्भव व्याज (बचत बैंक खाता सहित)		273,883,720	298,382,260
2	सेन्ट्रल रेलसाइड बैंकरहाउस कंपनी लि. (सहायक कंपनी) से देय		9,492	9,492
3	चोत पर काटा गया आयकर			
	प्राप्त माना	963,434,041		347,368,311
	संदिक्ष माना	20,756,408	984,190,449	25,906,424
4	शुद्धायकर से वसूली योग्य		128,180,842	382,307,685
5	अन्य वसूली योग्य (44.07 लाख रु. प्रतिमूलि जगा सहित (गत वर्ष 14.14 रु. विभिन्न पार्टियों को एफडीआर के रूप में भुगतान किए गए)			
	प्राप्त माना	772,724,413		936,882,784
	संदिक्ष माना	216,803,147	989,527,560	267,225,030
	कुल		2,375,792,063	2,258,081,986
अनुसूची-XV: नकद एवं बैंक रोप				
1	हस्तागत नकदी			
	(i) हस्तागत नकदी / प्रधानमान / संरोप नकदी	8,433,223		3,401,520
	(ii) अन्यान्यी आधिगम	1,715,169	10,148,392	1,261,194
2	बैंकों में रोप			
भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुसंधान:				
	(i) बचत/फलैंगसी/चालू खाते में बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी [(शून्य सहित गत वर्ष 6.18 लाख रु.)]	132,766,045		260,517,127
	(ii) जगा खाते में [बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी 135.79 लाख रु. शामिल (गत वर्ष 80 लाख रु.)]	13,579,466		167,445,316
	अन्य-अनुसूचित बैंक			
	(i) बचत/फलैंगसी/चालू खातों में बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी शामिल (गत वर्ष 10 लाख रु.)	519,725,071		892,200,133
	(ii) जगा खाते में [बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी (255.58 लाख रु. शामिल (गत वर्ष 32.29 लाख रु.)]	4,629,922,268	5,295,992,850	2,472,808,995
3	हस्तागत एफडीआर (निगम के पक्ष में एफडीआर गिरवी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर्स से प्राप्त प्रतिमूलियों)	43,189,991		63,400,723
4	बैंक ड्रापट एवं बैंक हस्तागत	14,941,821		3,983,360
5	मार्गदरथ ब्रेक्वेन/बैंक ड्रापट/बैंक	643,610	58,775,422	311,466
	कुल		5,364,916,664	3,865,329,834
केन्द्रीय भंडारण निगम				
			62 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19	

क्र.सं	लेखा वर्ग	इति वर्ष	गत वर्ष
अनुसंधान-XVI। अपरिशोधित व्यय			
1	सेवानिवृत्ति पश्चात् धिक्कित्ता लाभ की गत अवधि लागत (पीआरएमवी)		
	पिछले तृतीन वर्ष के अनुसार शेष	12,993,389	15,158,954
	घटाया : वर्ष के दोस्रान परिशोधित	2,165,565	2,165,565
	कुल		10,827,824
			12,993,389

अनुसंधान-XVII। रसायन, कवस एवं उत्तर का उपयोग

1	रसायन	91,823,494	85,869,955
2	पार्टीशन कर्मसु	14,302,535	21,444,063
3	उत्तर	19,038,570	20,935,510
	कुल	125,164,599	128,249,528

अनुसंधान - XVIII। वेतन एवं भत्ते (प्राक्कानी के साथ)

1	अधिक		
2	प्रबन्ध निदेशक	3,837,901	2,310,974
3	प्रकार्यालय निदेशक	9,472,795	5,742,424
4	अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	3,483,510,764	3,289,706,344
5	महिला निपी ने योगदान	299,364,008	294,324,591
6	प्रेस एवं डिप्टी मे योगदान	195,911,511	223,220,027
7	सेवानिवृत्ति गश्यात् धिक्कित्ता लाभ निपी ने योगदान	72,831,304	98,296,055
8	व्यय का परिशोधन (पीआरएमवी लाभ)	2,165,565	2,165,565
9	मूर्तु तुआयजा	18,218,513	17,775,000
	प्रावधान :		
10	छुट्टी (पूँजीकृत {4.36 लाख रु. (गत वर्ष 4.56 लाख रु.) को छोड़कर})	63,635,215	1,135,495,902
11	पीआरपी/पीएलआई {{ पूँजीकृत 0.13 लाख रु.(गत वर्ष 0.95 लाख रु.) को छोड़कर }}	97,316,213	13,809,297
12	छुट्टी लाभ {{ पूँजीकृत 40.61 लाख रु. (गत वर्ष 71.99 लाख रु.) को छोड़कर}}	188,954,933	16,923,793
13	एलटीसी { पूँजीकृत 2.20 लाख रु. } (गत वर्ष 5.19 लाख रु.) को छोड़कर}}	15,761,381	17,051,922
14	वेतन संशोधन प्रावधान	525,354,217	445,329,956
15	विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसवीआरएस) मुआवजा	168,544,612	-
	कुल	5,144,878,932	5,562,151,850

अनुसंधान-XIX। यात्रा भत्ता इत्यादि

1	अधिक		
2	प्रबन्ध निदेशक	348,252	343,734
3	प्रकार्यालय निदेशक	787,711	789,316
4	अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	62,945,912	54,476,246
	कुल	64,081,875	55,609,296

अनुसंधान-XX। भरमत एवं रखरखाव

1	विस्तिरण	225,771,582	337,377,313
2	उपकरण	74,894,279	57,617,936
	कुल	300,665,861	394,995,249

क्र.सं	लेखा शीर्ष	इच्छा वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची - XXI - क्रियावाचक वर्ष			
1	कार्यालय का निराम	4,868,347	35,143,169
2	गोदानों का निराम	203,682,045	183,343,037
3	लोज का निराम	195,559,538	307,831,820
4	दर एवं कर	176,025,594	159,904,372
	कुल	580,135,524	686,222,398
अनुसूची - XXII - विविध खर्च			
1	स्थापना कास्टम कार्यालय	59,195,909	54,863,768
2	स्टाफ ग्रीष्मिक सर्व	10,344,824	10,487,312
3	प्रभार एवं प्रतिवर	2,117,636	2,831,541
4	रोडट्रॉफ	20,298,910	4,360,596
5	सेनियर एवं समेतन	2,164,687	2,713,812
6	कारोबार संकरण घर्य	1,620,793	1,990,904
7	लोत प्रभार	8,929,275	9,348,034
8	शोध जगहों परों की नकाद प्रोत्पात्त	1,451,598	4,074,972
9	एलएफ ग्राही पर नकदी छूट	-	23,137
10	अधिकारीओं का परामर्शी सेवा खर्च	1,053,153	10,257,897
11	विज्ञापन खर्च	23,617,765	19,788,991
12	वाहन खर्च	39,220,959	39,534,146
13	जगाकरणों को मुआवज़ा	8,700,623	5,823,227
14	कानूनीकरण प्रभार	13,003,923	9,519,547
15	प्रगति गे कारों की बदले स्थान में जालना	-	1,394,567
16	फोटोजन	12,835,278	8,813,166
17	गाड़ी भाड़ा एवं दूसी	4,117,478	4,042,259
18	गोस्टलाइस खर्च	1,036,994	1,536,719
19	अन्तर्रिक्त हॉलेनग	447,662	995,799
20	विवि खर्च	25,692,551	33,916,056
21	साधारण खर्च एवं पत्रिकाएं	1,345,026	1,422,324
22	उपकार एवं टेलेक्स	5,998,328	6,030,686
23	पेसी के पूछे मानने में आया अतर	(34,125)	(13,204)
24	अनुसंधान एवं विकास खर्च	456,000	2,760,000
25	अगदान एवं सदस्यता शुल्क	1,284,883	1,198,187
26	स्टाफ कार गोदान खर्च	2,194,240	2,296,958
27	स्टाफ कार रख - स्थाय खर्च	1,282,348	1,010,364
28	टेलीफोन खर्च	17,197,249	17,444,350
29	जस एवं विद्युत प्रभार	132,215,804	125,592,386
30	प्रोफेशनल प्रभार	31,058,478	37,481,096
31	वित्ती विस्तार सेवा योजना खर्च	885,537	453,321
32	अन्य खर्च लोटेस	44,241,237	49,070,465
33	कारोबार खर्च	6,591,666	5,357,101
34	आईएसओ खर्च	497,248	67,587
35	प्रबोग न किए गए जीएसटी/सेवा कर इनपुट फ़ैटिंग	222,910,951	280,417,793
36	वीमा मुआवजा हानि	1,445,242	-
37	अन्य विविध खर्च	41,466,470	35,902,712
	कुल	746,886,600	792,808,576

केन्द्रीय भवित्वात् निगम

62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

क्र.सं	लेखा शीर्ष		इति वर्ष	वति वर्ष
अनुसूची - XXIII - व्याज (द्युम)				
1	सरकार			
2	देह			
3	अन्य		10,370,274	43,998,699
		कुल	10,370,274	43,998,699

अनुसूची - XXIV - लेखा परीक्षको गान्धील द्युमय

1	लेखा परीक्षा शुल्क ([शाखा लेखा परीक्षको के लिए 32.99/- तात्पुर रु (गत वर्ष 38.86/- तात्पुर रु शामिल)])	5,346,000	6,001,695
2	वात्रा दर्ता	1,111,149	1,555,510
3	कर लेखापरीक्षा शुल्क ([शाखा लेखा परीक्षको के लिए 5.50/- तात्पुर रु (गत वर्ष 5.55/- तात्पुर 5.0 शामिल)]).	1,128,000	1,345,415
4	अन्य सेवाओं के लिए	212,000	212,000
		कुल	7,797,149
			9,114,620

अनुसूची - XXV - पूर्ण अवधि समायोजन (निष्पत्ति)

1	आय	(2,189,015)	18,434,970
2	व्यय	(10,767,020)	33,152,925
		(12,956,035)	51,587,895

अनुसूची - XXVI - कर व्यय

1	चालू कर	410,736,829	656,035,844
2	आन्धारित कर	232,136,606	(561,114,622)
3	पूर्ण वर्षों का कर समायोजन	(24,730,508)	(137,521,446)
		618,142,927	(42,600,224)

अनुसूची - XXVII - वेत्रहारडिंग प्रभार (आय)

1	वेत्रहारडिंग प्रभार	9,690,908,542	8,568,844,660
	पटाया शहराई समितियों और अन्य को छूट	168,453,489	168,667,524
		9,522,455,053	8,400,177,136

अनुसूची - XXVIII - व्याज (वाय)

1	जमा / बकाया में लाते से	493,191,437	445,211,321
2	मिस्ट के अंदर एवं अपैस से	(1,433,790)	2,871,365
	स्टाफ		
	अन्य (प्रैर्पारण वर्ष 1997-98, 1998-99, 2004-05 एवं 2005-06 के लिए 157.81 तात्पुर रु. की आयकर वापसी पर व्याज समिक्षित है)	37,460,307	36,026,517
			176,685,595
		कुल	529,217,954
			624,768,281

अनुसूची - XXIX - सामांश आय

1	सहयोगीयों के साथ नियोग (राजनि.)	183,990,703	98,923,997
2	सहयोग कर्मचारीयों के साथ नियोग (सीप्रारडब्ल्यूसी)	68,952,000	60,840,000
		252,942,703	159,763,997

अनुसूची - XXX - विविध प्राप्तियाँ

1	प्रधालन		
	अभियांत्रिकी परामर्शी देवायामो से	1,140,721	4,221,496
	अन्य विभिन्न प्रगतिशील प्राप्तियाँ	383,160,943	378,508,878
		384,301,664	382,730,374
2	गैर-प्रधालन		
	विदेशी विभिन्न वर्षों के अंतर (विभिन्न लाभ)	832,395	33,386
	अन्य गैर-प्रधालन विविध प्राप्तियाँ	13,054,312	3,851,864
		13,886,707	3,885,250
		398,188,371	386,615,624
	केन्द्रीय भंडारण नियम		

62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

2018-2019

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

अनुसूची-XXXI महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

लेखांकन का आधार

- (1) निगम के वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (इंडियन जीएएपी) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (जहाँ तक लागू हो) का अनुपालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग

- (2) भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन आकलन तथा अनुमान बनाए जो वित्तीय विवरणों की तिथि तक आकस्मिक देयताओं के प्रकटन, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्टिंग राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की रिपोर्टिंग राशि को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

वस्तु सूचियाँ

- (3) रसायन एवं निर्माण सामग्री का मूल्यांकन निम्न वार्षिक वेटेज औसत लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। खरीद की लागत में शुल्क, कर, भाड़ा तथा कुल व्यापार छूट, रियायत एवं अन्य समान मर्दों पर अन्य खर्च सम्मिलित हैं।
- (4) हस्तगत स्टोर जैसे प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, वर्दियां, पॉलीथीन कवर एवं डनेज आदि को "प्रथम प्रवेश प्रथम निकास" आधार पर निम्न लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य के अनुसार आंका गया है।
- (5) अनुप्रयोज्य/पुरानी निर्माण सामग्री को निम्न वार्षिक वेटेज औसत लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर आंका गया है।
- (6) खरीदे गए स्टॉक को निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य के अनुसार आंका गया है। लागत "प्रथम प्रवेश-प्रथम निकास" आधार पर निकाली जा रही है।

पूर्व अवधि व्यय/आय

- (7) प्रत्येक मर्द हेतु 1,00,000/-रु. या इससे कम की पूर्व अवधि व्यय/आय तथा प्रीपेड व्यय को वर्तमान वर्ष में मान्यता दी गई है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा मूल्यहास

- (8) (क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मर्दों की संचित मूल्यहास तथा संचित न्यूनतम हानि की ऐतिहासिक लागत पर लिया गया गया है। यद्यपि, पूर्णरूपेण मूल्यहासित परिसम्पत्ति को अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा गया है।
- (ख) निगम द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को परिसंपत्तियों की निर्धारित उपयोग अवधि तथा अवशिष्ट मूल्य के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर (परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि पर तकनीशियनों की रिपोर्ट पर आधारित) प्रभारित किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-



अनुसूची—XXXI महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

स्थायी परिसंपत्तियाँ	उपयोग अवधि (वर्ष में)	अवशिष्ट मूल्य (%)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण / मूर्ति परिसंपत्तियाँ		
वेअरहाउस एवं गोदाम तथा अनुषंगी कंटेनर यार्ड्स, छत (प्री-कोटेड गॉलवाल्यूम, स्टील शीट्स) फर्श, सीमेंट कंक्रीट सड़क-सीमेंट कंक्रीट (सीसी)	30	5
परिवर्तनीय प्लिथ	30	5
अपरिवर्तनीय प्लिथ	5	5
कार्यालय भवन	60	5
आवासीय फलैट्स	60	5
जल एवं विद्युत संरथापना	10	5
प्लांट एवं मशीनरी/रेलवे साइडिंग/लॉरी वेब्रिज	15	5
फर्नीचर एवं फिटिंग्स/विद्युत उपकरण	10	5
कार्यालय उपकरण	5	5
अन्य उपकरण/निर्माण उपकरण	6	5
मोबाइल फोन	3	5
एचबीएल शीट	4	5
मोटर वाहन/मोटर लॉरी/मोटरकार	8	5
प्रयोगशाला उपकरण	5	5
कीटनाशन उपकरण	4	5
लकड़ी के क्रेट	6	5
पीरीसी ब्लॉक्स	8	5
रैक्स/टिन ट्रे	10	5
पोली पैलेट्स	10	5
कंप्यूटर्स	3	5
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		
कंटेनर ट्रेनों के लिए पंजीकरण शुल्क	20	शून्य
भूमि प्रयोग का अधिकार	10	शून्य
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	शून्य
लाइसेंस फीस-प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल	10	शून्य

- (ग) वेअरहाउस/भवन तथा अनुषंगी, कंटेनर यार्ड, छत (प्री-कोटेड गॉलवाल्यूम स्टील शीट), फर्श, (सीमेंट कंक्रीट), सड़क(सीमेंट कंक्रीट) तथा लीज़होल्ड भूमि पर निर्मित/सृजित अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उनकी उपरोक्तित उपयोगी अवधि के अनुसार प्रभारित किया गया है, चूंकि लीज़ अवधि की समाप्ति के बाद ही सामान्यतः लीज़ नवीकृत होती है। यदि भूमि की लीज़ नवीकृत नहीं हुई हो तो इन परिसंपत्तियों पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि से हासित मूल्य तथा लाभ या हानि, यदि कोई है, से समायोजित कर लेन-देन को बही खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- (घ) जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 500/- रु. तक है, उन्हें राजस्व में प्रभारित किया गया है। जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 500/- रु. से अधिक और 5000/- रु. तक है, उन्हें पूँजीकृत किया जाता है और उन पर मूल्यहास 100 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है जिससे प्रत्येक ऐसी परिसम्पत्ति के लिए एक रु. का नाममात्र मूल्य रह जाता है।

अनुसूची—XXXI महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

- (ङ.) पट्टे पर भूमि अधिग्रहण (किश्त) की लागत और उस पर बने ओपेन एरिया की लागत पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद मूल्यहासित होती है।
- (च) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण जो उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं हैं उन्हें किए जा रहे पूंजीगत कार्य में सम्मिलित किया गया है।
- (छ) अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के तहत) के लिए क्षतिपूर्ति पर व्याज, लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित होते हैं।
- (ज) अभियांत्रिकी विभाग में कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिमों पर व्याज आय एवं निर्माण खंड की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर लगाया गया मूल्यहास पूंजीकृत नहीं है।
- (झ) वेअरहाउस एवं गोदामों के महत्वपूर्ण घटकों जैसे छत (प्री- कोटेड गालवॉल्यूम र्टील शीट या समक्ष), सड़कें (सीमेंट कंक्रीट) तथा फर्श (सीमेंट कंक्रीट) को पृथक रूप से पूंजीकृत एवं मूल्यहासित किया गया है।
- (ग) जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि की जाती है या जब किसी परिसंपत्ति को बेचा, समाप्त या नष्ट किया जाता है तब ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की गणना यथानुपात आधार पर उनकी उपयोग अवधि जो उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने के माह से अथवा उनके बेचने, समाप्त या नष्ट करने के माह तक, जैसा भी मामला हो, के आधार पर की जाएगी।

भूमि तथा सिविल कार्यों पर व्यय

- (10) गोदामों का पूंजीकरण, भंडारण—योग्यता के पूर्ति प्रमाण—पत्र के आधार पर है तथा गोदामों के कार्य प्रारंभ होने के प्रमाणपत्र के आधार पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- (11) भूमि अर्जन से संबंधित वास्तविक व्यय को वर्तमान दर पर देय स्टैम्प ड्यूटी के साथ पूंजीकृत किया गया है। प्रदत्त एवं पहले से पूंजीकृत स्टैम्प ड्यूटी में अंतर के लिए आवश्यक समायोजन भुगतान/आधिकार विलेख के निष्पादन के वर्ष में किया गया है।
- (12) जोखिम एवं लागत ठेके (सिविल) पर व्यय यदि उपलब्ध प्रतिभूति जमा से अधिक है, तो इसे वसूली बाले लंबित पूंजी या मरम्मत कार्यों (जैसा भी मामला हो) में प्रभारित किया गया है।
- (13) विभागीय रूप से निष्पादित किए गए पूंजी तथा जमा कार्यों पर खर्च निर्माण ओवरहैड को कार्य की लागत का 7 प्रतिशत की दर से या वास्तविक ओवरहैड पर जो भी कम हो, आबंटित किया गया है। बाहरी एजेंसी द्वारा निष्पादित किए गए पूंजी कार्यों के लिए एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार वास्तविक देय राशि पर पूंजीकृत किया जाएगा।
- यदि किसी यूनिट की वास्तविक ओवरहैड दर मानक ओवरहैड दर से कम है तो वास्तविक ओवरहैड को मरम्मत कार्य, जमा कार्य एवं पूंजीगत कार्यों में आबंटित किया जाता है।
- (14) किसी सिविल ठेके में माध्यरथ निर्णय के अनुसरण में प्रदत्त क्षतिपूर्ति/व्याज, लाभ में कमी इत्यादि जैसे राजस्व प्रकृति की देय राशि को राजस्व में प्रभारित किया गया है एवं प्रदत्त क्षतिपूर्ति/पूंजी प्रकृति की देय राशि को पूंजीकृत किया जाएगा।



अनुसूची—XXXI महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

राजस्व मान्यता

- (15) राजस्व को मान्यता दी जाती है जब दी गई सेवाओं से प्राप्त की जाने वाली विचारणीय राशि के संबंध में कोई अनिश्चितता न हो।
- (क) भंडारण सेवाओं से प्राप्त आय को ग्राहकों के साथ उन्हें निम्न के प्रयोग से दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार समझाते/व्यवस्था के आधार पर मान्यता है।
- (i) आयातित कार्गो प्राप्ति/कार्गो की रिलीज के लिए सम्पूर्ण सेवा संविदा पद्धति।
 - (ii) निगम द्वारा प्रदान की गई सभी अन्य सेवाओं के लिए समानुपातिक सम्पूर्ण पद्धति जिसमें निगम द्वारा किए गए जमा कार्य पर प्रभारित परामर्श फीस/पर्यवेक्षण फीस से प्राप्त आय भी शामिल है।
 - (iii) बिक्री प्रक्रिया से कालातीत बॉन्ड/लंबी अवधि के कार्गो पर इसकी वसूली के संबंध में।
- (ख) खाली और बेकार (जैसे पुराने अखबार) वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- (ग) लाभांश आय को तभी मान्यता है जब वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।
- (घ) व्याज आय को समय अनुपातिक आधार पर मान्यता है जिसे बकाया राशि तथा लागू व्याज दर को ध्यान में रखकर लिया गया है।

उपभोज्य वस्तुओं की लागत

- (16) काली पोलीथीन फिल्मों, मल्टी—लेअर्ड क्रॉस लेमिनेटेड कवर्स, बॉस की चटाइयों, पीवीसी फ्लोर डेनेज और पॉलीथिन कवर्स तथा इस प्रकार की अन्य उपभोज्य वस्तुओं की लागत को उपयोग के लिए जारी किए गए वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया गया है।

स्वैच्छिक सेवा—निवृत्ति योजना व्यय

- (17) सेवांत लाभों (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्यय संहिता) को उसी वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है जिसमें वे प्राप्त हुए हैं।

बीमा दावे

- (18) प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को किए गए दावे के वर्ष में मान्यता दी जाती है। बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट/दावे की वारस्तविक प्राप्ति के समय बीमा दावे के निपटान के लिए लाभ अथवा हानि को लेखाबद्ध किया जाता है। जमाकर्ता को दावे का भुगतान बीमाकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

माध्यस्थ निर्णय

- (19) निगम के विरुद्ध माध्यस्थ निर्णय को तभी माना गया जब इसके लिए कोई विवाद नहीं उठाया गया। फिर भी, निगम के पक्ष में दी गई राशि को वसूली के समय ही लेखाबद्ध किया जाता है, व्योंकि इसकी वसूली अनिश्चित होती है।

ठेकेदारों/पार्टियों के विरुद्ध दावों को लेखाबद्ध करना

- (20) जहां पर यथोचित वसूली निश्चित हो, वहां ठेकेदारों/पार्टियों के विरुद्ध दावों को लेखाबद्ध किया जाता है।

अदावाकृत लाभांश

- (21) जिन लाभांश वारंट को इनकैश नहीं किया गया है उन्हें "अदावाकृत लाभांश" शीर्ष के तहत देयता के रूप में दर्शाया गया है, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित हों।

विदेशी मुद्रा लेन-देन

- (22) प्रारंभिक मान्यता

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले लेन-देन को लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया गया है।

बाद में मान्यता

रिपोर्टिंग की तिथि को गैर-मौद्रिक वस्तुओं (राजस्व मद एवं स्थाई परिसम्पत्तियाँ) जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत में नामित शर्तों पर रखा गया है, को लेन-देन की तिथि पर विनिमय दर का प्रयोग करके दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा में सभी मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (वर्तमान परिसम्पत्तियाँ एवं वर्तमान देयताएँ) को तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए पुनः दिया गया है एवं विनिमय के अन्तर को लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

सरकारी अनुदान

- (23) सरकारी अनुदान तभी स्वीकृत किए जाते हैं जब इसमें युक्तिसंगत आश्वासन दिया जाता है कि इसे प्राप्त किया जाएगा और इससे जुड़ी सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(क) विशिष्ट स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित पूँजी अनुदान को संबंधित परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य से घटाया गया है।

(ख) राजस्व अनुदान को संबंधित खर्च घटाकर लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

निवेश

- (24) निवेश को वर्तमान एवं गैर-वर्तमान निवेश में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश निवली लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर दिखाया गया है। प्रबंधन की राय में लम्बी अवधि के निवेश लागत पर दिखाए गए हैं तथा कीमत में कभी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब ऐसी गिरावट अस्थायी के अलावा हो।

कर्मचारी लाभ

- (25) (क) सभी लघु अवधि कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में छूट रहित राशि पर मान्यता दी गई है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।



अनुसूची-XXXI महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

- (ख) भविष्य निधि, पेशन निधि तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि को अंशदान योजना में परिभाषित किया गया है। वर्ष के दौरान दिए गए अंशदान की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।
- (ग) छुट्टी नकदीकरण, ग्रेचुटी तथा एलटीसी के संबंध में परिभाषित लाभ योजनाओं के अधीन कर्मचारी लाभों की परिभाषित लाभ देयता को वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी गई तथा वर्ष के अंत में प्रोजैक्ट यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर गणना की गई। वर्ष के दौरान योजना परिसंपत्तियों की अधिकता को वास्तविक देयता के रूप में मान्यता दी गई है।
- (घ) सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के भुगतान को प्रोद्भूत आधार पर लाभ-हानि खाते में मान्यता दी गई है।

पट्टे

(26) प्रचालन पट्टे :

जहाँ निगम पट्टाकर्ता है :

वे पट्टे जिनमें निगम महत्वपूर्ण रूप से परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों का हस्तांतरण नहीं करता उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टों की परिसम्पत्तियाँ, रसाई परिसम्पत्तियों में सम्मिलित हैं। प्रचालन पट्टे पर आय को लाभ-हानि लेखों में पट्टे की शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्यता दी गई है। मूल्यहास सहित लागत को व्यय के रूप में लाभ हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

जहाँ निगम पट्टेदार है :

जहाँ पर पट्टाकर्ता पट्टे की मदों के स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं लाभों को प्रभावी रूप से रखता है, वहाँ पट्टेदार को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टे भुगतान को पट्टे शर्तों पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

आय पर कर

- (27)(क) आयकर व्यय में चालू कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर के लिए प्रावधान निर्धारण योग्य लाभ पर आधारित है तथा इसकी गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। आस्थगित कर को मान्यता दी गई है, बशर्ते कि एक अवधि में होने वाले कर-योग्य एवं लेखाबद्ध आय/व्यय के बीच अंतर से होने वाले समय अंतराल पर स्वविवेक के अधीन एक या एक से अधिक आगामी अवधि में उसकी वापसी सुनिश्चित कर दी गई है।
- (ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ केवल तभी मान्य होगी, जब यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी, जिस पर ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ वसूल की जा सकेंगी। यदि निगम ने अनामेलित मूल्यहास तथा कर हानियाँ, अग्रेषित की हैं, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकेगी।

(ग) कर विधियों के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भविष्य के आयकर देयताओं के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभों में बढ़ोतरी करते हैं, उन्हें परिसंपत्ति के रूप में तभी माना जाए जब यह विश्वसनीय साक्ष्य हो कि निगम भविष्य में सामान्य कर का भुगतान करेगा। निगम प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में इसकी समीक्षा करता है और मैट क्रेडिट पात्रता की अध्रेष्टित राशि को उस सीमा तक पुरांकित करता है, जब तक ऐसा कोई वास्तविक साक्ष्य न रह जाए कि निगम विनिर्दिष्ट अवधि में क्रेडिट का उपयोग करने के योग्य होगा।

अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(28)(क) कंटेनर रेल परिवहन के लिए भारतीय रेलवे को दी गई लाइसेंस फीस/पंजीकरण फीस को "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में पूँजीकृत किया गया है और 20 वर्ष की अवधि अर्थात् प्रचालन प्रारम्भ करने के वर्ष से रेलवे द्वारा जितनी अवधि के लिए अनुमति दी गई है, में परिशोधित किया गया है।

(ख) ऐसी भूमि जिन पर "प्रयोग का अधिकार" आधार पर कब्जा लिया गया है, उनके लिए प्रदत्त राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और उन पर 10 वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। इन परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि तथा तकनीकी प्रमाणीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी भूमि पर निर्मित वेअरहाउसों/भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास सामान्य उपयोगी अवधि के अनुसार प्रभारित किया जाता है, जैसा कि लेखा नीति सं. 8(ख) में उल्लिखित है। इसके लिए "प्रयोग करने का अधिकार" की अवधि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि "प्रयोग का अधिकार" वाली भूमि वापस ली गई है तो ऐसे वेअरहाउस/भवन एवं अन्य निर्मित परिसंपत्तियों को सौंपने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति को उनके पुरांकित मूल्य तथा लाभ या हानि यदि कोई हो, पर समायोजित कर दिया जाता है। और लेन-देन को लेखाबद्ध किया जाता है।

(ग) जो सॉफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना गया है और 03 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

(घ) निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस की लागत को 10 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

परिसंपत्तियों में क्षीणता

(29) यदि परिसंपत्तियों के रख-रखाव की लागत इसकी वसूली योग्य कीमत से बढ़ जाती है तो उन सम्पत्तियों को क्षीण माना जाता है। क्षीणता हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्तियों की क्षीणता का पता चलता है। यदि वसूली योग्य राशि के प्राक्कलन में परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखांकन अवधि में मान्य क्षीणता हानि प्रत्यावर्तित हो जाती है।

प्रावधान, आकस्मिक देयता, आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

(30) (क) पिछली घटना के फलस्वरूप जब निगम के वर्तमान दायित्व होते हैं, तब प्रावधान को मान्यता दी जाती है तथा संभव है कि दायित्वों को पूरा करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता हो और जिसके बारे में वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है।



अनुसूची—XXXI महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

- (ख) निगम के विरुद्ध दावों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ऋण उपलब्ध सूचना तथा प्रबंधन के फैसले के आधार पर निर्धारित किए गए तथा लेखों की टिप्पणियों द्वारा प्रकट किए गए। तथापि, आकस्मिक परिस्थितियों को न तो मान्यता दी गई और न ही उन्हें प्रकट किया गया है।
- (ग) पूर्वव्यापी प्रभाव के लेखों के परिचालन की तिथि के बाद लिए गए निर्णय के कारण देयताओं/अर्जित आय को सीधे संबद्ध लेखा शीर्ष के अधीन लेखाबद्ध किया गया है।
- (घ) कर्मचारियों के यात्रा व्यय तथा छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी देयताओं, जहाँ यात्रा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होती है लेकिन बिलों की प्रतीक्षा रहती है, बशर्ते कि उन्हें अग्रिम का भुगतान किया गया है और बिलों का आवश्यक समायोजन अगले वर्ष बिल प्राप्ति पर किया जाता है।
- (ङ.) जब तक कि कोई विवाद न हो संपत्ति कर को प्राप्त माँग तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

- (31) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए तभी प्रावधान किए जाते हैं, जब देनदार/ऋण एवं अग्रिम की वसूली संदिग्ध मानी जाती है।

अनुसूची—XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

1. क) लेखा नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव

नीति संख्या	लेखांकन नीति (संशोधित)	लाभ पर प्रभाव (लाख रु. में)
13	विभागीय रूप से निष्पादित पूँजी और जमा कार्यों पर किए गए निर्माण ओवरहेड्स को कार्य की लागत का 7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) या वास्तविक ओवरहेड दर जो भी कम हो, आबंटित किया जाता है। बाहरी एजेंसी के माध्यम से निष्पादित पूँजी कार्यों के लिए, एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार वास्तविक देय राशि पर पूँजीकृत किए जाएंगे।	358.10 (गिरावट)
15(घ) अनुपात	ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी मापनीयता या सामूहिकता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। इसे समय के आधार पर बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।	शून्य
18	प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के लिए वसूल की जाने वाली राशि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जब दावा किया गया हो। बीमा दावे के निपटान के संबंध में लाभ या हानि को सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति/बीमा कंपनी से दावे की वास्तविक प्राप्ति के समय लेखाबद्ध किया जाता है। जमाकर्ता को दावे का भुगतान उसकी रसीद प्राप्त होने के बाद किया जाता है।	शून्य

2. पूँजी प्रतिबद्धता/सिविल अनुबंधों पर अनुमानित देयताएँ:

- (क) 31.03.2019 को निष्पादित किए जाने वाले पूँजी लेखा पर सिविल ठेकों की अनुमानित राशि 3902.82 लाख रु. (गत वर्ष 2164.51 लाख रु.) है।
- (ख) दिनांक 31.03.2019 तक पूरे किए गए निर्माण कार्य हेतु 1567.28 लाख रु. (गत वर्ष 1581.65 लाख रु.) की अनुमानित देयता जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा विल नहीं दिए गए हैं, को साइट इंजीनियरों के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- (ग) केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) ने 10.09.2018 को एक संयुक्त कार्यकारी समूह (जोइंट वर्किंग ग्रुप) बनाने के लिए एक समझौता किया है, जिसका नाम पिपावाव इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब (पीआईएलएच) है, जो पिपावाव पोर्ट, गुजरात, भारत में लॉजिस्टिक सुविधा संचालित करने के लिए है। केंद्रीय भंडारण निगम को पीआईएलएच में पूँजी प्रतिबद्धता के रूप में 2019–20 के दौरान 5 करोड़ रु. का निवेश करना है।

3. अभियांत्रिकी ओवरहेड्स का आबंटन

लेखांकन नीति संख्या—13 के अनुसार 365.38 लाख (गत वर्ष 777.43 लाख रु.) की राशि वाले अभियांत्रिकी ओवरहेड्स को वर्ष के दौरान निगम द्वारा किए गए पूँजी और जमा कार्यों के लिए आबंटित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:—



अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



- i) 354.85 लाख रु. (गत वर्ष 701.40 लाख रु.) पूँजी कार्यों में प्रभारित किए गए।
- ii) 10.53 लाख रु. (गत वर्ष 76.03 लाख रु.) जमा कार्यों में प्रभारित किए गए।

4. राजस्व मान्यता

- (क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उनके पत्र दिनांक 13.02.2019 के अनुसार) ने वर्ष 2016-17 के लिए आरक्षण के आधार पर एफसीआई स्टॉक के लिए भंडारण दरों को संशोधित कर 4.30 रु. से 4.68 रु. प्रति बैग प्रति माह कर दिया है। 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए ऐसे स्टॉक के संबंध में 5225.66 लाख रु. के आय का बकाया चालू वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है। वर्ष 2018-19 की आय 4.68 रु. प्रति बैग प्रति माह की दर से लेखाबद्ध की गई है।
- (ख) ए.एस.-9 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में उनके अंतिम संग्रह (अल्टीमेट कलैक्शन) में अनिश्चितता के कारण राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया गया है :
- क) आईसीडी-लोनी में रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन प्रचालक (एसएएमओ) के साथ विवाद के संबंध में निगम ने निम्न के लिए दावा किया (क) 1670.28 लाख रु. के खाली कंटेनरों पर परिवर्तनीय शुल्क (ख) अन्य निजी कंटेनर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर (पीसीटीओ) के ट्रेनों पर कंटेनर परिवहन के 6556.94 लाख रु. (ग) टर्मिनल एसेस चार्जिंग के 13978.98 लाख रु. (घ) आईसीडी-लोनी एवं गेट-वे पोर्ट के बीच सङ्क द्वारा कंटेनर ले जाने के संबंध में 435.21 लाख रु. शुल्क (ङ) अधिक क्षेत्र के लिए 1962.50 लाख रु. प्रभार तथा (च) डब्ल्यूडब्ल्यूआईएलपीएल की विफलता के कारण संमझौते के अनुसार एक रेक प्रदान करने हेतु 1036.80 लाख रु. हानि (छ) केंद्रीय भंडारण निगम को व्यापार एवं राजस्व में 454.22 लाख रु. की हानि (ज) भुगतान में देरी पर व्याज हेतु 20596.34 लाख रु।
- ख) सीएफएस, व्हाइटफील्ड, बैंगलुरु में पूर्व रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन ठेका जो 30.4.2014 से समाप्त हो गया, के संबंध में निगम ने बाप्टेड भण्डारण तथा खाली कंटेनरों इत्यादि से प्राप्त आय की शेयरिंग के लिए माध्यरस्थम के समक्ष 2856.13 लाख रु. का प्रतिदावा किया जिसे माध्यरस्थम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले की उच्च न्यायालय में अपील की गई है। अन्य माध्यरस्थम में निगम ने खर्चों की वसूली के लिए 885.08 लाख रु. का प्रतिदावा भी किया है।
- ग) सीएफएस, लॉजिस्टिक पार्क, नवी मुम्बई में रेल लिंकड सुविधा के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन ठेके के संबंध में रेलवे प्रचालन शुरू करने के बारे में विवाद है तथा 25 अगस्त, 2014 तक निगम द्वारा दावाकृत 8 प्रतिशत की तुलना में एसएएमओ ने कुल राजस्व के 6 प्रतिशत की दर से परिवर्तनीय शुल्क का भुगतान किया जिसमें परिवर्तन फीस 1558.38 लाख रु. (गत वर्ष 1558.38 लाख रु.) और भुगतान में विलम्ब के लिए 1464.79 लाख रु. (गत वर्ष 1256.20 लाख रु.) का व्याज, विवादित राशि है।
- घ) सीएफएस, कालम्बोली में रेल लिंकड सुविधा के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जहां निर्धारित एवं परिवर्तनीय शुल्क के भुगतान में एसएएमओ द्वारा देरी हुई एवं कानूनी कार्रवाई लंबित है तथा भुगतान में देरी हेतु निगम ने 1441.65 लाख रुपए (गत वर्ष 1343.82 लाख रुपए) के व्याज का दावा किया है जो एसएएमओ द्वारा विवादित है।
- ङ.) केंद्रीय भंडारण निगम के नवी मुम्बई में सीएफएस तथा बफर यार्ड सुविधा की लीज़ समाप्त होने पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) द्वारा सुविधा की फिजीकल पोजेशन दिसंबर, 2005 में दूसरे ऑपरेटर को दे दी गई थी। साथ ही, निगम की कब्जे में जो कंटेनर/कार्गो थे, उनका फिजीकल पोजेशन भी उसे दे दिया गया था। निगम ने नए प्रचालक/जेएनपीटी पर 3095.00 लाख रु. का दावा किया है। हालांकि, सौंपे गये कंटेनर/कार्गो पर वसूली योग्य वास्तविक राशि अनिश्चित है।

अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



5. अन्य प्रकटन

निगम ने कुछ ठेकेदारों से 1352.52 लाख रु. (गत वर्ष 1164.33 लाख रु.) की वसूली सेवाकर के रूप में प्राप्त करने का दावा किया क्योंकि इसे अतिरिक्त भुगतान के रूप में माना जाता था या ठेकेदारों ने निगम को सेनवेट क्रेडिट का दावा नहीं करने के लिए उचित इन्वाइस प्रस्तुत नहीं किया था। ठेकेदारों से 336.35 लाख रु. (गत वर्ष 323.70 लाख रु.) वसूल किए गए थे तथापि, ठेकेदारों द्वारा विवाद उठाया गया। यह मामला न्यायालय के समक्ष/माध्यस्थ होने के कारण शेष राशि की वसूली हेतु अनिश्चित है। विवाद का निपटारा न होने के कारण वसूल की गई राशि को ठेकेदारों को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है।

6. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

(क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेन-देन कार्य विदेशी मुद्रा में किए गए :

	व्यय	लाख रु. में
i)	अभिदान एवं सदस्यता शुल्क	3.18
ii)	अन्य व्यय	शून्य

(ख) वर्ष के दौरान 8.32 लाख रु. (आय) (गत वर्ष 0.33 लाख रु. (आय)) के निवल विनिमय अन्तर को मान्यता दी गई जो विदेशी मुद्रा में निवल भुगतान/प्राप्ति योग्य से संबंधित है।

7. सरकारी अनुदान:

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी अनुदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता तथा दिनांक 31.03.2019 को उनके शेष का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(लाख रु. म)

क्र. सं.	उद्देश्य	केन्द्र का नाम	अथ शेष	प्राप्त अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान	वपिस किया गया अनुदान	अंत शेष
क	पूँजी अनुदान		क	ख	ग	घ	ड=(क+ख+ग+घ)
1	पुरावकड़, अलीप्पे में गोदाम का निर्माण—केरल सरकार से प्राप्त (#क)	सै.वे. पुरावकड़	528.00	-	40.00	-	488.00
2	एपीएसडब्ल्यूसी द्वारा नियंत्रित प्रमाणित प्रसंस्करण एवं शीत भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से (438.00 लाख रु.) प्राप्त तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए रूपाइसिस पार्क, गुंटूर में 500 लाख रु. की लागत से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंकर यूनिट की स्थापना। (# ख)	गुंटूर में एपीएस डब्ल्यूसी द्वारा कोल्ड स्टोरेज संरचना	938.00.	500.00	438.00	शून्य	
3	पिपावाव (गुजरात) में सीएफएस की स्थापना— वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त (# ग)	सीएफएस पिपावाव	155.64	-	-	-	155.64

अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

4	आईसीडी-पटपड़गंज (दिल्ली) में आधुनिकीकरण एवं ऑटोमेशन सुविधा लगाना—वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त (# ग)	आईसीडी पटपड़गंज	385.36	-	-	-	385.36
	उप योग		2007.00	0.00	540.00	438.00	1029.00
ख	राजस्व अनुदान						
5	आईजीएमआरआई, हापुड़ में प्रशिक्षण अवसरचना एवं प्रयोगशाला के उन्नयन, खाद्यान्न टेस्टिंग लेबोरेट्री में पेरिट्साइड रेसिड्यू और माइक्रोटॉक्सीन कर्टेमिनेशन के रेनोवेशन के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों का भुगतान, 125 केवीए के एक डीजी सेट की खरीद का भुगतान—उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त	हापुड़	3.02	-	3.02	-	शून्य
	उप योग		3.02	-	3.02	-	शून्य
	कुल अनुदान (क+ख)		2010.02	0.00	543.02	438.00	1029.00

नोट:

- क) अनुदान का उपयोग 28 सितंबर, 2018 तक किया जाना था। धान के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण हेतु दलदली भूमि के सुधार/रूपांतरण कारण काम में देरी हुई है। निगम द्वारा समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। चूंकि अनुदान की निबंधन और शर्तों में कोई ब्याज खंड नहीं है, इसलिए ब्याज नहीं दिया गया है।
- ख) 2016-17 में निगम द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को 938 लाख रु. का अनुदान वापस किया गया जो एपीएसडब्ल्यूसी की बुनियादी परियोजनाओं के लिए 30.01.2017 को केंद्रीय भंडारण निगम को पुनः जारी किया गया था। 438 लाख रु. का अनुदान 64.68 लाख रुपये के ब्याज सहित वाणिज्य मंत्रालय को वापस कर दिया गया है। गुंदूर परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा 31.03.2018 तक थी। परियोजना के निष्पादन में हुई देरी के लिए 107.67 लाख रु. के 10. प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज को लेखों में दिया गया है और एपीएसडब्ल्यूसी से वसूली योग्य दर्शाया गया है।
- ग) पिछले वर्षों में सीएफएस पिपावाव एवं आईसीडी पटपड़गंज के लिए एएसआईडीई योजना के अंतर्गत निगम द्वारा उपयोग किए गए क्रमशः 155.64 लाख रु. एवं 385.36 लाख रु. के अनुदान को किए गए व्यय के नियमितीकरण पर वाणिज्य मंत्रालय के लंबित निर्णय के आधार पर गत वर्ष पुनः दर्शाया गया। ब्याज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 54.10 लाख रु. के 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज को लेखों में दिया गया है।

अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

8. निवेश का लेखांकन

(क) (i) निगम द्वारा 31.3.2019 तक निम्नलिखित निवेश किया गया:-

लाख रु. में

दीर्घ अवधि निवेश (अनुधृत) :	31.3.2019 को	31.3.2018 को
राज्य भण्डारण निगमों (रा.भ.नि.) (सहयोगी) में इकिवटी (दीर्घ अवधि)	6179.38	6179.38
सैंट्रल रेलसाइड बैअरहाउस कंपनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) (100% सहायक कंपनी) में इकिवटी (दीर्घ अवधि)	4056.00	4056.00
नेशनल मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएमसीई) (सहयोगी) में इकिवटी (दीर्घ अवधि)	शून्य	832.90
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. (आईसीईएक्स) में इकिवटी (आईसीईएक्स के साथ विलय पर एनएमसीई में शेयरों के बदले में प्राप्त शेयर) - दीर्घ अवधि 376.81 लाख रु. - चालू 456.09 लाख रु.	832.90	शून्य
कुल	11068.28	11068.28

(ii) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने राज्य भण्डारण निगमों की अंश पूँजी में अपना 50 प्रतिशत अंश देना है जहाँ संबंधित राज्य सरकारों ने पहले ही अपना 50 प्रतिशत अंश दे दिया है। राज्य भण्डारण निगम की समेकित हानियाँ, लेखों का तैयार न होना, वार्षिक साधारण बैठक का समय पर न होना तथा लाभांश का भुगतान समय पर न देने के कारण निगम ने असम राज्य भण्डारण निगम, कर्नाटक राज्य भण्डारण निगम, केरल राज्य भण्डारण निगम, मेघालय राज्य भण्डारण निगम तथा मध्य प्रदेश भण्डारण और लॉजिस्टिक्स निगम की अंशपूँजी में 50 प्रतिशत के अपने अंश का भुगतान नहीं किया है।

(ख) उपरोक्त निवेश से अर्जित 2529.43 लाख रु. की आय को लाभ एवं हानि लेखे में निम्नानुसार शामिल किया गया है :

सहायक	2018-19	2017-18 लाख रु. में
राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) से प्राप्त लाभांश	1839.91	989.24
सीआरडब्ल्यूसी (सहायक कंपनी) से प्राप्त लाभांश	689.52	608.40
कुल	2529.43	1597.64

9. कर्मचारी लाभ का प्रकटन

(क) परिभाषित अंशदान योजना

(i) (क) वर्ष के लिए केमनि कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान 3013.13 लाख रु. (गत वर्ष 3007.36 लाख रु.) रहा जिसमें से 2993.64 लाख रु. (गत वर्ष 2943.25 लाख रु.) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई और 19.49 लाख रु. (गत वर्ष 64.11 लाख रु.) को पूँजीकृत किया गया है।



अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



- (ख) वर्ष में केन्द्रीय भण्डारण निगम पेशन निधि में नियोक्ता का योगदान महंगाई भत्ते सहित मूल बेतन का 7.6 प्रतिशत की दर से निर्धारित है जिसकी राशि 1972.24 लाख रु. (गत वर्ष 2267.42 लाख रु.) है। इसमें से 1959.11 लाख रु. (गत वर्ष 2232.20 लाख रु.) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई तथा 13.13 लाख रु. (गत वर्ष 35.22 लाख रु.) को पूंजीकृत किया गया है।
- (ii) (क) वर्ष के लिए केभनि सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ निधि में नियोक्ता का योगदान महंगाई भत्ते सहित मूल बेतन के 3.03 प्रतिशत की दर पर निश्चित किया गया है जो 732.97 लाख रु. (गत वर्ष 1002.50 लाख रु.) है। इसमें से 728.31 लाख रु. (गत वर्ष 982.96 लाख रु.) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और 4.66 लाख रु. (गत वर्ष 19.54 लाख रु.) को पूंजीकृत किया गया है।
- (ख) पीआरएमबी योजना में भाग लेने वाले सेवानिवृत्ति कर्मचारियों में समूह 'क' को 1500/-रु., समूह 'ख' को 1200/-रु., समूह 'ग' को 900/-रु. एवं समूह 'घ' को 600/-रु. का वार्षिक योगदान करना आवश्यक है।
- (ग) पीआरएमबी ट्रस्ट का गठन 27.11.2018 को पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनेफिट स्कीम को संचालित करने के लिए किया गया था। वर्ष के दौरान 15000 लाख रु. की राशि का भुगतान ट्रस्ट को किया गया जो निगम द्वारा बनाए गए पीआरएमबी फंड में से किया गया था और पीआरएमबी फंड में रखी शेष 6256.70 लाख रु. की राशि का भुगतान 2019-20 के दौरान ट्रस्ट को किया जा रहा है।
- (घ) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) निधि के लिए आरक्षित के संबंध में 27.11.2015 को बोर्ड के निर्णय के अनुसार पीआरएमबी की आरक्षित निधि निवेश पर 898.29 लाख रु. (आय कर देयता का निवल) (गत वर्ष 905.82 लाख रु.) के ऊपर वर्ष के दौरान निगम द्वारा अर्जित किए गए 6.85 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए क्रेडिट को लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा से पीआरएमबी निधि के लिए आरक्षित में हस्तांतरित कर दिया गया है।
- (ख) परिभासित लाभ योजना
- कर्मचारी लाभ अर्थात् ग्रेच्यूटी, छुट्टी लाभ एवं छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन कर दिया गया है।
 - छुट्टी लाभ निधि के लिए आरक्षित के संबंध में, 12.02.2018 को बोर्ड के निर्णय के अनुसार वर्ष के दौरान निगम द्वारा 630.96 लाख रु. (आयकर देयता के निवल) पर अर्जित किए गए 6.85 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए क्रेडिट (गत वर्ष 741.97 लाख रु.) को लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से छुट्टी लाभ निधि के लिए आरक्षित में हस्तांतरित कर दिया गया है।
 - कर्मचारी लाभ दायित्व के अथशेष एवं अंतशेष का मिलान निम्नानुसार है:

अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

(करोड़ रु. में)

विवरण	ग्रेचुटी (निविकारी)		छुटी लाभ (अनिविकारी)		एलटीरी (अनिविकारी)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
1 अप्रैल को देयता का वर्तमान मूल्य	338.29	247.18	140.86	159.06	2.58	2.44
जोड़ा : व्याज लागत	25.71	17.29	10.71	11.13	0	0
जोड़ा : चालू सेवा लागत	8.95	8.75	6.62	10.51	1.60	1.76
जोड़ा : पूर्व सेवा लागत (वेर निहित लाभ)	0	115.34	0	0	0	0
जोड़ा : पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0	0	0	0
घटाया : प्रदत्त लाभ	(73.07)	(42.36)	(37.37)	(38.37)	(1.21)	(1.62)
देयता में बीमाकिक (लाभ) / हानि (संतुलन आंकड़ा)	(7.44)	(7.91)	8.28	(1.47)	0	0
31 मार्च को देयता का वर्तमान मूल्य	292.44	338.29	129.10	140.86	2.97	2.58
1 अप्रैल को योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	252.23	234.25	0	0	0	0
जोड़ा : योजनागत परिसम्पत्तियों पर संभायित रिटर्न	19.17	18.14	0	0	0	0
जोड़ा : योगदान	86.06	42.93	0	0	0	0
जोड़ा : निधि ट्रांसफर (अंदर की ओर से)	0.05	0.00	0	0	0	0
घटाया : प्रदत्त लाभ	(73.07)	(42.36)	0	0	0	0
योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमाकिक (लाभ) / हानि (संतुलन आंकड़ा)	1.60	(0.73)	0	0	0	0
31 मार्च को योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	286.04	252.23	0	0	0	0
मानक के अनुसार तत्काल मान्यता दिए जाने वाले कुल बीमाकिक मूल्यांकन (लाभ) / हानि	9.04	7.18	(8.28)	1.47	0	0
निवेश पर रिटर्न से क्रेडिट (कर का निवल)	0	0	6.31	7.42	0	0
वेतन संशोधन प्रावधानों से हस्तांतरित	0	2.09	0	10.34	0	0
लाभ एवं हानि लेखे में मान्य व्यय	6.36	113.55	18.90	1.69	1.58	1.71
पूँजीकृत व्यय हस्तांतरित	0.05	0.42	0.40	0.72	0.02	0.05
कुल व्यय	6.41	116.06	19.30	12.75	1.60	1.76

(iv) योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का मिलान (ग्रेचुटी फंड)

कर्मचारियों के लाभ के संबंध में निगम के पास ग्रेचुटी के सिवाय कोई योजना परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं जिसके लिए 24 मार्च, 2010 को ग्रेचुटी ट्रस्ट बनाया गया था। 31.3.2019 को ग्रेचुटी फंड के संबंध में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य 286.04 करोड़ रु. (गत वर्ष 252.23 करोड़ रु.) है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-



अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



करोड़ रु.में

विवरण	2018-19	2017-18
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	252.23	234.25
योजना परिसम्पत्तियों पर संभावित वापसी	19.17	18.14
नियोक्ता योगदान (द्रस्ट को भुगतान)	86.06	42.93
निधि हरतातरण (आई एन)	0.05	0.00
योजना परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1.60	(0.73)
लाभ का भुगतान	(73.07)	(42.36)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	286.04	252.23

- (v) मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत घटकों पर विचार करने के पश्चात् प्रोजैक्टिड यूनिट क्रैडिट (पीयूसी) का प्रयोग करके कर्मचारियों के लाभ की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया।
- (vi) कर्मचारी लाभ की देयताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए गए बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नलिखित हैं:-

वित्तीय पूर्वानुमान	ग्रेच्युटी		छुट्टी लाभ		एलटीसी	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
छूट दर	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	7.60%	7.60%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि	6.00%	8.00%	6.00%	6.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइब्स मार्टेलिटी 06-08 अंतिम					
प्रतिवर्ष सघर्षण / निकासी दर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
औसत भावी कार्यशील अवधि (वर्ष में)	12.84	12.51	12.84	12.51	12.84	12.51

- (vii) इस वर्ष तथा गत चार वर्षों की परिभाषित लाभ देयता (योजना परिसम्पत्तियों का निवल) का वर्तमान मूल्य नीचे दिया गया है :-

लाख रु. में

परिभाषित लाभ	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
ग्रेच्युटी	640.41	8605.69	1292.99	883.61	8390.00
छुट्टी लाभ	12910.45	14085.90	15906.48	17765.26	17256.00
एलटीसी	297.13	258.41	244.35	194.24	129.00

अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

(viii) निगम ने वर्ष 2013-14 से उन कर्मचारियों के नाभिति/कानूनी वारिस को एकमुश्त अनुग्रही क्षतिपूर्ति के भुगतान का लाभ देने की सुविधा विस्तारित की है जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई थी, जिसमें ग एवं घ समूह के कर्मचारियों को 7.50 लाख रु. तथा ग एवं ख समूह के कर्मचारियों को 10 लाख रु. देय हैं। चालू वर्ष में मृत्यु पर मुआवजे के लिए 182.19 लाख रु. (गत वर्ष 177.75 लाख रु.) के व्यय को लेखाबद्ध किया गया है।

10. वेतन में संशोधन हेतु प्रावधान

चूंकि यूनियनकृत सुपरवाइजर्स एवं कर्मचारियों का वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2017 से देय हैं। अतः 8508.01 लाख रु. लेखा बहियों में दर्शाए गए हैं।

11. सोगमेंट रिपोर्टिंग

प्रबंधन की राय में निगम के पास कोई अलग—से रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

12. संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक 18 के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन—देन का प्रकटन निम्नानुसार है:-

क) संबंधित पार्टियाँ और उनकी सम्बद्धता की सूची:

क्र. सं	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
i)	सेन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि.(सीआरडब्ल्यूसी) (जहां नियंत्रण विद्यमान है)	सहायक कंपनी
ii)	19 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी)	सहयोगी
iii)	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (07.09.2018 तक)	सहयोगी
	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
iv)	श्री डॉ.वी.प्रसाद (11.01.2019 से)	अध्यक्ष
v)	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव (18.06.2018 से)	प्रबन्ध निदेशक
vi)	श्री एस.चार्ल्स	निदेशक (वित्त)
vii)	श्री जे.एस.कौशल (31.05.2018 तक)	निदेशक (कार्मिक)
viii)	श्री एस.सी. मुद्गरीकर	निदेशक (एम एंड सीपी)

ख) संबंधित पार्टियों से लेन—देन:

(लाख रु. में)

(i) सी.आर.डब्ल्यू.सी. (सहायक कंपनी)	
— प्राप्त लाभांश	689.52
— सीआरडब्ल्यूसी द्वारा प्रत्याभूत ऋण का पुनः भुगतान (31.03.2019 को बकाया ब्रह्म 1138.70 लाख रु. है)	1278.27
— सीआरडब्ल्यूसी को दिए गए ऋण पर प्राप्त व्याज	149.86
— सीआरडब्ल्यूसी को प्रदान की गई पीसीएस सेवाएं	0.96
(ii) 19 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) (सहयोगी)	
— राज्य भण्डारण निगम से लाभांश आय	1839.91
— उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	8.24



अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



- गुजरात राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	249.66
- गुजरात राज्य भण्डारण निगम से प्रदत्त रॉयल्टी	4.28
- ओडिशा एसडब्ल्यूसी के लिए निष्पादित जमा कार्य पर अर्जित की गई इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाएं	11.41
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
(iii) श्री डी. बी. प्रसाद	
- सिटिंग शुल्क एवं यात्रा भत्ते	शून्य
(iv) श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	
- पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 30.91 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 2.64 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	33.55
- यात्रा भत्ता	3.28
(v) श्री एस. चार्ल्स	
- पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 42.96 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 1.07 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	44.03
- यात्रा भत्ता	4.31
(vi) श्री जे.एस.कौशल	
- पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 10.96 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 0.74 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	11.70
- यात्रा भत्ता	0.20
(vii) श्री एस.सी.मुद्गोरीकर	
- पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 40.01 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 5.65 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	45.66
- यात्रा भत्ता	2.53

ग) सहायक कम्पनी “सीआरडब्ल्यूसी”

निगम ने अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी “सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी)” की इक्विटी में 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार 4056.00 लाख रु. (गत वर्ष 4056.00 लाख रु.) का निवेश किया है। रेलसाइड वेअरहाउसों के अन्तरण के लिए 688.70 लाख रु. (गत वर्ष 1606.96 लाख रु.) के ऋण तथा कार्यशील पूँजी के लिए 450 लाख रु. (गत वर्ष 810.00 लाख रु.) के अन्य ऋण से सीआरडब्ल्यूसी के कुल 1138.77 लाख रु. के ऋणों की राशि बकाया है। सीआरडब्ल्यूसी के साथ हुए समझौते के अनुसार रेल साइड वेअरहाउसों के अंतरण हेतु लिए गए ऋण पर 7.63 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष (तिमाही आधार पर) एवं कार्यशील पूँजी हेतु लिए गए ऋण पर व्याज (तिमाही आधार पर) सीआरडब्ल्यूसी द्वारा देय है जो सीआरडब्ल्यूसी द्वारा ऋणदाता बैंक को दिया जाना है। वर्ष के दौरान उपरोक्त ऋण पर 149.86 लाख रु. (गत वर्ष 259.60 लाख रु.) की व्याज आय को लेखाबद्ध किया गया है।

अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

13. पट्टों का प्रचालन

पट्टाकार के रूप में

निगम ने आईसीडी, लोनी तथा सीएफएस लॉजिस्टिक पार्क के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन कॉन्फ्रैक्ट किए हैं, जो रद्द हो सकने वाले प्रचालन पट्टे हैं।

क) पट्टेदारों को 31.03.2019 को प्रदान की गई स्थायी परिसंपत्तियाँ निम्नलिखित हैं :-

लाख रु. में

विवरण	सकल राशि	संचित मूल्यहास	निवल खाता मूल्य
भूमि	5,521.00	1,467.04	4,053.96
वेरहाउस एवं गोदाम	1,028.22	322.35	705.87
जल संरक्षण	5.64	5.36	0.28
विद्युत संरक्षण	245.90	233.60	12.30
खुला कंटेनर यार्ड	2,628.51	563.92	2,064.59
कुल	9,429.27	2,592.27	6,837.00

ख) वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई उपर्युक्त परिसंपत्तियों पर 238.05 लाख रु. (गत वर्ष 442.19 लाख रु.) का सकल मूल्यहास प्रभारित किया गया। उपर्युक्त परिसंपत्तियों पर क्षीणता हानि का कोई संकेत नहीं है। उपर्युक्त सीएफएस लोनी तथा आईसीडी लॉजिस्टिक पार्क को प्रति टीईयू निश्चित शुल्क और परिवर्तनशील शुल्क को ध्यान में रखकर 15 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया है, बशर्ते, न्यूनतम गारंटीड थ्रूपुट / न्यूनतम राशि 5 से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सहित प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष के दौरान प्रचालन पट्टों से 5799.97 लाख रु. (गत वर्ष 6124.38 लाख रु.) की कुल आय दर्शाई गई जिसमें से 79.63 लाख रु. (गत वर्ष 357.02 लाख रु.) आकस्मिक किराए के रूप में दर्शाए गए हैं।

14. प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान शेष इकियटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या से वर्ष में इकियटी धारकों को होने वाले लाभ को विभाजित करके मूल और भिन्नित ईपीएस राशि की निम्नानुसार गणना की गई :-

मूल एवं भिन्नित	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क) वर्ष के प्रारंभ में इकियटी शेयरों की संख्या	6,80,210	6,80,210
ख) वर्ष के अंत में इकियटी शेयरों की संख्या	6,80,210	6,80,210
ग) वर्ष के दौरान शेष इकियटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या	6,80,210	6,80,210
घ) प्रत्येक इकियटी शेयर का अंकित मूल्य (रु. में)	1000/-	1000/-
ड) इकियटी अंशधारियों के लिए उपलब्ध कर पश्चात लाभ (राशि रु. में)	163,60,52,277/-	31,87,53,277/-
प्रति इकियटी शेयर आय - मूल (रु. में)	2405.22	468.61
प्रति इकियटी शेयर आय - भिन्नित (रु. में)	2405.22	468.61

15. आय पर कर

- i) इस वर्ष कर व्यय 6181.43 लाख रु. (गत वर्ष 426.06 लाख रु. जमा) हुआ जिसमें वर्तमान कर 4107.37 लाख रु., आस्थगित कर 2321.36 लाख रु. और पिछले वर्ष का कर समायोजन 247.30 लाख रु. (जमा) समाविष्ट है।



अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



- ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे बंद करने हेतु कानून लागू करने योग्य अधिकार हैं। दिनांक 31.03.2019 को निवल आस्थगित कर देयता 5472.67 लाख रु. (गत वर्ष 3151.31 लाख रु.) है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:-

(लाख रु. में)

आस्थगित कर देयताएँ		2018-19	2017-18
क.	स्थायी परिसंपत्तियों के खंड में मूल्यहास और अन्य अंतर	25456.09	25885.04
ख.	आयकर प्रतिपूर्ति पर अर्जित व्याज	43.70	255.76
कुल		25499.79	26140.80
आस्थगित कर परिसंपत्तियों			
क.	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	9507.30	8720.74
ख.	ग्रेचुटी के लिए प्रावधान	223.78	2978.26
ग.	विशेष स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, दर, कर एवं शुल्क पीआरएमबी तथा अपरिशोधित पीआरएमबी सेवात् लागत आदि के लिए प्रावधान	8557.11	10089.94
घ.	अनिश्चित देयताओं के लिए प्रावधान	1738.93	1200.55
कुल		20027.12	22989.49
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		5472.67	3151.31

- iii) अपीलीय अधिकारी के अनुकूल निर्णयों को देखते हुए निर्धारण वर्ष 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2002-03 तथा 2005-06 के लिए दिनांक 31.03.2019 को आयकर विभाग से 1281.81 लाख रु. वसूली योग्य राशि प्राप्त हुई। इस वसूली योग्य राशि पर 1044.77 लाख रु. कर का प्रावधान लाखों में किया गया है, जिसे प्रबंधन ने पर्याप्त माना है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए 593.59 लाख रु. के कर प्रावधान (टीडीएस क्रेडिट द्वारा घटाई गई कर देयता) बहियों में भी मौजूद है, जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा कर आंकलन अभी तक शुरू किया जाना है। उपलब्ध टीडीएस क्रेडिट को देखते हुए निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कोई कर प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

16. सहायक/संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी

- (क) निगम की अपनी सहायक कम्पनी अर्थात् सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि., (सीआरडब्ल्यूसी) में 4056.00 लाख रु. की 100 प्रतिशत इकिवटी है, उनके लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार वित्तीय विवरण निम्नानुसार हैं:

लाख रु. में

विवरण	2018-19	2017-18
सकल राजस्व	8794.49	9688.47
सकल व्यय	7158.72	7324.03
कर पूर्व लाभ	1635.77	2364.44
कर पश्चात् लाभ	1487.71	1533.12
परिसंपत्तियाँ	20067.81	20426.43
पूंजी एवं आरक्षित	12504.57	11848.11
देयताएँ	7563.24	8578.32
आकस्मिक देयता	565.76	113.93



अनुसूची—XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



- (ख) निगम ने वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 की धारा 19(2) के संबंध में अपनी सहयोगी अर्थात् 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) की अंशपूँजी में निवेश किया है। इन एसडब्ल्यूसी को दिनांक 31.3.2019 के लेखा परीक्षित लेखों के प्राप्त न होने के कारण इनकी परिसम्पत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं, आय तथा व्यय में निगम के शेयर को प्रकट नहीं किया जा सकता।
- (ग) निगम द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि निगम का गठन वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 के अधीन हुआ है और उसके अनुसार इन्हें तैयार करना अनिवार्य नहीं है।
- (घ) केंद्रीय भंडारण निगम (केभनि) तथा कटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (कॉनकोर) ने पिपवाव पोर्ट (गुजरात) पर लॉजिस्टिक सुविधा चलाने हेतु पिपवाव इन्टीग्रेटेड लॉजिस्टिक हव (पीआईएलएच नाम से जॉइन्ट वर्किंग ग्रूप (जेडब्ल्यूजी) स्थापित करने के लिए दिनांक 10.09.2018 को समझौता किया है। केंद्रीय भंडारण निगम तथा कॉनकोर दोनों निवेश कार्यशील पूँजी तथा लाभ को समान रूप से शेयर करेंगे। चूंकि वर्ष 2018–19 में पीआईएलएच में निवेश नहीं किया गया है तथा पीआईएलएच द्वारा कोई प्रचालन नहीं किया गया है केभनि द्वारा पीआईएलएच में अपनी पूँजी प्रति बद्धता के एक भाग के रूप में दिनांक 30.05.2019 को 5 करोड़ रु. का निवेश किया गया है।

17. अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

निगम में चार अमूर्त परिसंपत्तियाँ हैं—

- क) कटेनर ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण शुल्क,
- ख) भूमि का उपयोग करने का अधिकार
- ग) सॉफ्टवेयर, और
- घ) निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस शुल्क

वर्ष 2005–06 में, निगम ने श्रेणी-। मार्गों पर कटनेर ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेलवे को 5000 लाख रु. के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया और दिनांक 04.01.2007 को निगम और भारतीय रेल के बीच एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे केंद्रीय भंडारण निगम वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 20 वर्षों की अवधि के लिए कटनेर ट्रेन चलाने का पात्र है जो उसी तारीख से प्रारम्भ भी हो गया है। 5000 लाख रु. की पंजीकरण शुल्क को अमूर्त परिसम्पत्ति समझा गया है। रियायती अवधि को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके उसी नियम एवं शर्तों पर 10 वर्षों की अवधि के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। करार के अनुसार, रियायत ग्राही (केभनि) को रेल प्रशासन के अनुमोदन से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से एक वर्ष के बाद अपने रियायत को किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तांतरण करने या देने या रियायत ग्राही के नियंत्रण का हक होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कटनेर ट्रेनों को चलाने के लिए भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ करने की तारीख से 20 वर्ष की (उपयोगी अवधि) के लिए परिशोधित किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2019 को केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा भारतीय रेलवे को 1750 लाख रु. (गत वर्ष 2000 लाख रु.) पंजीकरण शुल्क की अपरिशोधित राशि का भुगतान किया गया।

- i) उपयोगी अवधि/प्रयुक्त परिशोधन दरें :



अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



अमूर्त परिसम्पत्तियाँ:	उपयोगी अवधि / परिशोधन दरें (%)
कंटेनर रेल प्रचलन के लिए पंजीकरण शुल्क	20 वर्ष (अपरिशोधन अवधि 07 वर्ष है)
भूमि प्रयोग का अधिकार	10 वर्ष
सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	10 वर्ष

- ii) वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में सकल अग्रेनीत राशि, संचित परिशोधन राशि और वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में अमूर्त परिसम्पत्तियों की अग्रेनीत राशि का समाशोधन 'स्थायी परिसम्पत्तियाँ' की अनुसूची- II में दिया गया है।

18. परिसम्पत्तियों में क्षीणता

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान कोई क्षीणता हानि नहीं हुई है गत वर्ष 95.25 लाख रु. की क्षीणता हानि परिवर्तित हुई थी।

19. आकस्मिक देयताएं एवं गारंटी

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 से	(लाख रु. में)		
			अब के शेष पर कटौती	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2019 से
(क)	निगम के विरुद्ध दावे जिन्हें क्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इनमें निगम के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों एवं अन्यों के द्वारा किए गए वह दावे शामिल हैं जो मध्यस्थता/न्यायालय में हैं।				
	i) केंद्रीय सरकारी विभाग	7027.77	1,624.14	340.91	5,744.54
	ii) राज्य सरकारी विभाग एवं अन्य निकाय	26117.16	1292.15	1890.34	26715.35
	iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	15166.24	6812.36	5132.75	13486.63
	iv) अन्य (जिन्हें ऊपर कवर नहीं किया गया)	25502.29	1677.97	11176.28	35000.60
	कुल (क)	73813.46	11406.62	18540.28	80947.12
गारंटियाँ					
(ख)	बैंक गारंटियों के लिए दी गई काउंटर गारंटी			31.03.2018	31.03.2019
(ग)	कस्टम विभाग को प्रस्तुत अभिरक्षक प्रत्यानुति बांड़स			360.97	291.83
	देयता, यदि कोई हो, जो कुछ कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के विवादित दावों; जमाकर्ताओं/ठेकेदारों/गोदाम के मालिकों के साथ मध्यस्थम मामलों तथा व्याज/दण्ड/कानूनी खर्चों के कारण हो सकती है और जो राशि निश्चित नहीं है, उन्हें आकस्मिक देयताओं में प्रकट नहीं किया गया है।			248018.00	371716.00
(क)	आकस्मिक देयताएं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यायालय/मध्यस्थता के निर्णय/कोर्ट के बाहर निपटान, अपील के निपटान होने पर निर्भर करती है। संबंधित पार्टियों की मांग के कारण किए जाने वाले अन्य विकास और कॉन्ट्रैक्चुअल बाध्यताओं के लिए राशि ली गई।				
(क)	निगम द्वारा विवादित दावों के संबंध में मुख्य आकस्मिक देयताएं कुल दावों का 2 प्रतिशत से अधिक हैं जो उपरोक्त क्रम संख्या (क) में निम्नानुसार शामिल की गई हैं:				
(i)	कस्टम विभाग द्वारा लागत वसूली प्रभारों के लिए आईसीडी, पटपड़गंज से 2975.00 लाख रु. के दावे।				
(ii)	आईसीडी-लोनी में निगम द्वारा कंटेनर ट्रेन चलाने पर जाँच प्रभारों, सेवा प्रभारों, भूमि किराया, हैंडलिंग प्रभार, ईधन प्रभार आदि के संबंध में सामो द्वारा 5131.85 लाख रु. के दावे तथा उस पर व्याज।				
(iii)	भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों के लिए मार्तीय खाद्य निगम द्वारा किया गया 9988.80 लाख रु. का दावा।				

अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

(iv)	से.वे. टीडब्ल्यू-I, टीडब्ल्यू-II, एम.एस.जेठा एवं वडाला के संबंध में व्याज सहित किराए का बकाया, दरें एवं करों आदि के लिए मुख्यई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किए गए 20104.46 लाख रु. के दावे के लिए निगम के साथ विवाद है।
(v)	सीएफएस, कालम्बोली में रेल लिंक सुविधा की निर्माण लागत, गोदाम किराया घरेलू प्रचालन प्रभार आदि के संबंध में सामों द्वारा 6456.75 लाख रु. तथा उस पर 1599.46 लाख रु. के व्याज का दावा।
(vi)	पूर्व स्ट्रैटेजिक एलाइंस मैनेजमेंट ऑपरेटर (सामो) द्वारा सीएफएस- क्लाइटफील्ड पर 8637.83 लाख रु. का दावा।

20. खर्चों का प्रावधान

“प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों” पर ए.एस. 29 के अनुपालन में खर्च के लिए प्रावधान पर अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है:-

(लाख रु. में)

अथशेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान प्रयोग/खर्च की गई/अभिशूल्य राशि	अंत शेष
3469.00	2778.88	1271.55	4976.33

21. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

- क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश विविध/वसूली योग्य देनदारियां सरकारी विभागों एवं उपक्रमों से संबंधित हैं, प्रबंधन ने अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 27207.26 लाख रु. (गत वर्ष 25198.62 लाख रु.) के प्रावधान को पर्याप्त माना है जिसमें विविध देनदारियाँ (भंडारण प्रभारों के लिए) 22982.67 लाख रु. (गत वर्ष 20267.75 लाख रु.) तथा (विपणन सुसाध्य प्रभारों के लिए) देनदारियाँ 1494.66 लाख रु. (गत वर्ष 1642.40 लाख रु.) 2729.93 लाख रु. (गत वर्ष 3288.47 लाख रु.) अन्य विविध वसूली योग्य देनदारियों के लिए सम्मिलित हैं।
- ख) भारतीय खाद्य निगम के संबंध में विभिन्न देनदारियाँ 26499.74 लाख रु. (गत वर्ष 35215.25 लाख रु.) हैं। जो उनसे प्राप्त 6155.85 लाख रु. के तदर्थ भुगतान को समायोजित करने के बाद है और जिन्हें दिनांक 31.03.2019 को समायोजित नहीं किया गया था। 31.03.2019 को भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न देनदारों में भंडारण प्रभारों के लिए 21484.19 लाख रु. और विपणन सुसाध्य प्रभारों के लिए 5015.55 लाख रु. शामिल हैं। तदर्थ भुगतान का अंतिम समायोजन भारतीय खाद्य निगम द्वारा वास्तविक समायोजन के अनुसार किया जाएगा।

31.03.2019 को भा.खा.नि. के साथ विवादित कुल राशि 18387.18 लाख रु. (गत वर्ष 19622.14 लाख रु.) है। भा.खा.नि. के साथ विवादों का निपटान प्रगति पर है। प्रबंधन ने अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए 16237.09 लाख रु. (गत वर्ष 13380.76 लाख रु.) के प्रावधान को पर्याप्त माना है।

- ग) पिछले वर्ष के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर 3885.99 लाख रु. बट्टे खाते में डाले गए जिसमें से 2247.68 लाख रु. भंडारण प्रभारों/एम एफ प्रभारों एवं अन्य देयों जिसमें बीआईएफआर मामले भी सम्मिलित हैं और जिनकी वसूली निगम से नहीं हो सकी, के विवादों के संबंध में है एवं भंडारण हानि/परगमन हानि/क्षतियों/सेवाओं में कमी इत्यादि के विवादों के संबंध में 1638.31 लाख रु. की वसूली निगम से नहीं हो सकी। सक्षम अधिकारी के अनुमोदन एवं कमेटी की संस्तुति के आधार पर इन राशियों को बट्टे खाते में डाला गया। बट्टे खाते में डाली गई इस राशि को अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के विरुद्ध समायोजित किया गया है। जैसा कि अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित, अनुसूची (v) के लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियों में परिलक्षित किया गया है।



अनुसूची-XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ



22. शेष पुष्टियाँ

पार्टियों के विषय में क्रृष्ण एवं अग्रिम, आपूर्तियों, सेवाओं, बयाना राशि तथा प्रतिभूति जमा के लिए नामे तथा जमा शेषों हेतु निगम ने शेष की पुष्टि हेतु पत्र भेजे हैं। कुछ पार्टियों से प्राप्त लेखों की प्रति/पुष्टि का समाधान हो गया है। पार्टियों के संबंध में प्रबंधन का मत है कि जिनसे पुष्टि/लेखे का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी देयता और लाभ पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

23. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सुस्थिर विकास (एसडी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 21.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम को वर्ष 2018-19 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व तथा सुस्थिर विकास पर 392.74 लाख रु. की राशि (जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के सीएसआर खर्च में 19.57 लाख रु. की कमी शामिल है) खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास के लिए 402.05 लाख रु. (गत वर्ष 528.09 लाख रु.) व्यय किए गए।

वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के तहत खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	नकद भुगतान	भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी भी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा कोई अन्य उद्देश्य	366.23	36.42	402.65

24. अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 23.09.2011 के कार्यालय ज्ञापन में अनुसंधान एवं विकास पर जारी अपने दिशा-निर्देशों को दिनांक 17.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा वापस ले लिया है। अतः वर्ष 2018-19 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर कोई राशि आरक्षित नहीं की गई एवं अनुसंधान एवं विकास फंड के लिए 289.94 लाख रु. की राशि की आरक्षित निधि को धारा 30(1) के तहत आरक्षित फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 की अवधि में अनुसंधान एवं विकास में व्यय किए गए 4.56 लाख रु. को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

25. हितकारी निधि

हितकारी निधि की स्थापना वर्ष 1989-90 में कर्मचारी कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। हितकारी निधि के प्रबंधन हेतु हितकारी निधि द्रस्ट की स्थापना की गई तथा द्रस्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए एवं 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट हेतु पंजीकरण किया। वर्ष के दौरान 163.61 लाख रु. (गत वर्ष 31.88 लाख रु.) अर्थात् कर-पश्चात् लाभ का 1 प्रतिशत तथा 37.00 लाख रु. की अतिरिक्त राशि बोर्ड के अनुमोदन से हितकारी निधि के लिए आरक्षित में विनियोजित की गई। वर्ष के दौरान द्रस्ट में किए गए 37.00 लाख रु. के अतिरिक्त योगदान तथा अथशेष पर हितकारी निधि द्रस्ट 31.88 लाख रु. का योगदान किया गया। निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद दिनांक 31.03.2019 को हितकारी निधि में शेष आरक्षित 163.61 लाख रु. (गत वर्ष 31.88 लाख रु.) को हितकारी निधि द्रस्ट को भुगतान कर दिया जाएगा।

अनुसूची—XXXII लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

26. लाभांश

वर्ष के दौरान, निगम ने 2017–18 के लिए 1012.31 लाख रु. के अतिरिक्त लाभांश एवं वर्ष 2018–19 के लिए 2379.15 लाख रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। वर्ष 2018–19 के लिए कर पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत की दर से अंतिम लाभांश का प्रस्ताव है (प्रदत्त पूँजी का 72.20 प्रतिशत) जो 4908.16 लाख रु. है। आईसीएआई द्वारा जारी एएस 4 (पैरा–14) के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित लाभांश की अप्रदत्त राशि को लेखा बहियों ने दर्ज नहीं किया गया।

27. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

मद सं.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अपेक्षित प्रकटन	(लाख रु. में)	
		31.03.2019 को	31.03.2018 को
i)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में निम्न के कारण देय विलम्बित भुगतान क) मूल एवं छ) उस पर देय ब्याज	शून्य शून्य	शून्य शून्य
ii)	वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी विलम्बित भुगतान पर प्रदत्त कुल ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूल राशि पर प्रदत्त देय ब्याज किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत ब्याज राशि के बिना	शून्य	शून्य
iv)	प्रोद्भूत ब्याज राशि तथा प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत तक भुगतान न किया गया शेष	शून्य	शून्य
v)	कुल देय ब्याज जिसका भुगतान न किया गया हो। (लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान किए गए गत वर्षों की इन तिथियों से देय ब्याज के साथ सभी शेष ब्याज राशि को दर्शाता है। मुख्यतः ब्याज की राशि को निरिचत करना जो आयकर उद्देश्यों के लिए स्वीकृत नहीं है)	शून्य	शून्य

28. निर्माण कार्यों के लिए उपकर


भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (आरईसीएस) अधिनियम, 1996, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 के अधीन उपकर की वसूली एवं प्रेषण के लिए देयता केवल उन राज्यों में निर्माण कार्य के संबंध में हैं, जहाँ संबंधित राज्य सरकार द्वारा कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं तथा प्रभावी तिथि एवं लगाए जाने वाले उपकर प्रतिशत के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

29. वैअरहाउसिंग निधि

वैअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 16 के अनुसार निगम द्वारा वैअरहाउसिंग निधि का रख—रखाव किया जा रहा था जिसका वर्ष 2010–11 में पूरी तरह उपयोग हो गया था। अतः इसके लिए कोई लेखा तैयार नहीं किया गया।

30. सामान्य

आंकड़ों को रूपये में पूर्ण मान लिया गया है। गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, वहाँ उन्हें पुनःवर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित एवं उन पर पुनः कार्य किया गया है।



31 मार्च, 2019 को समावेश का नकदी-प्रबाह विवरण

विवरण	इस वर्ष	गत वर्ष
	रु.	रु.
का प्रधालन कार्यकलापों से नकदी प्रबाह:		
कर पूर्व निवल लाभ	2,254,195,204	276,153,053
संसाधन लेनिएः		
मूल्यांकन विवरण एवं कीमता हानि	869,008,178	1,337,500,488
पूर्व अवधि मूल्यांकन	6,266,552	5,632,360
सीआरएमएस की पूर्व सेवा लगत का परिवर्तन	2,165,565	2,165,565
अशोध्य एवं संदिग्ध जटियों के लिए प्राक्कामन	589,462,819	461,175,338
साल खत्ये	10,370,274	43,998,699
परिसंपत्तियों की विकी से हानि/परिसंपत्तियों बढ़ते खाते में	14,198,591	31,998,005
कार्य प्रगति पर बढ़ते खाते में		1,394,567
अशोध्य आय बढ़ते खाते में	8,694,323	600,864
परिसंपत्तियों की विकी से लाभ	(42,575,721)	(562,331)
शब्द भण्डारण निवाले से लाभांश आय	(183,990,703)	(98,923,997)
सीआरडब्ल्यूसी से लाभांश आय	(68,952,000)	(60,840,000)
साल आय	(529,217,954)	(624,768,281)
विवेशी मुदा विनियम में अन्तर (निवल हानि)	(832,395)	(33,386)
अधिक देयता/पुरानित प्राक्कामन/संपाद्यांकित	(11,413,022)	(19,193,024)
अतिरिक्त मूल्यांकन/समायोजित पुरानित	(1,139,492)	
	662,045,015	1,080,144,867
कार्यशील पूर्णी में वरिवर्तनों से पूर्व प्रधालन लाभ	2,916,240,219	1,356,297,920
आवार तथा अन्य प्राप्तियाँ	486,928,282	1,370,395,337
इन्स्ट्रीज	(251,768)	1,128,020
सहायक कम्पनी (सीआरडब्ल्यूसी) को देय/वसूली योग्य राशि		24,182,976
देयताएं तथा प्राक्कामन	(1,878,392,596)	1,096,918,677
	(1,391,716,082)	2,492,625,010
प्रधालन कार्यकलापों से उत्तम नकदी	1,524,524,137	3,848,922,930
आपकर प्रदत्त	(538,123,732)	(664,182,682)
प्रधालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)	986,400,405	3,184,740,248
ख निवारा कार्यकलापों से नकदी प्रबाह:		
उद्योगाईपी गाहिर राशी परिसंपत्तियों की खरीद	(1,604,118,375)	(1,592,981,306)
साईं परिसंपत्तियों की विकी से प्राप्ति	104,209,764	(26,481,002)
सीआरएमबी निधि निवेश	1,471,669,574	(84,113,905)
चुट्टी लाभांश निधि निवेश	117,544,763	(1,408,589,572)
सीआरडब्ल्यूसी का दिवा गया क्रप	127,826,508	177,783,135
एसडब्ल्यूसी से प्राप्त लाभांश	184,333,748	112,934,158
सीआरडब्ल्यूसी से प्राप्त लाभांश	68,952,000	101,400,000
प्राप्त आय	553,716,494	721,724,467
निवार कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)	1,024,134,476	(1,998,324,025)



विवरण	इस वर्ष		गत वर्ष	
	रु.	रु.	रु.	रु.
ग वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :				
हितकारी निधि द्रव्य को भुगतान	(6,887,533)		(23,122,133)	
भारत सरकार से ग्राम/उपग्राम किया गया अनुदान	(98,102,028)		93,800,000	
प्रदत्त व्याज	(3,371,158)		(4,708,105)	
प्रदत्त लाभाश	(402,587,332)		(1,398,789,923)	
वित्तीय कार्यकलापों में (प्रुक्त) निष्ठ नकदी (ग)		(510,948,051)		(1,332,820,161)
घ नकदी में नियम शुद्ध एवं समकक्ष नकदी (क+ख+ग)		1,499,586,830		(146,403,938)
ङ वर्ष के आरंभ में नकदी एवं समकक्ष नकदी		3,865,329,834		4,011,733,772
वर्ष के अंत में नकदी एवं समकक्ष नकदी	D+E	5,364,916,664		3,865,329,834
## नकदी एवं बैंक रोप				
क नकदी एवं बैंक में 46435.02 लाख रु. (गत वर्ष 26402.54 लाख रु.) का जमा शामिल		5,306,141,242		3,797,634,285
ख हस्तगत एकलीआर (निगम के पास में एकलीआर गिरवी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर्स से ग्राह प्रतिनिधित्व)		43,189,991		63,400,723
ग बैंक ड्रापट एवं हस्तगत बैंक		14,941,821		3,983,360
घ मार्गशिर प्रेक्षा/ बैंक ड्रापट/ बैंक		643,610		311,466
कुल		5,364,916,664		3,865,329,834
2 यहाँ कहीं प्राप्तशक्ति कुप्राप्त गत वर्षों को आपड़ों को पुनर्वर्तीकृत एवं पुनर्जीवित किया गया है।				

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(एस. थाल्स)
निदेशक (वित्त)(अरुण कुमार श्रीपात्राद)
प्रधान निदेशक

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृत रमेश शी. अग्रवाल एवं कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट
एकाउटेंट: 001770 ही(सोम्य अग्रवाल)
पाटन
संबन्ध नं. 416438स्थान नई दिल्ली
दिनांक: 26.08.2019

कमीशीय भड़ारण निम्न

62 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019




केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपकरण)
Central Warehousing Corporation
(A Govt.of India Undertaking)

Auditors' Report

2018-19

62nd Annual Report

2018-19



Ramesh C Agrawal & Co.

Chartered Accountants

CA

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

Report on Financial Statements

Opinion

We have audited the Financial Statements of M/s Central Warehousing Corporation ("the Corporation") for the General Fund, which comprise the Balance Sheet at March 31st 2019 and the Profit and Loss Account, Cash flow statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Corporation as at March 31, 2019, and of its financial performance and its Cash flow statement for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).


Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statement section of our report. We are independent of the entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the aforesaid Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis



Ramesh C Agrawal & Co.

Chartered Accountants



of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the notes to the financial statements.

- (a) Note No. 4 of Schedule-II-regarding lease deed/title deed of 45 land sites valued at Rs.3385.17 lakhs ,yet to be executed.
- (b) Note No. 4(B) of Schedule - XXXII- regarding non recognition of revenue on account of disputed claims of the Corporation to the tune of Rs. 57992.30 lakh due to uncertainty in their ultimate collection.
- (c) Note No.22 of Schedule-XXXII – regarding impact on accounts due to non-confirmation of balances from some of the parties.

For Ramesh C. Agrawal & Co.
Chartered Accountants

FRN 001770C

(Sammy Agrawal)


Partner

M.No. 416438

Place of Signature: New Delhi

Dated August 26th, 2019

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)**



**BALANCE SHEET
AS AT 31ST MARCH, 2019
&
PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019**

GENERAL FUND


62nd ANNUAL REPORT 2018-2019

1

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019
(GENERAL FUND)

CAPITAL & LIABILITIES	As per Schedule	AS AT	AS AT
		31.03.2019	31.03.2018
Share Capital		₹ 68,02,10,000	₹ 68,02,10,000
Reserves			
- Reserve Fund Under Section 30 (1)	IV	19,65,42,38,980	18,56,50,98,108
- Reserve for Bad & Doubtful Debts	V	2,72,07,25,679	2,51,98,61,695
- Other Reserves	VI		
- Capital Reserve			45,954
- Reserve for Benevolent Fund		1,63,60,523	31,87,533
- Reserve for Research & Development Fund		1,63,60,523	2,89,94,266
Reserve fund for Employee Benefits obligation:-	VII		
- Post Retirement Medical Benefit obligation		62,56,69,608	2,09,73,39,182
- Leave Benefit obligation		1,29,10,44,809	1,91,67,14,417
Grant from Govt. of India		10,29,00,000	20,10,02,028
Outstanding Liabilities & Provisions			
- Outstanding Liabilities	VIII	5,30,10,69,458	5,23,68,92,209
- Provision for Pay & Allowances	IX	1,04,53,84,806	1,25,02,29,577
Deferred Tax Liability (Net)		54,72,67,201	31,51,30,595
Provision for Income Tax		16,38,36,157	31,59,53,568
Unclaimed Dividend		4,35,022	55,895
TOTAL		₹ 32,14,91,42,243	₹ 32,62,25,90,182

As per our report of even date attached



Place: New Delhi

Dated: 26 AUG 2019

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

62nd Annual Report 2018-2019


BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019
(GENERAL FUND)

PROPERTY & ASSETS	As per Schedule	AS AT 31.03.2019	AS AT 31.03.2018
Fixed Assets	II	14,88,34,15,732	14,22,92,65,229
Investments (at Cost)	III		
- State warehousing corporations		61,79,38,400	61,79,38,400
- Others		48,88,89,773	48,88,89,773
Income accrued on Investments	X	3,54,32,640	3,57,75,685
Post Retirement Medical Benefit Reserve Fund Investment		62,56,69,608	2,09,73,39,182
Leave Benefit Reserve Fund Investment		1,29,10,44,809	1,40,85,89,572
Current Assets			
- Stores and spares	XI	6,07,38,978	6,04,87,210
- Warehousing & other charges accrued		62,49,55,019	55,23,42,690
- Sundry Debtors	XII		
Considered good		3,09,74,35,888	4,09,30,99,219
Considered doubtful		2,44,77,33,484	2,19,10,14,612
- Loans and Advances	XIII		
Considered good		22,43,51,361	71,14,43,401
- Other Current Assets	XIV		
Considered good		2,13,82,32,508	1,96,49,50,532
Considered doubtful		23,75,59,555	29,31,31,454
Cash and Bank Balances	XV	5,36,49,16,664	3,86,53,29,834
Unamortised Expenditure	XVI	1,08,27,824	1,29,93,389
Significant Accounting Policies	XXXI		
Notes forming part of Accounts	XXXII		
TOTAL		32,14,91,42,243	32,62,25,90,182


Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

For and on behalf of the Board


(S.CHARLES)
Director (Finance)


(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director

**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2019
(GENERAL FUND)**


EXPENDITURE	As per Schedule	Current Year	Previous Year
		(31.03.2019)	(31.03.2018)
Warehousing Licence Fee		70,13,923	73,89,594
Consumption of Chemicals,Covers & Dunnage	XVII	12,51,64,599	12,82,49,528
Pay & Allowances (with provisions)	XVIII	5,14,48,78,932	5,56,21,51,850
Travelling Allowances etc.	XIX	6,40,81,875	5,56,09,296
Establishment (Others)		98,14,94,447	93,41,66,079
Wages		16,41,85,763	14,20,29,333
Repairs & Maintenance	XX	30,06,65,861	39,49,95,249
Rent, Rates & Taxes	XXI	58,01,35,524	68,62,22,398
Insurance		23,67,22,391	23,05,54,577
Printing & Stationery		2,31,04,321	2,06,82,068
Miscellaneous Expenditure	XXII	74,68,86,600	79,28,08,576
Marketing Facilitation Expenses		3,73,19,51,176	4,14,61,63,375
Container Rail Transport (CRT) Operation Expenses		15,65,33,082	46,12,81,419
Bank Charges		7,99,019	5,34,631
Interest (expenses)	XXIII	1,03,70,274	4,39,98,699
CSR & Sustainable Development Expenses		4,02,65,213	5,28,08,980
Directors' Remuneration (Fees, Travelling Allowances,etc.)		15,80,512	15,94,925
Auditors' Fee and Expenses	XXIV	77,97,149	91,14,620
Loss on Sale of Assets/ Assets written off		1,41,98,591	3,19,98,005
Bad Debts Written Off		86,94,323	6,00,864
Depreciation/Amortisation		86,90,08,178	1,33,75,00,488
Reserve for Bad & Doubtful Debts		58,94,62,819	46,11,75,338
Profit for the year		13,80,49,94,572	15,50,16,29,892
TOTAL		2,24,12,39,169	32,77,40,948
		16,04,62,33,741	15,82,93,70,840
Profit for the year		2,24,12,39,169	32,77,40,948
Less : Prior Period Adjustments (Net)	XXV	(1,29,56,035)	5,15,87,895
Profit Before Tax		2,25,41,95,204	27,61,53,053
Less: Tax Expense.	XXVI	61,81,42,927	(4,26,00,224)
PROFIT AFTER TAX CARRIED DOWN		1,63,60,52,277	31,87,53,277
Earning Per Share			
Basic		2,405.22	468.61
Diluted		2,405.22	468.61
As per our report of even date attached			
For Ramesh C Agrawal & Co. Chartered Accountants FRN: 001370C  (Saloni Agrawal) Partner M. No. 416438			
Place :New Delhi			
Dated 26 AUG 2019			
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION		62nd Annual Report 2018-2019	


**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019
(GENERAL FUND)**

INCOME	As per Schedule	Current Year (31.03.2019)	Previous Year (31.03.2018)
Warehousing Charges (Income)	XXVII	9,52,24,55,053	8,40,01,77,136
Marketing Facilitation Income		4,36,84,34,529	4,93,64,03,931
Income from Container Rail Transport (CRT) Operations		16,90,68,136	52,67,78,126
Income from CFSs/ICDs under Strategic Alliance		57,99,97,482	61,24,38,770
Income from Pest Control Services		17,08,01,278	16,23,89,273
Interest (income)	XXVIII	52,92,17,954	62,47,68,281
Dividend Income	XXIX	25,29,42,703	15,97,63,997
Miscellaneous Receipts	XXX	39,81,88,371	38,66,15,624
Excess Liability, Provision and Depreciation Written Back		1,25,52,514	1,94,73,371
Profit on Sale of Assets		4,25,75,721	5,62,331
Significant Accounting Policies	XXXI		
Notes forming part of Accounts	XXXII		
TOTAL		16,04,62,33,741	15,82,93,70,840

Schedules referred to above form integral part of the Accounts

For and on behalf of the Board


(S.CHARLES)
Director (Finance)


(ARUNKUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director.

**PROFIT & LOSS APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019
(GENERAL FUND)**

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	₹	₹
TO		
Appropriation to:		
Reserve Fund Under Section 30(1)	1,06,00,44,757	
Other funds		
i) Reserve for Benevolent Fund	2,00,60,523	31,87,533
ii) Reserve for Post Retirement Medical Benefit Fund (Interest net of income tax liability)	8,98,28,958	9,05,82,451
iii) Reserve for Leave Benefit Fund (Interest net of income tax liability)	6,30,95,685	7,41,96,897
Additional dividend paid for the year 2017-18	10,12,31,292	
Interim Dividend paid for the year	23,79,14,670	21,75,21,984
Taxes on distributed profits	6,38,76,392	3,18,96,765
Balance Carried to Balance Sheet		
TOTAL	1,63,60,52,277	41,73,85,630

As per our report of even date attached

For Ramesh C Agrawal & Co
Chartered Accountants
FRN: 001770C

(Saumy Agrawal)
Partner
M. No. 416438

Place : New Delhi

Dated: 26 AUG 2019

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

62nd Annual Report 2018-2019

**PROFIT & LOSS APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2019
(GENERAL FUND)**

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
BY	₹	₹
Balance as per last Balance Sheet		72,446
Profit after Tax brought down	1,63,60,52,277	31,87,53,277
Transfer from Reserve Fund Under Section 30(1)		9,73,93,673
Transfer from Reserve for Research & Development fund		1,16,234
TOTAL	1,63,60,52,277	41,73,85,630

For and on behalf of the Board

(S.CHARLES)
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

62nd Annual Report 2018-2019

2018-2019

**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS
(GENERAL FUND)**

7
SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND)
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - 'I' :- SHARE CAPITAL

		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
a)	Authorised 1000000 shares of Rs.1000/- each	<u>100,00,00,000</u>	<u>100,00,00,000</u>
b)	Issued 745250 shares of Rs.1000/- each	<u>74,52,50,000</u>	<u>74,52,50,000</u>
c)	Subscribed 745250 shares of Rs.1000/- each	<u>74,52,50,000</u>	<u>74,52,50,000</u>
d)	Called up & Paid up		
i	663950 Shares of Rs.1000/- each, fully called and paid up	66,39,50,000	66,39,50,000
ii	81300 Shares of Rs.1000/- each, Rs.200/- per share called and paid up	1,62,60,000	1,62,60,000
	Total	<u>68,02,10,000</u>	<u>68,02,10,000</u>

Sl. No.	SHAREHOLDERS	NO. OF SHARES	ISSUED AND SUBSCRIBED	CALLED UP AND PAID - UP
1	Central Government	3,74,250	37,42,50,000	37,42,50,000
2	State Bank of India	1,77,140	17,71,40,000	14,79,40,000
3	Other Scheduled Banks	1,40,843	14,08,43,000	10,87,04,600
4	Co-operative Societies	1,045	10,45,000	10,26,600
5	Insurance Companies including Life Insurance Corporation of India	51,454	5,14,54,000	4,77,74,000
6	Recognised Associations dealing in Agricultural Produce	71	71,000	71,000
7	Companies dealing in Agricultural Produce etc.	5	5,000	5,000
	TOTAL	7,44,808	74,48,08,000	67,97,71,200
8	Co-operative Societies (disqualified share holders) pending transfer to the permissible class of shareholders (see Note (i))	442	4,42,000	4,38,800
		7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000
	Previous Year	7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000

Note:

(i) The District Central Co-op. Banks, who do not qualify to be shareholders in terms of Sec. 2(d) of The Warehousing Corporations Act, 1962, have been disqualified to be the shareholders under the permissible class of shareholders. Pending transfer of shares of these disqualified shareholders to the permissible class of shareholders, they are reflected at Sl. No.8 i.e. under Co-operative Societies(disqualified shareholders). Dividend can not be paid for these shares in terms of Rule 26(3) of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963.



SCHEDULE - II : FIXED ASSETS

Sl. No.	Particulars	Gross carrying amount as on 01.04.2018	Additions during the year	Deductions/ Adjustments during the year	Gross carrying amount as on 31.03.2019	
		₹	₹	₹	₹	
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT						
TANGIBLE ASSETS:						
1	Land (Freehold)	68,09,20,234	39,69,94,635	(18,802)	1,07,78,96,067	
2	Land (Leasehold)	2,81,24,30,704	29,84,87,992	9,45,840	3,11,18,64,536	
3(a)	Roof (Pre-coated galvalume steel sheet)	17,44,11,119	15,82,19,116	(60,224)	33,25,70,011	
3(b)	Floor (Cement Concrete)	4,60,89,251	3,57,07,310	-	8,17,96,561	
3(c)	Road (Cement Concrete)	20,39,35,027	15,00,89,669	-	35,40,24,696	
3(d)	Warehouses & Godowns and ancillaries	12,12,60,55,764	39,80,83,854	(8,89,20,984)	12,43,52,18,634	
4	Container Yards	1,06,26,04,243	32,058	(1)	1,06,26,36,300	
5	Electric Installations	56,25,43,780	3,02,45,089	(3,65,537)	59,24,23,332	
6	Water Installations	4,23,44,927	4,80,762	(53,340)	4,27,72,349	
7	Plant & Machinery	11,79,290	-	-	11,79,290	
8	Office Buildings	25,60,35,990	46,608	-	25,60,82,598	
9	Residential Flats	18,79,91,211	-	-	18,79,91,211	
10	Furniture	19,29,23,397	66,05,104	(11,87,990)	19,83,40,511	
11	Office Equipments	5,04,22,790	2,83,43,879	9,57,316	7,97,23,985	
12	Mobile Phones	45,88,248	73,12,567	(4,99,623)	1,14,01,192	
13	Vehicles	1,90,78,421	17,55,326	(11,69,972)	1,96,63,775	
14	Laboratory Equipments	1,74,40,914	20,32,998	(2,90,102)	1,91,83,810	
15	Disinfestation Equipments	3,17,40,492	31,95,651	(9,53,867)	3,39,82,276	
16	Construction Equipments	6,74,195	25,193	-	6,99,388	
17	Other Equipments	52,26,99,291	11,83,51,483	(1,11,29,421)	62,99,21,353	
18	Wooden Crates	3,22,34,069	-	47,82,143	3,70,16,212	
19	Racks	1,56,50,702	1,51,042	5	1,58,01,749	
20	Tin Trays	2,23,032	-	-	2,23,032	
21	Railway Sidings	4,29,70,865	-	-	4,29,70,865	
22	Computers & Laptops	14,80,84,367	3,89,64,791	(53,38,378)	18,17,10,780	
23	H.B.L.Sheet	6,94,77,957	-	(1,23,30,856)	5,71,47,101	
24	P.C.C. Blocks	14,61,360	-	-	14,61,360	
25	Poly Pallets	2,38,32,541	-	(2,11,310)	2,34,21,231	
26	Convertible Plinths	1,11,30,131	-	-	1,11,30,131	
27	Non Convertible Plinths	2,30,52,942	-	(7,71,682)	2,22,81,260	
		19,36,40,27,254	1,67,51,25,127	(11,66,16,785)	20,92,25,35,596	
28	Work-in-Progress	32,09,66,756	52,17,44,798	(59,74,03,082)	24,53,08,472	
29	Equipment in Hand	1,44,41,893	1,20,42,883	(1,17,58,161)	1,47,26,615	
	SUB Total	19,69,94,35,903	2,20,89,12,808	(72,57,78,028)	21,18,25,70,683	
INTANGIBLE ASSETS:						
30	Reg. fee for running container trains	50,00,00,000	-	-	50,00,00,000	
31	Right to use of Land	15,54,750	-	-	15,54,750	
32	Software	2,11,52,223	43,66,810	(8,60,148)	2,46,58,885	
33	Licence for Private Freight Terminal	1,05,65,278	-	-	1,05,65,278	
	SUB Total	53,32,72,251	43,66,810	(8,60,148)	53,67,78,913	
	TOTAL	20,23,27,08,154	2,21,32,79,618	(72,66,38,176)	21,71,93,49,596	
	Previous Year	18,63,90,81,724	2,09,92,50,283	(50,56,23,853)	20,23,27,08,154	

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

62nd Annual Report 2018-2019

-155-

SCHEDULE - II : FIXED ASSETS

Particulars	DEPRECIATION / IMPAIRMENT / AMORTISATION				CARRYING AMOUNT/W.D.V	
	Upto 01.04.2018	For the year	Written Back/ Adjusted	Upto 31.3.2019 during the year	As on 31.3.2019	As on 31.03.2018
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT	₹	₹	₹	₹	₹	₹
TANGIBLE ASSETS:						
Land (Freehold)	-	-	-	-	1,07,78,96,067	88,09,20,234
Land (Leasehold)	71,04,61,187	12,02,42,951	10,74,148	83,17,78,286	2,28,00,86,250	2,10,19,69,517
Roof (Pre-coated galvalume steel sheet)	24,00,294	94,02,322	86,681	1,18,89,297	32,06,80,714	17,20,10,625
Floor (Cement Concrete)	8,95,983	26,17,560	(57,370)	34,56,173	7,83,40,388	4,51,93,268
Road (Cement Concrete)	26,46,141	1,03,31,882	1	1,29,78,024	34,10,46,672	20,12,88,886
Warehouses & Godowns and ancillaries	3,10,24,33,034	51,98,58,295	(1,65,12,552)	3,60,57,78,777	8,82,94,39,857	9,02,36,22,730
Container Yards	38,66,20,225	4,68,12,134	-	43,34,32,359	62,92,03,941	67,59,84,018
Electric Installations	43,32,72,491	4,75,98,305	(3,47,260)	48,05,23,536	11,18,99,796	12,92,71,289
Water Installations	3,83,49,218	12,60,013	(47,876)	3,95,61,555	32,10,794	39,95,709
Plant & Machinery	11,20,483			11,20,463	58,827	58,827
Office Buildings	4,50,47,548	40,22,595		4,90,70,143	20,70,12,455	21,09,88,442
Residential Flats	6,49,27,955	29,52,949	(1)	6,78,80,903	12,01,10,308	12,30,63,256
Furniture	16,19,42,014	88,23,848	(12,11,201)	16,95,54,661	2,87,85,850	3,09,81,383
Office Equipments	3,65,07,787	1,01,95,017	8,63,070	4,75,65,874	3,21,58,111	1,39,15,003
Mobile Phones	24,71,607	40,42,336	(3,53,966)	61,59,977	52,41,215	21,16,841
Vehicles	1,56,66,413	7,27,761	(10,10,226)	1,53,83,948	42,79,827	34,12,008
Laboratory Equipments	1,42,76,258	15,33,689	(2,70,066)	1,55,39,881	36,43,929	31,64,656
Disinfestation Equipments	2,85,77,070	14,95,985	(8,56,611)	2,92,16,444	47,65,832	31,63,422
Construction Equipments	5,63,132	40,808		6,03,940	95,448	1,11,063
Other Equipments	33,47,67,820	3,02,83,616	(1,01,40,632)	35,49,10,804	27,50,10,549	18,79,31,471
Wooden Crates	3,19,17,670	6,580	47,82,494	3,67,06,744	3,09,468	3,16,399
Racks	1,37,19,736	3,73,356	(20)	1,40,93,072	17,08,677	19,30,966
Tin Trays	2,15,008	-	-	2,15,008	8,024	8,024
Railway Sidings	1,82,62,877	17,40,410	1	2,00,03,288	2,29,67,577	2,47,07,988
Computers & Laptops	12,21,07,936	2,04,37,705	(46,95,089)	13,78,50,552	4,38,60,228	2,59,76,431
H.B.L.Sheet	6,40,61,015	18,34,715	(1,18,97,349)	5,39,98,381	31,48,720	54,16,942
P.C.C. Blocks	13,13,910	-	-	13,13,910	1,47,450	1,47,450
Poly Pallets	2,02,03,394	5,31,174	(2,11,084)	2,05,23,484	28,97,747	34,29,147
Convertible Plinths	34,52,478	5,03,071	(1)	39,55,548	71,74,583	76,77,653
Non Convertible Plinths	2,18,85,183	-	(7,17,966)	2,11,67,197	11,14,063	11,67,779
	5,68,00,85,827	84,76,69,077	(4,15,22,675)	6,48,62,32,229	14,43,63,03,387	13,68,39,41,427
Work-in-Progress	4,00,988	-	(4,00,988)	-	24,53,08,472	32,05,65,788
Equipment in Hand	7,43,135	-	-	7,43,135	1,39,83,480	1,36,98,758
SUB Total	5,68,12,29,930	84,76,69,077	(4,19,23,643)	6,48,69,75,364	14,69,55,95,319	14,01,82,05,973
INTANGIBLE ASSETS:						
Reg. fee for running container trains	30,00,00,000	2,50,00,000	-	32,50,00,000	17,50,00,000	20,00,00,000
Right to use of Land	14,33,295	-	(1)	14,33,294	1,21,456	1,21,455
Software	1,97,23,172	15,49,125	(8,60,147)	2,04,12,150	42,48,735	14,29,051
Licence for Private Freight Terminal	10,56,528	10,56,528	-	21,13,056	84,52,222	95,08,750
SUB Total	32,22,12,995	2,76,05,653	(8,60,148)	34,89,58,500	18,78,20,413	21,10,59,256
TOTAL	6,00,34,42,925	87,52,74,730	(4,27,83,791)	6,83,59,33,864	14,88,34,15,732	14,22,92,65,229
Previous Year	4,79,72,32,271	1,34,31,32,848	(13,69,22,194)	6,00,34,42,925	14,22,92,65,229	13,84,18,49,453

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION


62nd Annual Report 2018-2019

-156-

NOTES TO SCHEDULE-II (FIXED ASSETS)

- 1) The ancillaries of Warehouses and Godowns consist of all ancillary civil Works within the Warehouse Complex like bituminous road, office block, labour shed, fencing, boundary wall, weighment cabin, lavatory block, sentry box, rain water harvesting, wire mesh steel doors.
- 2) a) The useful life of Road (cement concrete), Roof (pre-coated Galvalume steel sheet) and Floor (Cement Concrete) is independent of the useful life of warehouse and godowns and same are capitalized and depreciated separately. The warehouse & godowns on completion of their useful life are repaired or replaced as the situation may warrant. All additions to the warehouse & godowns and its ancillaries are depreciated based on their useful life i.e. 30 years.

b) As and when the new Road (cement concrete), Roof (pre-coated Galvalume steel sheet) and Floor (Cement Concrete) is constructed, the written down value of old bituminous road, AC Roof and floor is derecognised from the books. The WDV of assets de-recognised in 2018-19 is ₹ 108.06 lakh. For the purpose of de-recognition of old road, roof and floor, the cost is taken as 11.06%, 5%, 5.06% of the total cost of warehouse and godown respectively.
- 3) During the year 2018-19, capital expenditure of ₹ 1102.97 lakh was incurred on setting up warehousing facilities at CW Kakkancherry, CW Kannur and CW Adilabad for storage of Agricultural Produce for which deduction is allowed u/s 35AD of Income Tax Act, 1961. Same has been capitalised under Warehouse and Godowns.
- 4) Land (Freehold and Leasehold): Number of sites in possession of the Corporation are 415. The lease deeds/title deeds in respect of 45 land sites (ROs - Ahmedabad-5, Bangalore-2, Bhubaneswar-13, Bhopal-3, Chandigarh-3, Kolkata-2, Delhi-2, Guwahati-1, Hyderabad-1, Lucknow-3, Mumbai-2, Patna-8) valued at ₹ 3385.17 lakh are yet to be executed. The liability for stamp duty on such lands has been provided as per Accounting Policy No.11.
- 5) In respect of 19 Leasehold lands in possession of the Corporation, the lease period has expired. The renewal of lease for these lands is in progress. In view of non availability of renewal premium payable, the liability for lease rent has been accounted for on the basis of the information available.
- 6) The forest lands at Khabli and Shimla were allotted to the Corporation on right to use basis for construction of warehouses for PDS activity. The ownership of these lands is with the Forest Department and possession is with the Corporation. The cost of these lands are shown as intangible asset as Right to Use of Land.
- 7) Department of Agriculture, Govt. of Bihar allotted lands at Munger, Khagaria and Bettiah on right to use basis to create and hold the storage infrastructure for foodgrains. The ownership of these lands is with the Department of Agriculture, Govt. of Bihar and possession is with the Corporation. Since these lands are allotted free of cost they are not shown as Intangible Assets.
- 8) The title of the land of CW Madhepura in Patna Region is with a private party, but the possession of the same is with the corporation.
- 9) The corporation purchased 86 flats at Bokadvira, Navi Mumbai in the year 1998-99 whose cost is ₹ 933.02 lakh. These flats are not occupied as on date and Corporation is incurring expenses on the rates & taxes, maintenance and security, they will be disposed off at appropriate time. The expected sale value being more than the cost of purchase, there is no impairment in the value of the flats.
- 10) The land at Land Custom Station(LCS) - Petrapole (West Bengal) and the immovable assets developed thereon was transferred to Land Port Authority of India (LPAI) on 31st Jan, 2016. As per Memorandum of Agreement signed with LPAI on 15.06.2016, the land was transferred by the corporation to LPAI at the book value and the assets developed thereon were transferred based on valuation to be done as per GFR Rules. These assets have been removed from the books of the accounts. The book value of land of Rs. 108.50 lakh has been received from LPAI. LPAI referred to CPWD to value the immovable assets on said Land which were valued at Rs 1026.87 lakh as per valuation report dated 08.12.2017. The report has not been accepted by the corporation as some items are left out. Pending receipt of revised valuation report, WDV of these assets is being shown as recoverable from LPAI. After receipt of the revised valuation report from CPWD, necessary adjustments shall be made in the books of accounts.
- 11) For Lease hold Land at CW, Mundra in possession of corporation, lessor has disputed the use of the land for general warehousing. CWC has filed a petition in Hon'ble High Court of Gujarat and matter is subjudice.
- 12) The allotment of leasehold land of 3.71 acre at Thalassery valuing ₹ 80.84 lakh is in dispute since M/s KINFRA has terminated the allotment of land. The amount of ₹ 50.55 lakh refunded by M/s KINFRA has not been accepted by corporation and has been returned. The matter is in the High Court of Kerala.
- 13) Depreciation amount of ₹ 8752.75 lakh (previous year ₹ 13431.33 lakh) includes prior period depreciation of ₹ 62.67 lakh (net Debit.) (previous year ₹ 56.32 lakh (net Debit.)).




SCHEDULE (III) INVESTMENTS (AT COST)

(A) Long Term Investment in State Warehousing Corporations (Associates) (Investment made u/s 19(2) of the Warehousing Corporations Act, Sl. 1962)(unquoted) Sl. No.	No. of Equity Shares (Unquoted) (Face Value ₹ 100)		Amount (₹)	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1 Andhra Pradesh State Warehousing Corporation	2,61,502	2,61,502	2,61,50,200	2,61,50,200
2 Assam State Warehousing Corporation	5,47,000	5,47,000	5,47,00,000	5,47,00,000
3 Bihar State Warehousing Corporation	3,20,994	3,20,994	3,20,99,400	3,20,99,400
4 Chattisgarh State Warehousing Corporation	2,01,920	2,01,920	2,01,92,000	2,01,92,000
5 Gujarat State Warehousing Corporation	2,00,000	2,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
6 Haryana State Warehousing Corporation	2,92,037	2,92,037	2,92,03,700	2,92,03,700
7 Karnataka State Warehousing Corporation	3,90,000	3,90,000	3,90,00,000	3,90,00,000
8 Kerala State Warehousing Corporation	5,75,000	5,75,000	5,75,00,000	5,75,00,000
9 Madhya Pradesh Warehousing and Logistic Corporation #	3,78,080	3,78,080	3,78,08,000	3,78,08,000
10 Maharashtra State Warehousing Corporation (Includes 24240 Bonus Shares)	4,35,560	4,35,560	4,11,32,000	4,11,32,000
11 Meghalaya State Warehousing Corporation	1,22,562	1,22,562	1,22,56,200	1,22,56,200
12 Orissa State Warehousing Corporation	1,80,000	1,80,000	1,80,00,000	1,80,00,000
13 Punjab State Warehousing Corporation	4,00,000	4,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
14 Rajasthan State Warehousing Corporation	3,92,630	3,92,630	3,92,63,000	3,92,63,000
15 Tamil Nadu State Warehousing Corporation	3,80,500	3,80,500	3,80,50,000	3,80,50,000
16 Telangana State Warehousing Corporation	1,86,889	1,86,889	1,86,88,900	1,86,88,900
17 Uttar Pradesh State Warehousing Corporation	5,39,770	5,39,770	5,39,77,000	5,39,77,000
18 Uttarakhand State Warehousing Corporation	18,480	18,480	18,48,000	18,48,000
19 West Bengal State Warehousing Corporation	3,80,700	3,80,700	3,80,70,000	3,80,70,000
TOTAL (A)		62,03,624	62,03,624	61,79,38,400
(B) Other Investments				61,79,38,400
1 Investment in Subsidiary (Long Term)(Unquoted)				
Central Railside Warehouse Company Ltd., (Subsidiary) 4,05,59,990 shares having face value of ₹ 10 each			40,55,99,900	40,55,99,900
2 Others (Long Term/Current) #				
a National Multi-Commodity Exchange of India Ltd., (Associate) (unquoted) 56,78,347 shares each having face value of ₹ 10/- (includes 13,00,000 shares purchased at premium of ₹ 5 per share and 17,78,347 shares purchased at premium of ₹ 11.25 per share)				8,32,69,873
b Indian Commodity Exchange Limited (ICEX) Unquoted 58,963,956 shares each having face value of Rs.5/- each allowed in lieu share in NMCE since NMCE is merged with ICEX)				
Long Term investment (5% shareholders in ICEX i.e. 2,66,75,373 no. of shares of face value of Rs. 5 each)			3,76,80,451	
Current investment (6.05% shareholders in ICEX i.e. 3,22,88,583 no of shares of face value of Rs. 5 each)			4,55,09,422	
GRAND TOTAL (A) + (B)				1,10,68,28,173

Note:-

- \$ Corporation had invested ₹ 480 lakh in Madhya Pradesh State Warehousing Corporation (MPSWC) which was bifurcated into Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation (MPWLC) and Chattisgarh State Warehousing Corporation (CSWC). Further equity of ₹ 50 lakh each was given to these two SWCs. The contribution to the equity share capital made prior to the bifurcation is being treated by MPWLC as loan upto 2011-12 and as capital w.e.f. 2012-13, but this has not been agreed by the Corporation as the equity cannot be converted into loan. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution issued a notification dated 16.11.2012 for apportionment of paid up share capital of MPSWC to MPWLC (68.35%) and CSWC (31.65%); and for paying dividend @20% of the equity and also reconfirmed the same vide letter no. 7-01/2013-SG dated 06.03.2014. A committee has been constituted for resolution of the issue.
- The investments held in the State Warehousing Corporations are not transferable without prior approval of the Govt. of India.
- # Corporation had investment of ₹ 832.90 lakh in the equities of National Multi Commodity Exchange of India Ltd.(NMCE). Since National Multi Commodity Exchange of India Ltd. (NMCE) has been merged with Indian Commodity Exchange Ltd. (ICEX) on 07.09.2018, ICEX has allotted to the Corporation 5,89,63,956 no equity shares of Rs. 5/- each in exchange of shares in NMCE. Corporation holds 11.05% share in the equity of ICEX. As per Regulation 17 of SECC Regulations, 2018, no person can acquire or hold more than 5% of the paid up equity share capital in a recognized Stock Exchange. As per SEBI's circular 26th November, 2015, Corporation has taken steps to off-load its equity in ICEX so as to bring it within the prescribed limit. The compliance to this Regulation was to be made by 5th May, 2019. Pending off-loading of the excess equity held by the Corporation in ICEX, SEBI has put restrictions on the voting rights and the payment of dividend on the shares held by the Corporation above the prescribed limit till reduction of shares to the prescribed limit of 5% for a period of nine months from 5th May, 2019 i.e. up to 4th Feb, 2020.



SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

12

Amount in ₹

Sl. No	Head of Account	Current Year	Previous Year
SCHEDULE IV Reserve Fund Under Section 30(1)			
	As per last Balance Sheet	18,56,50,98,108	
	Add: Unclaimed Dividend (more than 7 years old)	55,895	
	Add: Transfer from Capital Reserve	45,954	
	Add: Transfer from Research and Development fund	2,89,94,266	
	Add: Transfer from P & L Appropriation Account	1,06,00,44,757	19,65,42,38,980
			18,56,50,98,108
SCHEDULE V Reserve or Bad Debts Doubtful Debts			
	As per last Balance Sheet	2,51,98,61,695	
	Add: Additional provision made	58,94,62,819	
	Less: Bad Debts written off against reserves	38,85,98,835	2,72,07,25,679
			2,51,98,61,695
SCHEDULE VI Other Reserves			
1	Capital Reserve		
	As per last Balance Sheet	45,954	
	Less: Transfer to Reserve Fund Under Section 30 (1)	45,954	45,954
2	Reserve for Benevolent Fund		
	As per last Balance Sheet	31,87,533	
	Add: Transfer from P & L appropriation Account	2,00,60,523	
	Less: Payment to Benevolent Fund Trust	68,87,533	1,63,60,523
3	Reserve for Research & Development Fund		
	As per last Balance Sheet	2,89,94,266	
	Less: Transfer to Reserve Fund Under Section 30 (1)	2,89,94,266	2,89,94,266
SCHEDULE VII Reserve fund for Employee Benefits			
1	Post Retirement Medical Benefit Fund		
	As per last Balance Sheet	2,09,73,39,182	
	Add: Interest on earmarked investment	8,98,28,958	
	Add: Reserve created during the year	7,38,04,699	
	Add: Contribution received from ex-employees	24,87,332	
	Less: Payment made during the year (Includes payment made to PRMB trust of ₹15000 lakh)	1,63,77,90,563	62,56,69,608
			2,09,73,39,182
2	Leave Benefit Fund		
	As per last Balance Sheet	1,40,85,89,572	
	Add: Interest on earmarked investment	6,30,95,685	
	Add: Reserve created during the year	19,30,16,394	
	Less: Payment made during the year	37,36,56,842	1,29,10,44,809
			1,40,85,89,572
SCHEDULE VIII Outstanding Liabilities			
1	Sundry Creditors (Including M.F and Projects)	1,78,09,90,593	2,25,62,64,660
2	Other Liabilities	1,49,29,63,655	1,22,86,00,878
3	Deposit Refundable	26,32,98,492	26,50,94,575
4	Liability for Expenses	1,14,01,86,979	86,22,39,330
5	Provision for Expenses	49,76,32,748	34,68,99,860
6	Deposit Work (Others)	1,68,76,340	56,11,554
7	Liability for Stamp Duty	7,87,94,470	6,30,73,795
8	Liability for Pay Revision		20,91,07,557
9	Liability for Special Voluntary Retirement Scheme	3,03,26,181	
	TOTAL	5,30,10,69,458	5,23,68,92,209

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

62nd Annual Report 2018-2019

-159-

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

13

Amount in ₹

Sl. No	Head of Account		Current Year	Previous Year
SCHEDULE IX: Provision for Pay & Allowances				
1	Productivity Linked Incentive			
	As per last Balance Sheet	1,45,00,000		
	Add: Provision made during the year	1,24,98,839		
	Less: Payment made during the year	1,09,98,839	1,60,00,000	1,45,00,000
2	Performance Related Pay			
	As per last Balance Sheet			
	Add: Provision made during the year	8,48,30,006	8,48,30,006	
3	Gratuity			
	As per last Balance Sheet	86,05,69,067		
	Add: Provision made during the year	6,40,71,566		
	Less: Payment made to Employees Gratuity Trust	86,06,00,000	6,40,40,633	86,05,69,067
4	LTC			
	As per last Balance Sheet	2,58,41,545		
	Add: Provision made during the year	1,59,81,857		
	Less: Payment made during the year	1,21,10,702	2,97,12,700	2,58,41,545
5	Pay Revision Provision			
	As per last Balance Sheet	34,93,18,965		
	Add: Provision made during the year	50,14,82,502		
	Less: Payment made during the year		85,08,01,467	34,93,18,965
	TOTAL		1,04,53,84,806	1,25,02,29,577
SCHEDULE X: Income Accrued on Investments				
	Considered Good			
1	From Investment in SWCs			
	Considered Good			60,056
	Considered Doubtful	3,54,32,640	3,54,32,640	3,57,15,629
	TOTAL		3,54,32,640	3,57,75,685
SCHEDULE XI: Stores & spares				
1	Stores and spares (As certified by the Management)			
	Chemicals & Fumigants (at lower of weighted average cost and net realisable value)	4,02,10,279		3,84,75,254
	Other Stores in hand (at lower of cost price (FIFO) and net realisable value)	1,93,94,569		2,13,71,531
	Goods in Transit	11,34,130	6,07,38,978	6,40,425
	TOTAL		6,07,38,978	6,04,87,210
SCHEDULE XII: Sundry Debtors				
1	Sundry Debtors (Warehousing Charges)			
	Considered good	2,58,62,15,786		3,45,23,24,308
	Considered doubtful	2,29,82,67,262	4,88,44,83,048	2,02,67,74,536
2	Sundry Debtors (Marketing Facilitation Charges & Others)			
	Considered good	51,12,20,102		64,07,74,911
	Considered doubtful	14,94,66,222	66,06,86,324	16,42,40,076
	TOTAL		5,54,51,69,372	6,28,41,13,831

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

82nd Annual Report 2018-2019

- 160 -

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

14

Amount in ₹

Sl. No	Head of Account		Current Year	Previous Year
SCHEDULE XIII: Loans and Advances				
1	Loan(secured) to Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC)			
	Considered good		11,38,69,880	24,16,96,388
2	Other Advances Recoverable in cash or kind or for value to be received			
	Considered good			
a)	Advances to staff	1,14,25,042		1,08,68,008
b)	Capital advance	49,10,781		9,38,18,693
c)	Other Advances	9,41,45,658	11,04,81,481	36,50,60,312
	TOTAL		22,43,51,361	71,14,43,401
SCHEDULE XIV: Other Current Assets				
1	Interest Accrued on Deposits and others (including saving bank accounts)		27,38,83,720	29,83,82,260
2	Due from Central Railside Warehouse Company Ltd. (Subsidiary)		9,492	9,492
3	Income tax Deducted at Source			
	Considered good	96,34,34,041		34,73,68,311
	Considered doubtful	2,07,56,408	98,41,90,449	2,59,06,424
4	Recoverable from Income Tax		12,81,80,842	38,23,07,685
5	Other Recoverables { includes security deposit of ₹44.07 lakh (Previous years ₹ 14.14) paid to various parties in the form of FDRs}			
	Considered good	77,27,24,413		93,68,82,784
	Considered doubtful	21,68,03,147	98,95,27,560	26,72,25,030
	TOTAL		2,37,57,92,063	2,25,80,81,986
SCHEDULE XV: Cash and Bank Balances				
1	Cash in Hand			
	(i) Cash in Hand/Imprest/Stamps in hand	84,33,223		34,01,520
	(ii) Temporary Advances	17,15,169	1,01,48,392	12,61,194
2	Balance in the Banks			
<u>State Bank of India & its Subsidiaries:</u>				
	(i) In Savings/Flexi/Current Accounts [includes nil (previous year ₹ 6.18 lakh) pledged against Bank Guarantee]	13,27,66,045		26,05,17,127
	(ii) In Deposit Accounts [includes ₹135.79 lakhs (previous year ₹ 80 lakhs) pledged against Bank Guarantee]	1,35,79,466		16,74,45,316
<u>Other scheduled Banks:</u>				
	(i) In Savings/Flexi/Current Accounts [includes nil (previous year ₹10 lakh) pledged against Bank Guarantee]	51,97,25,071		89,22,00,133
	(ii) In Deposit Accounts [includes ₹255.58 lakh (Previous Year ₹32.29 lakh) pledged against Bank Guarantees]	4,62,99,22,268	5,29,59,92,850	2,47,28,08,995
3	FDRs in hand (Contractors' Securities received in the form of FDRs in favour of the Corporation)	4,31,89,991		6,34,00,723
4	Bank Drafts and Cheques in hand	1,49,41,821		39,83,360
5	Remittance/Bank Drafts/Cheques in Transit	6,43,610	5,87,75,422	3,11,466
	TOTAL		5,36,49,16,664	3,86,53,29,834

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

15

Sl. No.	Head of Account		Current Year	Amount in ₹	Previous Year
SCHEDULE-XVI: Undisbursed Expenditure					
1	Past Period cost of Post Retirement Medical Benefit (PRMB)				
	Balance as per last Balance Sheet		1,29,93,389		1,51,58,954
	Less: Amortised during the year		21,65,565	1,08,27,824	21,65,565
	TOTAL			1,08,27,824	1,29,93,389
SCHEDULE-XVII: Consumption of Chemicals, Covers & Dunnage					
1	Chemicals			9,18,23,494	8,58,69,955
2	Polythene Covers			1,43,02,535	2,14,44,063
3	Dunnage			1,90,38,570	2,09,35,510
	TOTAL			12,51,64,599	12,82,49,528
SCHEDULE-XVIII: Pay and Allowances (with Provisions)					
1	Chairman				
2	Managing Director		38,37,901		23,10,974
3	Functional Directors		94,72,795		57,42,424
4	Officers & other Employees		3,48,35,10,764		3,28,97,06,344
5	Contribution to Provident Fund		29,93,64,008		29,43,24,591
6	Contribution to Pension Fund		19,59,11,511		22,32,20,027
7	Contribution to Post Retirement Medical Benefit Fund		7,28,31,304		9,82,96,055
8	Amortization of Expenses (PRMB Benefit)		21,65,565		21,65,565
9	Death Compensation		1,82,18,513		1,77,75,000
	Provisions:				
10	Gratuity ((excluding ₹ 4.36 lakh (previous year ₹ 41.56 lakh) capitalised))		6,36,35,215		1,13,54,95,902
11	Performance Related Pay/Productivity Linked Incentive ((excluding ₹ 0.13 lakh (previous year ₹ 0.95 lakh) capitalised))		9,73,16,213		1,38,09,297
12	Leave Benefits ((excluding ₹ 40.61 lakh (previous year ₹ 71.99 lakh) capitalised))		18,89,54,933		1,89,23,793
13	LTC (excluding ₹ 2.20 lakh (previous year ₹ 5.19 lakh) capitalised)		1,57,61,381		1,70,51,922
14	Pay Revision Provision		52,53,54,217		44,53,29,956
15	Compensation for Special Voluntary Retirement Scheme (SVRS)		16,85,44,612		
	TOTAL		5,14,48,78,932	5,56,21,51,850	
SCHEDULE-XIX: Travelling Allowances etc.					
1	Chairman				
2	Managing Director		3,48,252		3,43,734
3	Functional Directors		7,87,711		7,89,318
4	Officers & other Employees		6,29,45,912		5,44,76,246
	TOTAL		6,40,81,875	5,56,09,296	
SCHEDULE-XX: Repairs & Maintenance					
1	Buildings			22,57,71,582	33,73,77,313
2	Equipments			7,48,94,279	5,76,17,936
	TOTAL			30,06,65,861	39,49,95,249

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

- 162 -

62nd Annual Report 2018-2019

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

16



Amount in ₹

Sl. No	Head of Account	Current Year	Previous Year
--------	-----------------	--------------	---------------

SCHEDULE XXI (X) Current Rates & Taxes

1 Rent of Office	48,68,347	3,51,43,169
2 Rent of Godowns	20,36,82,045	18,33,43,037
3 Rent of Leases	19,55,59,538	30,78,31,820
4 Rates & Taxes	17,60,25,594	15,99,04,372
TOTAL	58,01,35,524	68,62,22,398

SCHEDULE XXII (X) Miscellaneous Expenditure

1 Estt. Custom Staff	5,91,95,909	5,48,63,768
2 Staff Training Expenses	1,03,44,824	1,04,87,312
3 Publicity & Propaganda	21,17,636	28,31,541
4 Royalty	2,02,98,910	43,60,596
5 Seminars & Conferences	21,64,687	27,13,812
6 Business Promotion Expenses	16,20,793	19,90,904
7 Weighment Charges	89,29,275	93,48,034
8 Cash Incentive to Bulk Depositors	14,51,598	40,74,972
9 Cash Discount on M.F.Charges	-	23,137
10 Engineering Consultancy Services Expenses	10,53,153	1,02,57,897
11 Advertisement Expenses	2,36,17,765	1,97,88,991
12 Conveyance Charges	3,92,20,959	3,95,34,146
13 Compensation To Depositors	87,00,623	58,23,227
14 Computerisation Charges	1,30,03,923	95,19,547
15 Work In Progress Written Off.	-	13,94,567
16 Entertainment	1,28,35,278	88,13,166
17 Freight & Octroi	41,17,478	40,42,259
18 Guest House Expenses	10,36,994	15,36,719
19 Internal Handling	4,47,662	9,95,799
20 Legal Expenses	2,56,92,551	3,39,16,056
21 Newspapers, Books & Periodicals	13,45,026	14,22,324
22 Postage/ Telegram & Telex	59,98,328	60,30,686
23 Difference In Paisa Rounding Off	(34,125)	(13,204)
24 Research & Development Expenses	4,56,000	27,60,000
25 Subscription & Member Fees	12,84,883	11,98,187
26 Staff Car Exp.- Petrol	21,94,240	22,96,958
27 Staff Car Exp.- Maintenance	12,82,348	10,10,364
28 Telephone Expenses	1,71,97,249	1,74,44,350
29 Water & Elec.Charges	13,22,15,804	12,55,92,386
30 Professional Charges	3,10,58,478	3,74,81,096
31 FESS Expenses	8,85,537	4,53,321
32 Other Expenses - Pest Control services	4,42,41,237	4,90,70,465
33 Office Expense	65,91,666	53,57,101
34 ISO Expenses	4,97,248	67,587
35 Un-Utilised GST/Service Tax Input Credit	22,29,10,951	28,04,17,793
36 Insurance Compensation Loss	14,45,242	-
37 Other Miscellaneous Expenses.	4,14,66,470	3,59,02,712
TOTAL	74,68,86,600	79,28,08,576



SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019


17

Sl. No	Head of Account	Amount in ₹	
		Current Year	Previous Year
SCHEDULE XXIII: Interest (Expenses)			
1	Government		
2	Banks		
3	Others		
	TOTAL	1,03,70,274	4,39,98,699
		1,03,70,274	4,39,98,699
SCHEDULE XXIV: Auditors' Fee and Expenses			
1	Audit fee (including ₹ 32.99 Lakh (previous year ₹ 38.86 lakh) for Branch Auditors)	53,46,000	60,01,695
2	Travelling Expenses	11,11,149	15,55,510
3	Tax Audit Fee (including ₹ 5.50 Lakh (previous year ₹ 6.55 lakh) for Branch Auditors)	11,28,000	13,45,415
4	For other Services	2,12,000	2,12,000
	TOTAL	77,97,149	91,14,620
SCHEDULE XXV: Prior Period adjustments (Net)			
1	Income	(21,89,015)	1,84,34,970
2	Expenses	(1,07,67,020)	3,31,52,925
	TOTAL	(1,29,56,035)	5,15,87,895
SCHEDULE XXVI: Tax Expenses			
1	Current Tax	41,07,36,829	65,60,35,844
2	Deferred Tax	23,21,36,606	(56,11,14,622)
3	Tax adjustment of earlier years	(2,47,30,508)	(13,75,21,446)
	TOTAL	61,81,42,927	(4,26,00,224)
SCHEDULE XXVII: Warehousing Charges (Income)			
1	Warehousing Charges	9,69,09,08,542	8,56,88,44,660
	Less: Discount to Co-operative Societies & others	16,84,53,489	16,86,67,524
	TOTAL	9,52,24,55,053	8,40,01,77,136
SCHEDULE XXVIII: Interest Income			
1	From Deposits/Saving Bank A/c	49,31,91,437	44,52,11,321
2	From Loans and Advances to :		
	Staff	(14,33,790)	28,71,368
	Others (Includes interest on Income Tax Refunds of ₹ 157.81 lakh for AY 1997-98, AY 1998-99, AY 2004-05, and AY 2005-06)	3,74,60,307	3,60,26,517
	TOTAL	52,92,17,954	62,47,68,281
SCHEDULE XXIX: Dividends Income			
1	From investment in Associates (SWCs)	18,39,90,703	9,89,23,997
2	From investment in subsidiary (CRWC)	6,89,52,000	6,08,40,000
	TOTAL	25,29,42,703	15,97,63,997
SCHEDULE XXX: Miscellaneous Receipts			
1	Operating:		
	From Engineering Consultancy Services	11,40,721	42,21,496
	Other operating Misc. Receipts	38,31,60,943	37,85,08,878
		38,43,01,664	38,27,30,374
2	Non-operating:		
	Difference in Foreign Exchange (Net Gain)	8,32,395	33,386
	Other non-operating Misc. Receipts	1,30,54,312	38,51,864
		1,38,86,707	38,85,250
	TOTAL	39,81,88,371	38,66,15,624

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

-164-

62nd Annual Report 2018-2019



2018-2019

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

Jay

SCHEDULE XXXI - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Accounting

- (1) The Financial Statements of the Corporation have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP) and comply with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India, to the extent applicable.

Use of Estimates

- (2) The preparation of the financial statements in conformity with the Indian GAAP requires that the management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements, and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Inventories



- (3) Chemicals and construction materials are valued at lower of yearly weighted average cost and net realizable value. Cost of purchase includes duties, taxes, freight and other expenses net of trade discount, rebates & other similar items.
- (4) Stores in hand i.e. Printing & Stationery, Liveries, Polythene Covers and Dunnage etc. are valued at lower of cost on first in first out basis and net realizable value.
- (5) Unserviceable/obsolete construction materials are valued at lower of yearly weighted average cost and net realizable value.
- (6) The procurement stock is valued at lower of cost and net realisable value. Cost being worked out on first in first out basis.

Prior period expenses/income

- (7) The prior period expenses / income and prepaid expenses having value of ₹ 1,00,000/- and below for each item are recognized in the current year"

Property, Plant & Equipment and Depreciation


- (8) (a) The items of Property, Plant & Equipment are carried at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. However, fully depreciated asset is retained at residual value.

SCHEDULE XXXI - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(b) Depreciation on Fixed Assets is charged on straight line method on the basis of useful life and residual value of assets determined by the Corporation (based on Technician's report on life of assets) as detailed below:

Fixed Assets	Useful Life (In years)	Residual Value (%)
Property, Plant & Equipment / Tangible Assets		
Warehouses & Godowns and ancillaries, Container Yards, Roof (pre-coated galvalume steel sheets), Floor- Cement Concrete, Road - Cement Concrete (CC)	30	5
Convertible Plinths	30	5
Non-Convertible Plinths	5	5
Office Buildings	60	5
Residential Flats	60	5
Water & Electrical Installations	10	5
Plant & Machinery/ Railway Siding/ Lorry Weighbridge	15	5
Furniture & Fittings / Electrical Equipments	10	5
Office Equipment	5	5
Other Equipments/ Construction Equipments	6	5
Mobile Phones	3	5
HBL Sheets	4	5
Motor Vehicles/ Motor Lorries/ Motor Car	8	5
Laboratory Equipments	5	5
Disinfestation Equipments	4	5
Wooden Crates	6	5
PCC Blocks	8	5
Racks / Tin Trays	10	5
Poly Pallets	10	5
Computers	3	5
Intangible Assets		
Registration fee for Container Trains	20	NIL
Right to use of land	10	NIL
Computers Software	3	NIL
License Fees-Private Freight Terminal	10	NIL



SCHEDULE XXXI - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- (c) The depreciation on warehouses/building and ancillaries, container yard, Roof (pre-coated galvalume steel sheets), Floor(Cement Concrete), Road.(Cement Concrete) and other assets constructed/created over the leasehold lands is charged as per their useful life stated above, irrespective of the period of lease since the lease is generally renewed on its expiry. In case the lease of the land is not renewed, the compensation received, on these assets is adjusted against the written down value and profit or loss, if any, in the transaction is accounted in the books.
- (d) The assets having value upto ₹ 500/- are charged to Revenue. Assets having value more than ₹ 500/- and upto ₹ 5,000/- are capitalized and depreciation thereon is charged @ 100% leaving a nominal value of ₹ 1/- for each such asset.
- (e) Cost of acquisition (premium) of land on lease and the cost of open area developed thereon is depreciated over the period of lease.
- (f) Capital work in progress includes the items of Property, Plant & Equipment that are not yet ready for intended use.
- (g) Interest on compensation for acquisition (under land acquisition proceedings) is charged to Profit & Loss account.
- (h) Interest income on loans & advance to employees in Engineering Division and depreciation on Property, Plant & Equipment deployed in construction cell are not capitalized.
- (i) Significant components of warehouse & godowns i.e. Roof (Pre-coated Galvalume Steel Sheets or equivalent), Roads (Cement Concrete) and Floor (Cement Concrete) are capitalized and depreciated separately.
- (9) Where during the Financial year any addition has been made to any Asset, or where any asset has been sold, discarded, demolished or destroyed, the Depreciation on such assets shall be calculated based on useful life on pro-rata basis from the month the asset is available for use or as the case may be upto the month in which such asset has been sold, discarded, demolished or destroyed.

Expenditure on Land and Civil Works

- (10) Capitalisation of godowns is based on completion certificate of storage-worthiness and depreciation is charged on the basis of certificate of commissioning of the godowns.
- (11) Actual expenditure incurred in connection with the acquisition of land is capitalized along with the stamp duty payable at the prevailing rate. The necessary adjustment for the difference in the stamp duty paid and already capitalized is made in the year of payment/execution of title deed.
- (12) Expenditure on risk and cost contracts (Civil) in excess of security deposit available is charged to capital work or repair work, as the case may be pending its recovery.
- (13) The construction overheads incurred on the capital and deposit works executed departmentally are allocated @ 7% (seven percent) of the cost of work or at actual overhead rate whichever is less. For capital works executed through outside agency, the fee/charges payable to the agency shall be capitalized at actual amount payable.



SCHEDULE XXXI - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- (14) Pursuant to arbitration award in a civil contract, the compensation paid/payable of a revenue nature like interest, loss of profit etc. is charged to revenue and compensation paid/payable of a capital nature is to be capitalized.

Revenue Recognition

- (15) Revenue is recognized when there is no significant uncertainty regarding the amount of consideration that will be derived from rendering the service.
- a) Income from warehousing services rendered is recognized based on agreement/ arrangement with the customers as the service is performed using;
 - (i) Completed service contract method for imported cargo on receipt/release of cargo;
 - (ii) Proportionate completion method for all other services rendered by the Corporation including income from consultancy fee/supervision fee charged on deposit work undertaken by the Corporation.
 - (iii) In respect of time barred bonds/ long standing cargo, on its realization out of the sale proceeds.
 - b) Income from sale of empties and waste (like old newspapers) are accounted for on realization basis.
 - c) Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established during the year.
 - d) The interest income is recognized when no significant uncertainty as to its measurability or collectability exists. It is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

Cost of Consumables

- (16) The cost of black polythene films, multi-layered cross laminated covers, bamboo mats, PVC floor dunnage and polythene covers and other such consumables is charged to revenue in the year of its issue for use.

VRS Expenditure

- (17) The termination benefits (including expenditure on Voluntary retirement) are accounted for in the year they are incurred.

SCHEDULE XXXI - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Insurance Claims

- (18) The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The profit or loss on account of settlement of insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company. The payment of claim to depositor is made after receipt of the same from the insurer.

Arbitration Awards

- (19) Arbitration awards against the Corporation unless contested are accounted for. However, amounts awarded in favor of Corporation are accounted at the time of realization, owing to uncertainty of their collection.

Accounting of claims against contractors / parties

- (20) Claims against contractors/parties are accounted when there is a reasonable certainty of recovery.

Unclaimed Dividend

- (21) The dividend warrants which are not encashed are shown as liability under the head "Unclaimed Dividend" irrespective of the year to which they relate.

Foreign Currency Transactions

(22) Initial Recognition

Transactions denominated in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transactions.

Subsequent Recognition

As at the reporting date, non-monetary items(revenue items & fixed assets) which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

All monetary assets and liabilities (current assets & current liabilities) in foreign currency are restated using the exchange rate at the Balance Sheet date and exchange differences are recognized in the Profit and Loss Account.

Government Grants

- (23) Government Grants are recognized when there is a reasonable assurance that the same will be received and all conditions attached will be complied with.

- (a) Capital Grants relating to specific fixed assets are reduced from the gross value of the respective assets.
- (b) Revenue grants are recognised in the profit & loss account by reducing the related expenses.



SCHEDULE XXXI - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Investments

- (24) Investments are classified into current and non-current investments. Current investments are stated at lower of cost or fair value. Long Term investments are stated at cost and provision for diminution in value is made only if such decline is other than temporary in the opinion of management.

Employee Benefits

- (25) a) All short term employee benefits are recognized at undiscounted amount in the accounting period in which they are incurred.
- b) The Provident Fund, Pension Fund and Post Retirement Medical benefit Fund being defined contribution plans, amount of contribution made during the year is recognized as an expense.
- c) Employees Benefits under defined benefit plans in respect of Leave Encashment, Gratuity and LTC are recognized based on the present value of defined benefit obligation and computed based on the actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method at the year end. Actuarial liability in excess of plan assets is recognized during the year.
- d) Ex-gratia payment on death of employee in service is recognised on accrual basis in profit & loss account.

Leases

- (26) **Operating Lease:**

Where the Corporation is Lessor:

Leases in which the Corporation does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Income on an operating lease is recognized in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term. Costs including depreciation are recognized as an expense in the profit and loss account.

Where the Corporation is a Lessee:

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight line basis over the lease term.

Taxes on Income

- (27) a) Income Tax Expense comprises of the current tax and deferred tax. Provision for current tax is based on the assessable profit and computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The deferred tax is recognised, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between the taxable and accounting income / expenditure, that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

SCHEDULE XXXI - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- b) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. If the Corporation has carry forward unabsorbed depreciation and tax losses, deferred Tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.
- c) Minimum Alternative Tax ('MAT') paid in accordance with tax laws, which gives rise to future economic benefits in the form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the corporation will pay normal tax in future. The corporation reviews the same at each balance sheet date and writes down the carrying amount of MAT credit entitlement to the extent there is no longer convincing evidence to the effect that corporation will be able to utilize that credit during the specified period.

Intangible Assets

- 28 (a) The licence fee / registration fee paid to the Indian Railways for container rail transportation is capitalized as an 'Intangible Asset' and amortized over the period of 20 years i.e. the period for which permission given by Railways, from the year of starting the operations.
- (b) The consideration paid towards lands held in possession on "right to use" basis is capitalized as 'Intangible Asset' and depreciated over a period of 10 years. Keeping in view the life and also technical certification, the warehouses/buildings and other assets constructed on such land, depreciation as per normal useful life mentioned in the accounting policy no.8 (b) is charged, irrespective of the period of right to use. In case the land on "right to use" basis is taken back, compensation received on handing over of such warehouse/building and other assets constructed is adjusted against their written down value and profit or loss if any, in the transaction is accounted for in the books accordingly.
- (c) Software which is not an integral part of related hardware is treated as an intangible asset and amortized over a period of 3 years.
- (d) The cost of license for Private Freight Terminals is amortised over a period of 10 years.

Impairment of Assets

- (29) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognised in the prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.



SCHEDULE XXXI - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- (30) (a) Provision is recognized when corporation has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made.
- (b) Contingent liabilities in respect of claims against the corporation not acknowledged as debts are determined on the basis of information available and judgment of the management and are disclosed by way of notes to the accounts. However contingent assets are neither recognized nor disclosed.
- (c) Liabilities/income accruing due to decisions after the date of circulation of accounts having retrospective effect are accounted for under the relevant direct head of account.
- (d) Liability on account of travelling expenditure and leave travel concession to employees where the journey commenced in current financial year but bills are awaited is provided to the extent of advance paid and necessary adjustment is made in the subsequent year when the bills are received.
- (e) Property tax, unless contested, is accounted for on the basis of demand received and information available.

Provision for Bad & Doubtful Debts

- (31) The provision for bad & doubtful debts is made whenever the debtors/loans & advances are considered doubtful of recovery.

Jay

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. Effect of Changes in Accounting Policies

Policy No.	Accounting Policy (Amended)	Effect on Profit (₹. in lakh)
13	The construction overheads incurred on the capital and deposit works executed departmentally are allocated @ 7% (seven percent) of the cost of work or at actual overhead rate whichever is less. For capital works executed through outside agency, the fee/charges payable to the agency shall be capitalized at actual amount payable.	358.10 (Decrease)
15(d)	The interest income is recognized when no significant uncertainty as to its measurability or collectability exists. It is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.	NIL
18	The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The profit or loss on account of settlement of insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company. The payment of claim to depositor is made after receipt of the same from the insurer.	NIL

2. Capital Commitment /Estimated Liabilities on Civil Contracts

- (a) The estimated amount of civil contracts on capital account remaining to be executed as on 31.03.2019 is ₹ 3902.82 lakh (Previous year ₹ 2164.51 lakh).
- (b) The estimated liability for construction work completed up-to 31.03.2019 but not billed by contractors is ₹ 1567.28 lakh (Previous year ₹ 1581.65 lakh), which has been accounted for on the basis of certificate of site engineers.
- (c) Central Warehousing Corporation (CWC) and Container Corporation of India (CONCOR) have entered into an agreement on 10.09.2018 to form a Joint Working Group (JWG) named as Pipavav Integrated Logistic Hub (PILH) to operate the logistic facility at Pipavav Port, Gujarat, India. CWC has to make investment of ₹. 5 Crores during 2019-20 as a part of its capital commitment in PILH.

3. Allocation of Engineering Overheads

As per accounting policy no.13, engineering overheads amounting to ₹ 365.38 lakh (Previous year ₹ 777.43 lakh) have been allocated to Capital and Deposit works undertaken by the corporation during the year, as per details given below:-

- i) ₹ 354.85 lakh (previous year ₹ 701.40 lakh) charged to capital works,
- ii) ₹ 10.53 lakh (previous year ₹ 76.03 lakh) charged to deposit works.

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

- 174 -

Annual Report 2018-2019

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

4. Revenue Recognition

- A) Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (vide their letter dated 13.02.2019) revised the storage rates for FCI stocks on reservation basis for the year 2016-17 from ₹ 4.30 to ₹ 4.68 per bag per month. The arrears of income in respect of such stocks of ₹ 5225.66 Lakh for the period from 01.04.2016 to 31.03.2018 have been accounted for in the current year. Income of 2018-19 is accounted at the rate of ₹ 4.68 per bag per month.
- B) Recognition of revenue has been postponed in following cases in accordance with AS-9 due to uncertainty in their ultimate collection:
- Claims of Corporation in respect of dispute with strategic alliance management operator(SAMO) at ICD-Loni towards (a)variable fee on empty containers for ₹1670.28 lakh (b) containers transported on trains of other Private Container Transport Operators(PCTOs) for ₹ 6556.94 lakh (c) terminal Access Charges for ₹13978.98 lakh (d) fee in respect of the containers moved between ICD-Loni & gateway port by road ₹435.21 lakh (e) charges towards excess area for ₹ 1962.50 lakh, (f) loss due to failure of WWILPL to provide one rake as per agreement for ₹ 1036.80 lakh, (g) loss of business and revenue to CWC ₹ 454.22 lakh and (h) interest on delay in payment of ₹20596.34 lakh.
 - In respect of erstwhile strategic alliance management contract at CFS, Whitefield, Bangalore which was discontinued from 30.04.2014, Corporation had filed a counter-claim of ₹ 2856.13 lakh before the arbitrator towards share of income from bonded storage and empty containers etc. which was rejected by arbitrator. The matter is in appeal before High Court. In another arbitration, Corporation has also made a counter claim of ₹885.08 lakh for recovery of expenses.
 - In respect of strategic alliance management contract for rail linked facility at CFS, Logistics Park, Navi Mumbai, there is a dispute with regard to start of railway operations as strategic alliance management operator (SAMO) paid variable fee @ 6% of gross revenue as against 8% claimed by the corporation up to 25th August 2014, the disputed amount of ₹ 1558.38 lakh (previous year ₹ 1558.38 lakh) towards variable fee and interest of ₹ 1464.79 lakh (previous year ₹ 1256.20 lakh) for delay in payment.
 - In respect of strategic alliance management contract for rail linked facility at CFS, Kalamboli, where the payment towards fixed and variable fee was delayed by Strategic Alliance Management Operator (SAMO) and legal proceedings are pending and interest of ₹ 1441.65 lakh (previous year ₹ 1343.82 lakh) claimed by the Corporation for delay in payment but disputed by SAMO.
 - On expiry of lease of CFS and Buffer yard facility at Navi Mumbai to CWC; the physical possession of facility was handed over by Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to another operator in December, 2005 when the physical possession of containers /cargo in custody of Corporation was also handed to him. Corporation made a claim of ₹ 3095.00 lakh on the new operator / JNPT, however, the actual amount realizable on the containers / cargo handed over is unascertainable.

5) Other Disclosures

Corporation claimed recovery of Service Tax from some of the contractors amounting to ₹ 1352.52 lakh (Previous year ₹ 1164.33 lakh) as the same was considered as paid in excess or contractors did not submit proper invoice to enable the Corporation to claim CENVAT credit. An amount of ₹336.35 lakh (Previous year ₹323.70 lakh) was recovered from the contractors, however recovery has been disputed by them. The matters being in arbitration / before the court, there is uncertainty

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

of recovery of balance amount. Pending resolution of dispute, the amount recovered has been shown as amount payable to the contractors.

6) Transactions in Foreign Currency

(a) The following transactions were made in foreign currency during the year:

	Expenditure	₹. in lakh
i)	Subscription and membership fee	3.18
ii)	Other expenditure	NIL

(b) The net exchange difference of ₹ 8.32 lakh (Income) (previous year ₹ 0.33 lakh (Income)) has been recognized during the year relates to net payable/receivables in foreign currency.

7) Government Grants

The details of receipts and utilization of government grants during 2018-19 and their balances as on 31.03.2019 are as under:

S. No.	Purpose	Centre Name	Opening Balance	Grant Received	Grant Utilised	Grant Returned	₹. in lakh Closing Balance
A	Capital Grant		a	b	c	d	e=(a+b-c-d)
1	Construction of godown at Purakkad, Alleppey - received from Government of Kerala (#a)	CW, Purakkad	528.00	-	40.00	-	488.00
2	Establishment of export certified processing & cold storage infrastructure by APSWC received from Ministry of Commerce & Industry (₹ 438.00 lakh) and Establishment of an export oriented anchor unit for cold storage at Spices park, Guntur (₹500.00 lakh) (#b)	Cold storage infrastructure by APSWC at Guntur	938.00	-	500.00	438.00	NIL
3	Setting up of CFS at Pipavav (Gujarat) - received from Ministry of Commerce & Industry (#c)	CFS Pipavav	155.64	-	-	-	155.64
4	Modernization and automation of facility at ICD-Patparganj (Delhi) - received from Ministry of Commerce & Industry (#c)	ICD Patparganj	385.36	-	-	-	385.36
	Sub Total		2007.00	0.00	540.00	438.00	1029.00
B	Revenue Grant						
5	Upgradation of training infrastructure and laboratories, payment for civil and electrical works for renovation of pesticide residue and mycotoxin contamination in foodgrains testing laboratory, payment for purchase of one DG set of 125 KVA at IGMRI, Hapur - received from Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)	Hapur	3.02	-	3.02	-	NIL
	Sub Total		3.02	0.00	3.02	-	NIL
	Total Grant (A+B)		2010.02	0.00	543.02	438.00	1029.00

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

Note:

- a) The Grant was to be utilized by 28th September, 2018. There is delay on work due to reclamation/conversion of marshy land for construction of the godowns for storage of paddy. Request for time extention has been made by Corporation. As there is no interest clause in the terms and conditions of grant, interest has not been provided.
- b) The grant of ₹ 938 lakh refunded by CWC to ministry of commerce in 2016-17 was reissued to CWC on 30.01.2017 for infra projects of APSWC. The grant of ₹ 438 Lakh has been returned to Ministry of Commerce with interest of ₹ 64.68 Lakh. The timeline for the Guntur project completion was upto 31.03.2018. Interest @ 10% p.a. of ₹ 107.67 Lakh for delay in execution of project has been provided in books and shown as recoverable from APSWC.
- c) Grants of ₹155.64 lakh and ₹.385.36 lakh utilized by the corporation under ASIDE scheme for CFS Pipavav and ICD Patparganj respectively in earlier years was reinstated in previous year pending decision of Ministry of Commerce on regularization of expenditure made. Interest @10% p.a. of ₹. 54.10 Lakh for current Financial Year 2018-19 has been provided in books.

8) Accounting for Investments

- (a) (i) The investments made by the corporation as on 31.03.2019 are as under:-

Investments (unquoted):	As on 31.03.2019	₹ in lakh As on 31.03.2018
Equity in State Warehousing Corporations (SWCs) (associates) (Long Term)	6179.38	6179.38
Equity in Central Railside Warehouse Company Ltd., (CRWC)(100% subsidiary) (Long Term)	4056.00	4056.00
Equity in National Multi-Commodity Exchange of India Ltd., (NMCE) (associate) (Long Term)	NIL	832.90
Equity in Indian Commodity Exchange Limited(ICEX) (Shares received in lieu of shares in NMCE on merger with ICEX)	832.90	NIL
- Long Term ₹ 376.81 Lakh		
- Current ₹ 456.09.Lakh		
Total	11068.28	11068.28

- (ii) Corporation has to subscribe for 50% of its share in the share capital of State Warehousing Corporations (SWCs) where respective State Governments have already subscribed for their 50% share. Corporation has not paid its share of 50% in the share capital of Assam SWC, Karnataka SWC, Kerala SWC, Meghalaya SWC and MPWLC due to reasons such as accumulated losses of SWC, non preparation of accounts, non holding the AGM in time and non payment of the dividend in time.
- (b) The Income earned on above investments amounting to ₹ 2529.43 lakh and included in Profit & Loss Account is as under:

Subsidiary	2018-19	₹ In lakh 2017-18
Dividend from State Warehousing Corporations (SWCs)	1839.91	989.24
Dividend from CRWC (subsidiary company)	689.52	608.40
Total	2529.43	1597.64

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

9) Disclosure on Employees Benefits

(A) Defined Contribution Plan

- (i) a) The employer's contribution to CWC employee's provident fund for the year has been ₹3013.13 lakh (previous year ₹ 3007.36 lakh), out of which ₹ 2993.64 lakh (previous year ₹ 2943.25 lakh) has been recognized as an expense and ₹ 19.49 lakh (previous year ₹ 64.11 lakh) has been capitalized.
- b) The employer's contribution to CWC pension fund for the year has been fixed @ 7.6% of basic pay plus dearness allowance amounting to ₹ 1972.24 lakh (previous year ₹ 2267.42 lakh), out of which ₹ 1959.11 lakh (previous year ₹ 2232.20 lakh) has been recognized as an expense and ₹ 13.13 lakh (previous year ₹ 35.22 lakh) has been capitalized.
- (iii) a) The employer's contribution to CWC Post Retirement Medical Benefit Fund for the year has been fixed @ 3.03% of basic pay plus dearness allowance amounting to ₹ 732.97 lakh (previous year ₹ 1002.50 lakh), out of which ₹ 728.31 lakh (previous year ₹ 982.96 lakh) has been recognized as an expense and ₹ 4.66 lakh (previous year ₹ 19.54 lakh) has been capitalized.
- b) In PRMB scheme, the participating retired employees are required to make annual contribution of ₹ 1500/- by group A, ₹ 1200/- by group B, ₹ 900/- by group C and ₹ 600/- by group D category of employees.
- c) PRMB Trust was formed on 27.11.2018 to administer the Post Retirement Medical Benefit Scheme. During the year an amount of ₹ 15000 lakh was paid to trust out of the PRMB fund maintained by the Corporation and remaining amount lying in PRMB fund amounting to ₹ 6256.70 lakh is being paid to the trust during 2019-20.
- d) In terms of the decision of the Board on 27.11.2015, in respect of Reserve for Post Retirement Medical Benefit (PRMB) Fund, the credit for interest @ 6.85% earned by the corporation during the year of ₹ 898.29 lakh (net of income tax liability) (previous year ₹ 905.82 lakh) on PRMB reserve fund investment has been transferred from Profit & Loss Appropriation A/c to Reserve for Post Retirement Medical Benefit Fund.

(B) Defined Benefit Plan

- (i) The Provision for Employee Benefits i.e. Gratuity, Leave Benefit and LTC has been made on the basis of Actuarial valuation. The Actuarial Valuation is got done at the end of the financial year.
- (ii) In respect of Reserve for Leave Benefit Fund, in terms of the decision of the Board on 12.02.2018 credit for interest @ 6.85% earned by the corporation during the year of ₹ 630.96 lakh (net of income tax liability) (previous year ₹ 741.97 lakh) on Leave Benefit Fund Investment has been transferred from Profit & Loss Appropriation A/c to Reserve for Leave Benefits Fund.
- (iii) Reconciliation of opening and closing balance of Employee Benefit obligation is as under :

S.N	Particulars	Gratuity (funded)		Leave Benefit (unfunded)		LTC (unfunded)		(₹ in crore)
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	
	Present Value of Obligation as on 1 st April	338.29	247.18	140.86	159.06	2.58	2.44	

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

Add: Interest Cost	25.71	17.29	10.71	11.13	0	0
Add: Current Service Cost	8.95	8.75	6.62	10.51	1.60	1.76
Add: Past Service Cost – (non-vested benefits)	0	115.34	0	0	0	0
Add: Past Service Cost – (vested benefits)	0	0	0	0	0	0
Less: Benefits Paid	(73.07)	(42.36)	(37.37)	(38.37)	(1.21)	(1.62)
Actuarial (Gain) / Loss in Obligation (balancing figure)	(7.44)	(7.91)	8.28	(1.47)	0	0
Present Value of Obligation as on 31 st March	292.44	338.29	129.10	140.86	2.97	2.58
 Fair value of Plan Assets, 1 April	252.23	234.25	0	0	0	0
Add: Expected return on Plan Assets	19.17	18.14	0	0	0	0
Add: Contributions	86.06	42.93	0	0	0	0
Add: Fund Transfer (Inwards)	0.05	0.00	0	0	0	0
Less: Benefits Paid	(73.07)	(42.36)	0	0	0	0
Actuarial Gain / (Loss) on Plan Assets (balancing figure)	1.60	(0.73)	0	0	0	0
Fair value of Plan Assets as on 31 st March	286.04	252.23	0	0	0	0
Total Actuarial Valuation Gain / (Loss) to be recognized immediately as per Standard	9.04	7.18	(8.28)	1.47	0	0
 Credit from return on Investment(Net of Tax)	0	0	6.31	7.42	0	0
Transferred from pay revision provisions	0	2.09	0	10.34	0	0
Expenses recognized in P & L A/c	6.36	113.55	18.90	1.69	1.58	1.71
Expenses capitalized	0.05	0.42	0.40	0.72	0.02	0.05
Total Expenses	6.41	116.06	19.30	12.75	1.60	1.76

(iv) Reconciliation of Fair Value of Plan Assets (Gratuity Fund)

In respect of employee benefits, the Corporation has no plan assets except for Gratuity, for which a Gratuity Trust was established on 24th March '2010. The fair value of the plan assets in respect of Gratuity Fund as on 31.03.2019 is ₹ 286.04 crore (previous year ₹ 252.23 crore) as per details given below:

₹ in Crore

Particulars	2018-19	2017-18
Fair Value of Plan Assets at beginning of the period	252.23	234.25
Expected return on plan assets	19.17	18.14
Employer contributions(Paid to Trust)	86.06	42.93
Fund Transfer (IN)	0.05	0.00
Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	1.60	(0.73)
Benefits paid	(73.07)	(42.36)
Fair Value of Plan assets at the end of the period	286.04	252.23

(v) The liability of Employee Benefits has been valued by the Actuary using Projected Unit Credit (PUC) method after considering inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

- (vi) The Actuarial Assumptions used for valuation of liability for employee benefits are as under:-

Financial Assumptions	Gratuity		Leave Benefit		LTC	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Discount Rate	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%
Expected rate of return on Plan Assets	7.60%	7.60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Estimated Future Salary Increase	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	N.A.	N.A.
Mortality	Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate					
Attrition / Withdrawal rate per annum	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Average future working life (in years)	12.84	12.51	12.84	12.51	12.84	12.51

- (vii) The present value of the defined benefit obligation (net of plan assets) for the current year and previous four years are as under:

Defined Benefit	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	₹ in lakh 2014-15
Gratuity	640.41	8605.69	1292.99	883.61	8390.00
Leave Benefit	12910.45	14085.90	15906.48	17765.26	17256.00
LTC	297.13	258.41	244.35	194.24	129.00

- (viii) With effect from year 2013-14, Corporation extended the benefit of payment of lump-sum ex-gratia compensation to the nominee / legal heir of employees who die while in service where amount ₹ 7.50 lakh is payable for C&D group of employees and ₹ 10.00 lakh is payable for Group A & B group of employees. The expenditure of ₹ 182.19 lakh (previous year ₹ 177.75 lakh) towards death compensation has been accounted for in the current year.

10) Provision for Pay Revision

The pay revision for unionized supervisors and workers being due w.e.f. 01.01.2017, ₹8508.01 lakh has been provided in the books.

11) Segment Reporting

In the opinion of the management, the Corporation does not have separate reportable segment.


SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

12) Related Party Disclosures

As per Accounting Standard 18, the disclosures of transaction with the related parties are given below:

a. List of Related parties and relationship:

Sl.No.	Name of the Related Party	Relationship
i)	Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC) (where control exists)	Subsidiary Company
ii)	19 State Warehousing Corporations (SWCs)	Associate
iii)	National Multi Commodity Exchange of India Ltd.(Up to 07.09.2018)	Associate
Key Management Personnel		
iv)	Shri D.V.Prasad(w.e.f 11.01.2019)	Chairman
v)	Shri Arun Kumar Shrivastava (w.e.f 18.06.2018)	Managing Director
vi)	Shri S.Charles	Director (Finance)
vii)	Shri J. S. Kaushal (up to 31.05.2018)	Director (Personnel)
viii)	Shri S.C.Mudgerikar	Director (M & CP)

b. Related Party Transactions: (₹ in lakh)

(i) CRWC (Subsidiary Company)	
- Dividend received	689.52
- Repayment of Secured Loan by CRWC(Loan outstanding as on 31.03.2019 is ₹ 1138.70 lakh)	1278.27
- Interest received on loan given to CRWC	149.86
- Pest Control Services provided to CRWC	0.96
(ii) 19 State Warehousing Corporations(SWCs) (Associates)	
- Dividend income from SWCs	1839.91
- Godown rent paid to UPSWC	8.24
- Godown rent paid to Gujarat SWC	249.66
- Royalty paid to Gujarat SWC	4.28
- Engineering consultancy services earned on deposit work executed for Orissa SWC	11.41
Key Management Personnel	
(iii) Dr. D.V.Prasad	
- Sitting fee and Travelling Allowances	NIL
(iv) Sh. Arun Kumar Shrivastava	
- Remuneration(Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹ 30.91 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹ 2.64 lakh)	33.55
- Travelling Allowances	3.28

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

(vi) Sh. S.Charles		
- Remuneration(Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹ 42.96 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹ 1.07 lakh)		44.03
- Travelling Allowances		4.31
(vii) Sh. J. S. Kaushal		
- Remuneration(Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹ 10.96 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹ 0.74 lakh)		11.70
- Travelling Allowances		0.20
(viii) Sh. S.C.Mudgerikar		
- Remuneration(Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹ 40.01 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹ 5.65 lakh)		45.66
- Travelling Allowances		2.53

c. Subsidiary company "CRWC"

As on 31.03.2019, Corporation has an investment of ₹ 4056.00 lakh (previous year ₹4056.00 lakh) in the equity of its 100% owned subsidiary company "Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC)". The amount of loans outstanding from CRWC of ₹1138.70 lakh consists of a loan towards transfer of Railside Warehouses of ₹688.70 lakh (previous year ₹ 1606.96 lakh) and another loan of ₹ 450 lakh (previous year ₹810.00 lakh) towards Working Capital. As per agreement with CRWC, the interest payable by CRWC on loan towards transfer of Railside Warehouses is @7.63% per annum (on quarterly rest). For working capital loan, the interest is payable by CRWC at the interest rate (on quarterly rest) payable by CRWC on loan availed by it from its bank. The interest income of ₹149.86 lakh (previous year ₹ 259.60 lakh) on the above loans has been accounted for during the year.

13) Operating Leases

As a Lessor

The Corporation has entered into strategic alliance management contracts for ICDs at Loni and CFS Logistic Park, which is in the nature of cancelable Operating Lease.

a) The Fixed Assets provided to the lessees as on 31.03.2019 are as under:-

Particulars	Gross carrying amount	Accumulated Depreciation	Net Book Value
Land	5,521.00	1,467.04	4,053.96
Warehouses & Godowns	1,028.22	322.35	705.87
Water Installation	5.64	5.36	0.28
Electric Installation	245.90	233.60	12.30
Open Container Yard	2,628.51	563.92	2,064.59
Total	9,429.27	2,592.27	6,837.00

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

b) The aggregate depreciation of ₹ 238.05 lakh (previous year ₹ 442.19 lakh) has been charged on the above leased assets during the year. There is no indication of impairment loss on the above assets. The ICD Loni and CFS Logistic Park have been leased for a period of fifteen years in consideration of Fixed fee and Variable fee per TEU subject to minimum guaranteed throughput/ minimum amount with escalation clause of 5% and 10% per annum respectively. Total income of ₹ 5799.97 lakh (previous year ₹ 6124.38 lakh) has been recognized during the year from operating leases out of which contingent rent is ₹ 79.63 lakh (previous year ₹ 357.02 lakh).

14) Earnings Per Share

Basic and diluted EPS has been calculated below by dividing the profit for the year attributable to equity share holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year:

Basic and Diluted	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
a) Number of Equity shares at the beginning of the year	6,80,210	6,80,210
b) Number of equity shares at the end of the year	6,80,210	6,80,210
c) Weighted average number of equity shares outstanding during the year	6,80,210	6,80,210
d) Face Value of each Equity share (In ₹)	1000/-	1000/-
d) Profit after Tax available for equity shareholders (Amount in ₹)	163,60,52,277/-	31,87,53,277/-
Earning Per Equity Share - Basic (In ₹)	2405.22	468.61
Earning Per Equity Share - Diluted (In ₹)	2405.22	468.61

15) Taxes on Income

- i. The tax expense for the current year is ₹ 6181.43 lakh (previous year ₹ 426.06 lakh (Credit)) which comprises of current tax of ₹ 4107.37 lakh, deferred tax of ₹ 2321.36 lakh, and tax adjustment of earlier years of ₹ 247.30 lakh (Credit).
- ii. The deferred tax assets and deferred tax liabilities have been set off there being a legal enforceable right to set off the same. The net deferred tax liability as on 31.3.2019 is ₹ 5472.67 lakh (previous year ₹ 3151.31 lakh) comprising of the following:

		₹ in lakh	
Deferred Tax Liabilities		2018-19	2017-18
a.	Depreciation and other differences in block of Fixed Assets.	25456.09	25885.04
b.	Accrued interest on income tax refund	43.70	255.76
Total		25499.79	26140.80
Deferred Tax Assets			
a.	Provision for Bad & Doubtful Debts	9507.30	8720.74
b.	Provision for Gratuity	223.78	2978.26
c.	Provision for SVRS, rates, taxes & duties PRMB and unamortized PRMB past service cost etc.	8557.11	10089.94
d.	Provision for Unascertained Liabilities	1738.93	1200.55
Total		20027.12	22989.49
Deferred Tax Liability (Net)		5472.67	3151.31

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

iii. In view of favourable decisions of the Appellate Authority, the amount recoverable from Income Tax Department as on 31.3.2019 for AY 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2002-03 and 2004-05 is ₹ 1281.81 lakh. Against this recoverable amount, provision for tax of ₹1044.77 lakh exists in the books which management considers adequate. Additionally, provision for tax of ₹ 593.59 lakh (tax liability reduced by TDS credits) also exists in the books for AY 2017-18, for which the tax assessments are yet to start by the income tax department. No provision for tax for AY 2019-20 is required in view of TDS credit available.

16) Interests in Subsidiary/Joint Venture

(a) Corporation holds 100% equity of ₹ 4056.00 lakh in its subsidiary company i.e. Central Railside Warehouse Company Ltd., (CRWC), whose financial details as per their audited accounts are as under:

PARTICULARS	₹ in lakh	
	2018-19	2017-18
Gross Revenue	8794.49	9688.47
Gross Expenses	7158.72	7324.03
Profit before tax	1635.77	2364.44
Profit after tax	1487.71	1533.12
Assets	20067.81	20426.43
Capital & Reserves	12504.57	11848.11
Liabilities	7563.24	8578.32
Contingent Liability	565.76	113.93

- (b) In terms of section 19(2) of the Warehousing Corporations Act, 1962, Corporation has invested in the share capital of its Associates i.e. 19 State Warehousing Corporations (SWCs). Due to non-receipt of audited accounts as on 31.03.2019 of these SWCs, the share of the Corporation in their assets, liabilities, contingent liabilities, income and expenses cannot be disclosed.
- (c) The consolidated financial statements have not been prepared and presented as preparation of same is not mandatory as per The Warehousing Corporations Act, 1962 under which corporation has been constituted.
- (d) Central Warehousing Corporation (CWC) and Container Corporation of India (CONCOR) have entered into an agreement on 10.09.2018 to form a Joint Working Group (JWG) named as Pipavav Integrated Logistic Hub (PILH) to operate the logistic facility at Pipavav Port(Gujarat). Both CWC and CONCOR will share the investment, working capital and profits equally. In the year 2018-19, since no investment has been made in PILH and no operations were performed by PILH, CWC has made an investment of Rs. 5 Crores on 30.05.2019 as a part of its capital commitment in PILH.

17) Intangible Assets


Corporation has Four Intangible Assets –

- a) Registration Fee for Running Container Trains,
- b) Right to use of land,
- c) Software, and
- d) License fee for Private Freight Terminal.

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

18 yr

Annual Report 2018-2019



SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

In the year 2005-06, Corporation paid registration fee of ₹ 5000 lakh to Indian Railways for running of container trains on Category-I Routes and Concessionaire Agreement was signed between CWC and Indian Railways on 04.01.2007, which entitles CWC to run the container trains for a period of 20 years from the date of commercial operations which commenced on same date. The Registration Fee of ₹ 5000 lakh has been shown as Intangible Asset. The concessional period is extendable for a further period of 10 years on the same terms & conditions by paying requisite fee. As per the agreement, the concessionaire (CWC) is entitled to transfer or assign the concession to any third party or change the control of concessionaire after one year from the date of commercial operations with the approval of Railway Administration. Keeping this in view, the registration fee paid for running container trains is being amortized over a period of 20 years (useful life) from the date of commencement of commercial operations. The unamortized amount of Registration Fee paid by CWC to Indian Railways as on 31.03.2019 is ₹ 1750 lakh (previous year ₹ 2000 lakh).

- i) Useful life /Amortization Rates used:

Intangible Assets:	Useful life/amortization rate (%)
Registration Fee for running Container Trains	20 years (unamortized period is 07 years)
Right to use of land	10 years
Software	3 years
License for Private Freight Terminal.	10 years

- ii). The gross carrying amount, accumulated amount of amortization at the beginning and end of the year, reconciliation of carrying amount at the beginning and end of the year of intangible assets are stated in Schedule II on "Fixed Assets".

18) Impairment of Assets

In the opinion of the management there has been no impairment loss during the year. Previous year Impairment loss of ₹ 95.25 lakh was reversed.

19) Contingent Liabilities and Guarantees

S. No	Particulars	As on 31.03.2018	(\$ in lakh)		
			Reduction against opening	Addition during the year	As on 31.03.2019
(a)	Claims against the Corporation not acknowledged as debts including claims of suppliers / contractors and others against the Corporation which are in arbitration / court.				
i)	Central Govt. Departments	7027.77	1,624.14	340.91	5,744.54
ii)	State Govt. Departments or local Bodies	26117.16	1292.15	1890.34	26715.35
iii)	Central Public Sector Enterprises (CPSEs)	15166.24	6812.36	5132.75	13486.63
iv)	Others (Not Covered above)	25502.29	1677.97	11176.28	35000.60
	Total (a)	73813.46	11406.62	18540.28	80947.12

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

Guarantees	31.3.2018	31.03.2019
(b) Counter Guarantees given for Bank Guarantees	360.97	291.83
(c) Custodian guarantee bonds furnished to Customs department	248018.00	371716.00

Liability, if any, that may arise due to disputed claims of some of the employee(s) / ex-employee(s), arbitration cases with depositors/ contractors / godown owners and interest / penalty / legal costs is not disclosed in contingent liabilities in respect of which amounts are unascertainable.

The contingent liabilities stated above are dependent upon the outcome of decision of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeal, the amount being called up in terms of contractual obligations and other developments arising on account of demand by concerned parties.

The Major Contingent Liabilities in respect of claims disputed by the corporation exceeding 2% of the total claims included in S. No.(a) above are as under:

(i)	The claim of Customs Department of ₹ 2975.00 lakh for ICD, Patparganj towards cost recovery charges.
(ii)	Claim of ₹ 5131.85 Lakh made by SAMO at ICD-Loni towards Examination Charges, Service Charges, Ground Rent, Handling Charges, Fuel Surcharge etc. on containers moved by train by the corporation and interest thereon.
(iii)	The Claims of ₹ 9988.80 lakh made by FCI against storage and transit losses.
(iv)	The Claim of ₹ 20104.46 lakh made by Mumbai Port Trust towards arrears of rent, rates & taxes including interest etc. in respect of CW, TW-I, TW-II, M.S. Jetha and Wadala disputed by the corporation.
(v)	Claim of ₹ 6456.75 Lakh made by SAMO at CFS-Kalamboli towards construction cost of Rail linked facility, godown rent, domestic operation charges etc. and interest thereon of ₹ 1599.46 lakh.
(vi)	The claim of ₹ 8637.83 lakh made by erstwhile strategic alliance management operator (SAMO) at CFS – Whitefield.

20) Provisions for expenses


In compliance of AS 29 on "Provisions, Contingent liabilities and Contingent Assets", the required information on Provision for Expenses is as under:

(₹ in lakh)			
Opening Balance	Additions during the year	Amount used/ Incurred/reversed during the year	Closing Balance
3469.00	2778.88	1271.55	4976.33

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

- 186 -

Annual Report 2018-2019



SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

21) Provision for Bad & Doubtful Debts

- a) Considering that most of the sundry debtors/recoverable relate to government departments/undertakings, the management considers provision for Bad & Doubtful Debts of ₹ 27207.26 lakh (previous year ₹ 25198.62 lakh) as adequate which comprises of provision of ₹ 22982.67 lakh (previous year ₹ 20267.75 lakh, towards sundry debtors(storage charges), ₹ 1494.66 lakh (previous year ₹ 1642.40 lakh) towards sundry debtors (marketing facilitation) charges and ₹ 2729.93 lakh (previous year ₹ 3288.47 lakh) towards other sundry debtors/recoverable.
- b) The sundry debtors with respect to FCI are ₹ 26499.74 lakh (previous year ₹ 35215.25 lakh) after adjusting the ad-hoc payments received from them of ₹ 6155.85 lakh which remains unadjusted as on 31.03.2019. The sundry debtors of FCI as on 31.03.2019 comprises of ₹ 21484.19 lakh due towards storage charges and ₹ 5015.55 lakh due towards marketing facilitation charges. The final adjustment of the adhoc payment shall be made as per the actual adjustment by FCI.
The total amount under dispute with FCI as on 31.03.2019 is ₹ 18387.18 lakh (previous year ₹ 19622.14 lakh). The settlement of disputes with FCI is in progress. The management considers provision for Bad & Doubtful Debts of ₹ 16237.09 lakh (previous year ₹ 13380.76 lakh) as adequate.
- c) Against provision for Bad & Doubtful Debts created in the earlier years, an amount of ₹ 3885.99 lakh has been written off, out of which ₹ 2247.68 lakh is in respect of disputes of storage charges / MF charges and other dues including BIFR cases against which recovery could not be made by the Corporation and ₹ 1638.31 lakh is in respect of dispute of storage losses / transit losses / damages / deficiency in services etc. against which recovery could not be made by the Corporation. These amounts have been written off based on the recommendations of the committee and approval of the competent authority. The amount written off has been adjusted against the provision for Bad & Doubtful Debts as reflected in Schedule V on 'Reserves for Bad & Doubtful Debts' of Notes forming part of accounts.

22) Balance Confirmations

- For debit and credit balances in respect of parties for Loans and Advances, Supplies, Services, Earnest Money and Security Deposit, Corporation has sent letters for confirmation of balances. The confirmation / copy of Accounts received from some of the parties have been reconciled. The management is of the view that in respect of parties from whom confirmation / statement of account has not been received, the impact on the liability and profit will not be significant.

23) Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD)

As per guidelines of Department of Public Enterprises (DPE) issued vide OM dated 21.10.2014, Corporation was required to spend during the year 2018-19 an amount of ₹392.74 lakh (including ₹ 19.57 lakh of shortfall in CSR expenses of financial year 2017-18) on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development. An amount of ₹ 402.65 lakh (previous year ₹ 528.09 lakh) was incurred during the year towards Corporate Social Responsibility and Sustainable Development.


The details of amount spent during the year on Corporate Social Responsibility is as under:-
(₹ in lakh)

S.No.	Particulars	Paid in Cash	Yet to be paid	Total
(i)	Construction/acquisition of any asset	NIL	NIL	NIL
(ii)	On purposes other than (i) above	366.23	36.42	402.65

[Signature] **CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**

[Signature] **Annual Report 2018-2019**

-187-



SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

24) Research & Development (R & D)

Department of Public Enterprises (DPE) vide OM dated 17.07.2019 has withdrawn its guidelines on research and development issued vide OM dated 23.09.2011. Therefore, no Reserve for Research and Development fund has been created for the 2018-19 and the amount of ₹ 289.94 lakh lying in Reserve for Research and Development fund has been transferred to Reserve Fund Under Section 30 (1). The R&D expenditure of ₹ 4.56 lakh incurred during the year 2018-19 has been charged to Profit & Loss Account.

25) Benevolent Fund

The Benevolent Fund established during the year 1989-90 for the purpose of staff welfare, is being managed by Benevolent Fund Trust which is registered for income tax exemption under sections 12A and 80G of the Income Tax Act, 1961. During the year, 1% of profit after tax i.e. ₹163.61 lakh (Previous year ₹ 31.88 lakh) and additional amount of ₹ 37.00 lakh approved by board is appropriated to the Reserve for Benevolent Fund. During the year an amount of ₹31.88 lakh was contributed to Benevolent Fund Trust against the opening balance and additional contribution during the year ₹37.00 lakh made to the trust. The balance in Reserve for Benevolent Fund as on 31.03.2019 is ₹ 163.61 lakh (Previous year ₹ 31.88 lakh) shall be paid to Benevolent Fund Trust after the approval of the Board of Directors.

26) Dividend

During the year, Corporation paid additional dividend of ₹1012.31 lakh for the year 2017-18 and Interim Dividend of ₹ 2379.15 lakh for the year 2018-19. The final dividend for the year 2018-19 is proposed @ 30% of Profit after Tax (Being 72.20% of paid up capital) amounting to ₹ 4908.16 lakh. The unpaid amount of proposed dividend for the year 2018-19 has not been accounted in the books as per AS 4(Para 14) issued by ICAI.

27) Micro, Small, and Medium Enterprises

Item No. .	Disclosure required under the Micro, Small & Medium Development Act, 2006	As on 31/03/2019	As on 31/03/2018
i)	Delayed payments due as at the end of each accounting year on account of (a) Principal & (b) Interest due thereon	NIL NIL	NIL NIL
ii)	Total interest paid on all delayed payments during the year under the provisions of the Act	NIL	NIL
iii)	Interest due on principal amounts paid beyond the due date during the year but without the interest amounts under this Act	NIL	NIL
iv)	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	NIL	NIL
v)	Total Interest Due but not paid (Represents all interest amounts remaining due together with that from prior year (s) until such date when the interest was actually paid to the small enterprises. Mainly to ascertain the amount of interest disallowable for income tax purposes)	NIL	NIL

SCHEDULE- XXXII -- NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS**28) Cess for Construction Works**

Liability for collection and remittance of Cess under the Building & Other Construction Workers (RECS) Act, 1996, Building & Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 and Building & Other Construction Workers Welfare Cess Rules 1998, has been created in respect of works only in those States where the Welfare Board has been constituted by the concerned State Government and notification regarding effective date and Cess percentage to be levied has been issued.

29) Warehousing Fund

The Warehousing Fund which was being maintained by the Corporation as per section 16 of the Warehousing Corporations Act, 1962 got fully utilized in the year 2010-11, hence no accounts have been prepared for the same.

30) General

The figures have been rounded off to the nearest rupee. The previous year figures have been reworked, regrouped and rearranged wherever considered necessary.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :	₹ 2,25,41,95,204	₹ 27,61,53,053
Net profit before Tax	86,90,08,178	1,33,75,00,488
Adjustments for :		
Depreciation, Amortisation & Impairment Loss	82,86,552	56,32,360
Prior Period Depreciation	21,65,565	21,65,565
Amortisation of Past Service Cost of PRMS	58,94,62,819	46,11,75,338
Provision for Bad & Doubtful Debts	1,03,70,274	4,39,98,699
Interest Expense	1,41,98,591	3,19,98,005
Loss on sale of Assets/ Assets written off	86,94,323	13,94,567
Work In Progress written off	(4,25,75,721)	(5,62,331)
Bad Debts written off	(18,39,90,703)	(9,89,23,997)
Profit on sale of Assets	(6,89,52,000)	(6,08,40,000)
Dividend Income from SWC's	(52,92,17,954)	(62,47,68,281)
Dividend Income from CRWC	(8,32,395)	(33,386)
Interest Income	(1,14,13,022)	(1,91,93,024)
Difference in Foreign Exchange (Net Loss)	(11,39,492)	
Excess Liabilities/Provisions written back/adjusted	66,20,45,015	1,08,01,44,887
Operating Profit before Working Capital Changes	2,91,62,40,219	1,35,62,97,920
Trade and Other Receivables	48,69,28,282	1,37,03,95,337
Inventories	(2,51,768)	11,28,020
Amount Payable to /Recoverable from Subsidiary (CRWC)		2,41,82,976
Liabilities and Provisions	(1,87,83,92,596)	1,09,69,18,677
CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES	1,52,45,24,137	3,84,89,22,930
Income Tax paid	(53,81,23,732)	(66,41,82,682)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	98,64,00,405	3,18,47,40,248
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:		
Purchase of Fixed Assets including WIP	(1,60,41,18,375)	(1,59,29,81,306)
Proceeds from sale of Fixed Assets	10,42,09,764	(2,64,81,002)
PRMB Fund Investment	1,47,18,89,574	(8,41,13,905)
Leave Benefit Fund Investment	11,75,44,763	(1,40,85,89,572)
Loan given to CRWC	12,78,26,508	17,77,83,135
Dividend received from SWC	18,43,33,748	11,29,34,158
Dividend received from CRWC	6,89,52,000	10,14,00,000
Interest Received	55,37,16,494	72,17,24,467
NET CASH (USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	1,02,41,34,476	(1,99,83,24,025)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

62nd Annual Report 2018-2019


-190 -

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	₹	₹
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Payment to Benevolent Fund Trust	(68,87,533)	(2,31,22,133)
Grant received from/utilised to Govt. of India	(9,81,02,028)	9,38,00,000
Interest Paid	(33,71,158)	(47,08,105)
Dividend Paid	(40,25,87,332)	(1,59,87,89,923)
NET CASH (USED IN) FINANCING ACTIVITIES (C)	(51,09,48,051)	(1,33,28,20,161)
D. NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS(A+B+C)	1,49,95,86,830	(14,64,03,938)
E. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YAER	3,86,53,29,834	4,01,17,33,772
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR #	D+E	5,36,49,16,664
# Cash and Bank Balances		
a Cash and Bank includes Deposit of ₹ 46435.02 lakh (previous year ₹ 26402.54 lakhs)	5,30,61,41,242	3,79,76,34,285
b FDRs in hand (Contractors' Securities received in the form of FDRs pledged in favour of the Corporation)	4,31,89,991	6,34,00,723
c Bank Drafts and Cheques in hand	1,49,41,821	39,83,360
d Remittance/Bank Draft/Cheques in Transit	6,43,610	3,11,466
Total	5,36,49,16,664	3,86,53,29,834


2 Previous years figures have been regrouped and rearranged wherever necessary.

For and on behalf of the Board


(S.CHARLES)
Director (Finance)


(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director

In terms of our separate report of even date




Place : New Delhi

Dated: 26 AUG. 2019

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

62nd Annual Report 2018-2019

- 191 -



केन्द्रीय भण्डारण निगम

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली-110016

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016

दूरभाष / Phone : 011-26566107, वेबसाईट / Website : www.cewacor.nic.in